खण्ड-174, अंक-2
मंगलवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1878
(17 जुलाई, 1956 ई0)

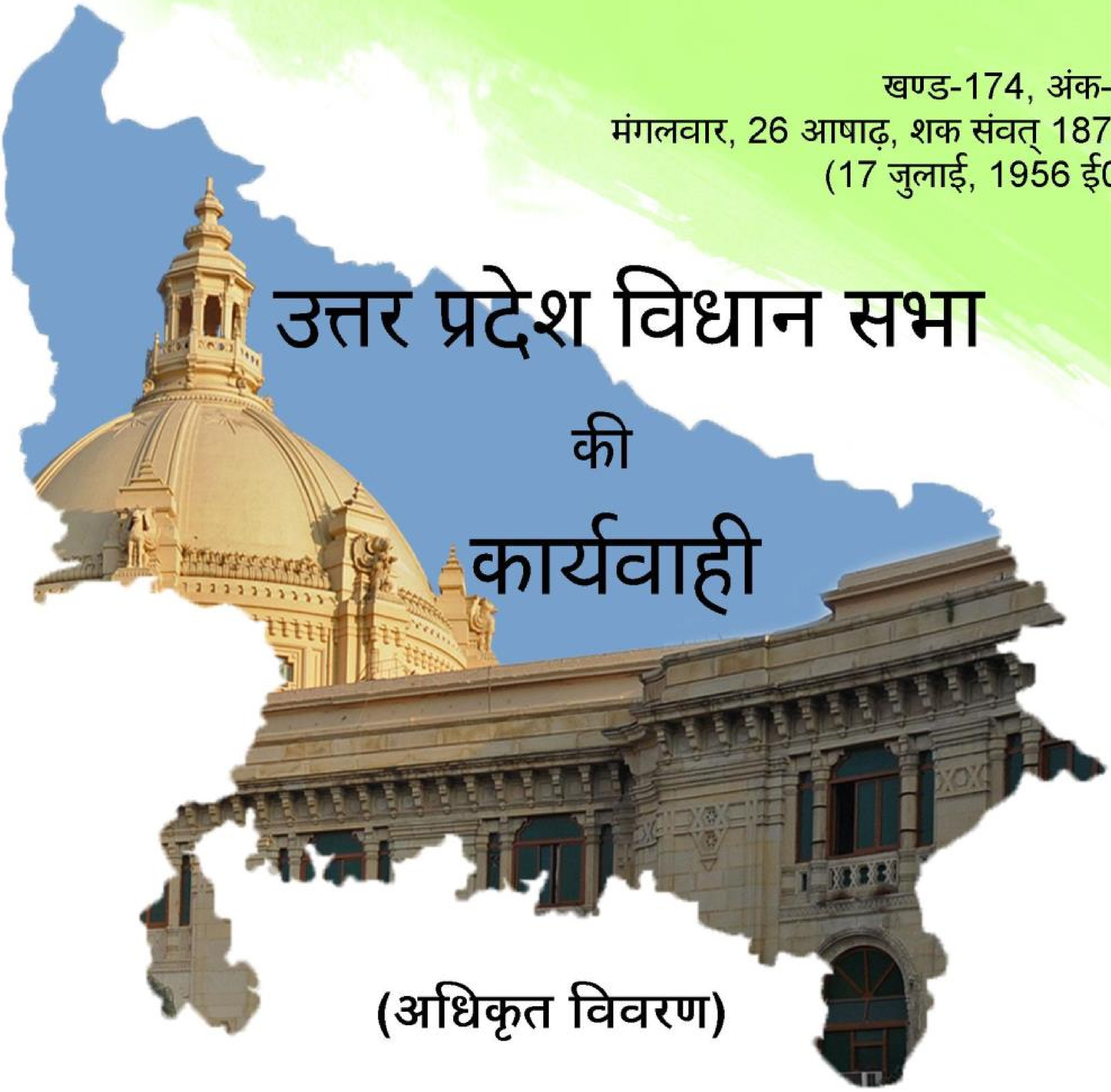

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 174 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२९)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुलमुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजाहुसैन, श्री
इस्तफाहुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
सुखीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास,श्री
चरणसिंह ,श्री
चित्तर सिंह निरंजन,श्री
चिरंजीलाल जाटव,श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी,श्री
जगतनारायण ,श्री
जगदीशप्रसाद,श्री
जगदीशसरन ,श्री
जगदीशसरन रस्तोगी,श्री
जगनप्रसाद रावत,श्री
जगन्नाथ प्रसाद,श्री
जगन्नाथ बख्श दास,श्री
जगन्नाथ मल्ल,श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह,श्री
जगमोहनसिंह नेगी,श्री
जटाशंकर शुक्ल,श्री
जयपाल सिंह,श्री
जयराम वर्मा,श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट,श्री
जवाहरलाल,श्री
जवाहरलाल रोहतगी,डाक्टर
जोरावर वर्मा,श्री
झारखंडेराय,श्री
टीकाराम ,श्री (बदायूं)
डल्लाराम ,श्री
डालचन्द,श्री
ताराचन्द माहेश्वरी,श्री
तुलाराम,श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजासिंह ,श्री
दयालदास भगत,श्री
दर्शनराम,श्री
दलबहादुर सिंह,श्री
दाताराम ,श्री
दीनदयालु शर्मा,श्री
दीनदयालु शास्त्री,श्री
दीपनारायण वर्मा,श्री
देवकीनन्दन विभव,श्री
देवदत्त मिश्र,श्री
देवदत्त शर्मा,श्री
देवनन्दन शुक्ल,श्री
देवराम,श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह,श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य,श्री
द्वारिका प्रसाद पान्डेय,श्री
धनुषधारी पान्डेय ,श्री
धर्मदत्तवैद्य,श्री
नत्थूसिंह,श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री,श्री
नरोत्तम सिंह,श्री
नवलकिशोर ,श्री
नागेश्वर द्विवेदी,श्री
नाजिम अली,श्री
नारायणदत्त तिवारी,श्री
नारायणदास,श्री
नारायणदीन वाल्मीकि,श्री
निरंजनसिंह,श्री
नेकराम शर्मा,श्री
नेत्रपालसिंह,श्री
पद्मनाथसिंह,श्री
परमानन्द सिन्हा,श्री
परमेश्वरीदयाल,श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा,श्री
पहलवानसिंह चौधरी ,श्री
पातीराम,श्री
पुत्तूलाल,श्री
पुद्दनराम,श्री
पुलिनविहारी बनर्जी,श्री
प्रकाशवती सूद,श्रीमती
प्रतिपाल सिंह,श्री
प्रेमकिशन खन्ना,श्री
फजलुल हक,श्री
फतेहसिंह राणा,श्री
फूलसिंह,श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य,श्री
बलवन्तसिंह,श्री
बशीर अहमद हकीम,श्री
बसन्तलाल,श्री
बाबूनन्दन ,श्री
बाबूराम गुप्त,श्री
बाबूलाल कुसुमेश,श्री
बालेन्दुशाह,महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह,श्री
बेनीसिंह,श्री
बैजूराम ,श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित ,श्री
भगवती प्रसाद दुबे,श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

भगवानदीन बालमीकि,श्री
भगवान सहाय,श्री
भीमसेन ,श्री
भुवरजी,श्री
भूपालसिंह खाती,श्री
भोलासिंह यादव,श्री
मकसूद आलम खां,श्री
मंगला प्रसाद,श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी,श्री
मथुराप्रसाद पान्डेय,श्री
मदनमोहन उपाध्याय,श्री
मन्नीलाल गुरुदेव,श्री
मलखानसिंह,श्री
महमूद अली खां ,श्री (रामपुर)
महमूद अली खां ,श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह,श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव,श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल,श्री
मिजाजीलाल,श्री
मिहरबान सिंह,श्री
मुजफ्फर हसन,श्री
मुन्नूलाल,श्री
मुरलीधर कुरील,श्री
मुश्ताक अली खां,श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ,श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद,श्री
मुहम्मद तकीहादी,श्री
मुहम्मद नसीर,श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी,श्री
मोहनलाल,श्री
मोहनलाल वर्मा,श्री
मोहनसिंह,श्री
यमुनासिंह,श्री
यशोदादेवी,श्रीमती,
रघुनाथ प्रसाद,श्री
रघुवीर सिंह,श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण ,श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी,श्री
राजाराम,श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य,श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद,श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह,श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप,श्री
रामस्वरूप मिश्र, विशारद, श्री
रामहरख यादव. श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री

रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगमचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

तारांकित प्रश्न

*१—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[१६ जुलाई, १९५६ को उत्तर दिया गया।]

झांसी डिवीजन के पिछड़े भागों में रेलवे लाइन्स निर्माणार्थ केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना

*२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के व्योपार की उन्नति तथा यात्रियों की सुविधा के लिये क्या उसके सामने यह सुझाव पेश हुआ था कि मऊरानीपुर से एटवाया गरौठा तथा मऊ-रानीपुर से ललितपुर तक रेलवे लाइनें बनवाई जायें? यदि हां, तो क्या उसने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई लिखा पढ़ी की है?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—झांसी डिवीजन के पिछड़े भागों की उन्नति के निमित्त इन दोनों रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को केन्द्रीय सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ठीक इस विषय में तो कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन केन्द्रीय सरकार की खुद इतनी योजनायें नयी रेलवे बनाने की हैं कि शायद वह इस योजना पर विचार न कर सके।

कानपुर में जरीब की चौकी के निकट लखनऊ-झांसी रोड पर पड़ी गिट्टी

*३—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या निर्माण मंत्री को यह मालूम है कि कानपुर शहर में जरीब की चौकी से लेकर कालपी रोड के दोनों तरफ काफी दूर तक पत्थर की गिट्टी बरबाद हो रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सच है कि लखनऊ-झांसी रोड पर जरीब की चौकी के पास इस सड़क के मील ५३ को चौड़ा करने के लिये सन १९५२ में २०,६३७ घनफुट गिट्टी एकत्रित की गयी थी, परन्तु यह जरा भी बरबाद नहीं हुयी है।

*४—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—यह कुल गिट्टी कितनी थी और उसकी कुल क्या कीमत हुयी, इस बरबादी का कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह कुल गिट्टी २०,६३७ घनफुट थी जिसका मूल्य १५,००० रुपया है। चूंकि यह गिट्टी जरा भी बरबाद नहीं हुयी है तथा राज्य को इससे कोई हानि नहीं हुयी, इस सम्बन्ध में किसी के खिलाफ कार्यवाही, का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गिट्टी अब भी वहां पड़ी है? यदि हां, तो यह सड़क कब तक चौड़ी होगी और यदि नहीं तो यह गिट्टी कहां उठा कर रखी गयी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस गिट्टी में से ३,२३७ घनफुट सन् ५२–५३ तक काम में लायी जा चुकी थी और १७,४०० घनफुट गिट्टी १९५५ में मील ५३ से हटा कर मील ५६ में संक्रामित हुयी है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—तो यह समझा जाय कि १९५३ में चौड़ा करने का कार्य स्थगित कर दिया गया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पैसा कम होने की वजह से वह काम उस समय सम्पन्न नहीं किया जा सका।

*५–६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—[१६ जुलाई, १९५६ को उत्तर दिया गया।]

*७—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१६ जुलाई, १९५६ को उत्तर दिया गया।]

डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन आफिसर्स की बर्खास्तगी

*८—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जनवरी, १९५६ से अब तक कितने डिस्ट्रिक्ट इनफारमेशन आफिसर्स अलग किये गये हैं ?

सूचना मंत्री के सभा सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—पांच।

*९—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन कर्मचारियों की नौकरी की अवधि कितनी थी तथा इन पर पृथक-पृथक् क्या चार्जेज लगाये गये थे और इनसे कोई जवाब मांगा गया था या नहीं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—पृथक् किये गये जिला सूचना अधिकारियों में से तीन की नौकरी की अवधि लगभग आठ साल तथा दो की डेढ़ साल की थी। इनके विरुद्ध जो शिकायतें थीं उनके आधार पर औपचारिक ढंग से दोषारोपण करके सेवामुक्त करने के बजाय इन्हें शासन ने Disciplinary Proceedings Enquiry Committee की सिफारिशों के अनुसार जो नियम बने थे उन्हीं के अधीन एक महीने का वेतन देकर सेवामुक्त करना अधिक उचित समझा।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन पांच व्यक्तियों में से पोलिटिकल सफरर कितने थे ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो व्यक्ति हटाये गये हैं उनके कैरेक्टर रोल में इन ८ साल में कोई ऐडवर्स एंट्री नहीं की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो जिले के सूचनाधिकारी हैं इनके कैरेक्टर रोल तो अभी हाल में रखे जाने लगे हैं २, ३, ४ वर्ष से। इसके पहले क्या था यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन इधर जो रखे गये हैं उन्हीं की रिपोर्टों के आधार पर यह कार्यवाही की गयी है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये व्यक्ति जो अलग किये गये हैं उनके खिलाफ जो शिकायतें थीं वह किस किस्म की थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शिकायतें कई तरह की हैं। कुछ लोगों के खिलाफ तो हिसाब-किताब रखने की गड़बड़ी करने की शिकायतें थीं, कुछ लोगों के खिलाफ यह शिकायतें थीं कि वे बिलकुल ठीक काम नहीं करते और कुछ के खिलाफ यह भी शिकायतें थीं कि वे काम-करने के योग्य नहीं हैं और उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे काम कर सकें। यह बातें थीं।

आजमगढ़ में टोंस नदी के पुराने बांध की मरम्मत का काम

*१०—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ शहर में टोंस नदी के किनारे पुराने बांध की मरम्मत में कितना रुपया व्यय होने की योजना है और इस बांध का पुर्ननिर्माण किस प्रकार हो रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टोंस नदी के बांध की मरम्मत में ३ लाख ६ हजार रुपया व्यय होने की आशा है, जिससे पुराने बांध को मजबूत, ऊंचा तथा २० फिट चौड़ा किया जा रहा है। बांध में लगे हुये फाटकों को नये बांध से मिलता जुलता और आधुनिक ढंग का बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस योजना में लाल डिग्गी को पाटने तथा टोंस नदी में बाढ़ के समय शहर का गन्दा पानी निकालने के लिये लाल डिग्गी में पम्प लगाने का कार्य भी सम्मिलित है और उसका प्रबंध किया जा रहा है ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि लालडिग्गी को पाट देने के बाद वहां पम्प लगाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी और उसमें गन्दा पानी शहर का कैसे जायगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बांध का सबसे मुख्य काम यह है कि जो बाहर चारों तरफ का पानी है उसको शहर में न आने दें । उसका लेविल ऊंचा हो जाता है लेकिन शहर का गंदा पानी निकालने का प्रबंध अगर नहीं किया जायगा तो शहर में गंदगी फैल जायगी और उससे बीमारी फैलेगी, बदबू फैलेगी इसलिये यह भी जरूरी है कि उसका पानी उठाकर बाढ़ के पानी में डाल दिया जाय ।

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, लाल डिग्गी तो एक गड्ढा है, वह जब पाट दिया जायगा तो शहर का गंदा पानी वहां कैसे आवेगा ? शहर का पानी तो रुक जाता है ।

श्री अध्यक्ष—आप तो विवाद कर रहे हैं। प्रश्न पूछिये।

श्री उमाशंकर—मैंने पूछा, श्रीमन् कि लाल डिग्गी जब पट जायगा तो वहां गंदा पानी आने का क्या सवाल है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे जहां तक सूचना है वह नीचा है। वहां गंदा पानी एकत्रित हो जाता है । उसको जब पाट भी दिया जायगा तो भी इतना ऊंचा नहीं कर दिया जायगा कि इधर-उधर का पानी उसमें न आ सके और अगर ऐसा है तो मैं इसका नोट ले सकता हूं और इन्क्वायरी करा सकता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि कि यह रुपये जो स्वीकृत किये गये हैं इसमें कितना खर्च हो चुका है और बांध कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गतवर्ष में नया बांध बनाया गया उसकी मरम्मत में यह रुपया शामिल है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जहां तक मुझे सूचना है वह इसमें शामिल नहीं है ।

आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में आजमगढ़ नहर निकालने की योजना

*११—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की तहसील लालगंज के ठेकमा से पश्चिम इसहाकपुर आदि गांवों में वह सिंचाई की क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील के ग्रामों की सिंचाई की व्यवस्था के लिये आजमगढ़ नहर का निर्माण होने जा रहा है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेंगी कि आजमगढ़ नहर किस स्थान से निकाली जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ पम्प नहर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गयी है जो टांडा के पास से निकाली जायगी। टांडा के पास से एक छोटी नहर टांडा के नाले के नाम से भी निकाली गयी है जिसका पता माननीय सदस्य को भी होगा। वहीं से पानी लेकर एक नहर निकालने की योजना सेकेंड फाइव ईयर प्लान में है जो आजमगढ़ नहर कहलायेगी। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय यह भी बतलाना चाहता हूं कि हम इस बात की भी चेष्टा कर रहे हैं और सम्भवतः उसमें हमको सफलता मिलेगी कि जो शारदा रिजरवायर हमारा बना है और जिसका दूसरा स्टेज बनाया जा रहा है उसमें इतना पानी हमको मिल जायगा कि हम फूलपुर के दक्षिणी हिस्से को ग्रेविटी केनाल से फीड कर सकें। अगर वह संभव होगा तो यह पम्प नहर निकालने की आवश्यकता नहोगी। आजमगढ़ की नहर से हम फूलपुर का दक्षिणी हिस्सा, लालगंज तहसील और आजमगढ़ तहसील के कुछ हिस्से की सिंचाई कर लेंगे।

श्री उमाशंकर—आजमगढ़ नहर पर काम कुछ शुरू हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उसका सर्वे शुरू हो गया है। जो नयी नहर हम निकालने वाले हैं उसके लिये संभवतः बरसात के बीतते-बीतते पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ जायगी।

*१२—श्री विश्रामराय—[१४ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

अधिक अन्न उपजाओ योजनान्तर्गत रेलवे विभाग से प्राप्त भूमि

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिस समय अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चलाया गया था उस समय प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग की उनकी फाजिल जमीन ले कर काश्तकारों को खेती करने के लिये पट्टे पर दे दी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। पट्टा सीधे केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग व काश्तकारों के बीच हुआ था।

*१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार उस जमीन को काश्तकारों से लेकर केन्द्रीय सरकार को वापस करना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर केन्द्रीय सरकार से इस बात का पता लगायेगी कि जिन काश्तकारों को उसने जमीन दी थी, उनसे वह ले रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी तफसील के साथ शिकायत आये कि इससे कितने लोगों को तकलीफ हो रही है तो सरकार इस पर विचार कर सकती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या प्रान्तीय सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार इन लोगों से जमीन ले कर हजारों व्यक्तियों को बेजमीन कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जहां तक मुझे मालूम है ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

*१५--श्री कल्याणचन्द मोहिले---[१६ जुलाई, १९५६ को उत्तर दिया गया ।]

*१६-१७---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---[१६ जुलाई, १९५६ को उत्तर दिया गया ।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप विभाग, दक्षिण मुरादाबाद, के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१८---श्री महीलाल---क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उनके पास एक शिकायत अधिशासी अभियन्ता नलकूप विभाग दक्षिण मुरादाबाद के विरुद्ध अवैधानिक रूप से टेन्डर स्वीकार करने की आयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति---जी हां, इस विषय के सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र उपमंत्री जी के पास आया था । छान बीन करने पर ज्ञात हुआ कि उसमें दिये हुए आरोप निराधार हैं ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस शिकायती पत्र की छानबीन किस अधिकारी ने की और जिन्होंने छानबीन की उन्होंने क्या शिकायत करने वाले सज्जन को कोई सूचना दी थी ?

श्री राममूर्ति---उसकी छानबीन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने की लेकिन चूंकि यह आवेदन पत्र सरकार की तरफ से उनके पास गया था तो शिकायत का जवाब देना उन सज्जन को जरूरी नहीं था, गवर्नमेंट के पास उसका जवाब आ गया था ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आडिट के समय भी इस क़िस्म के एतराजात आये हैं, जैसे कि शिकायत में थे ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । मेरे पास आडिट का कोई जिक्र नहीं है ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करने की कृपा करेंगे कि आडिट में जो शिकायतें की गई थीं उनकी पुष्टि की गई है ?

श्री राममूर्ति---यदि माननीय सदस्य इसको लिख कर दे देंगे तो मैं उसके बारे में जांच करा लूंगा ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इससे संबंधित कुछ शिकायतें माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री के पास भी आई हैं ?

श्री राममूर्ति---इसके बारे में एक ही शिकायत आई थी जिसकी मैंने जांच कराई थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने जिस इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की थी उस शिकायत करने वाले व्यक्ति से इस सम्बन्ध में क्यों नहीं पूछ ताछ की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिस आदमी के जिम्मे जांच करने का काम दिया गया उन्होंने जिस तरीके से जांच होती है उस तरीके से जांच कर ली ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री माननीय महीलाल जी के इस आग्रह पर कि जिसने दरख्वास्त दी थी उससे पूछ ताछ न करने की वजह से जांच ठीक नहीं हुई है तो पुनः उस व्यक्ति से इस सम्बन्ध में पूछ ताछ करेंगे ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, जो शिकायत करता है वह तो अपना केस लिख कर दे देता है । उसके पास सब चीजें होती हैं तो बाक़ी और बातें मालूम की जाती हैं उसकी जाच की गयी ।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री लक्ष्मणराव कदम—[१६ जुलाई, १९५६ को उत्तर दिया गया।]

सहसवान, जिला बदायूं में गंगापार बांध बनाने की योजना

३—श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि सहसवान, जिला बदायूं में बाढ़ रोकने के लिये गंगा पार बांध बनाने के वास्ते इंजीनियर से रिपोर्ट तलब की गई थी? यदि हां, तो क्या वह रिपोर्ट आ गई है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप मंडल, बदायूं से तहसील सहसवान, जिला बदायूं को बाढ़ से बचाने के हेतु एक योजना बनाने को कहा गया था परन्तु उक्त अधिकारी से उक्त योजना का तखमीना नहीं प्राप्त हो सका है। अधिशासी अभियन्ता ने इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच-पड़ताल (सर्वे) करा ली है और बांध की स्थिति के बारे में जांच-पड़ताल जारी है। आवश्यक तखमीना बन जाने और स्वीकार होने के पश्चात् बांध निर्माण का कार्य आरम्भ किया जावेगा।

परगना सहसवान, जिला बदायूं में चालू होने वाले नलकूप

४—श्री मुश्ताक अली खां—परगना सहसवान, जिला बदायूं में जो ट्यूबवेल बनाये जा रहे हैं वे कब तक चालू हो जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त क्षेत्र में बनाये जाने वाले ९ राजकीय नलकूपों में से २ नलकूप चालू हो चुके हैं और आशा की जाती है कि बाक़ी नलकूप अक्तूबर, १९५६ तक चालू हो जायेंगे।

श्री राजनारायण, श्री नारायणदत्त तिवारी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार की अवहेलना के मेरे पास तीन प्रश्न हैं जो श्री राजनारायण, श्री नारायण दत्त तिवारी तथा श्री जगन्नाथ मल्ल ने उठाये हैं। श्री राजनारायण तथा श्री नारायणदत्त तिवारी ने जो प्रश्न उठाया था उसके सम्बन्ध में मैंने कल ही इस बात को कह दिया था कि मेरे पास जब जजमेंट की कापी आ जायगी या वह मुझे दे दें तो उसके बाद मैं फैसला करूंगा। अभी तक मेरे पास जजमेंट नहीं आया है। इसलिये मैं तब तक उस प्रश्न को सदन के सामने नहीं रखूंगा और अपना फैसला भी नहीं रखूंगा। इसका जिकर भी मैं रोजाना नहीं करूंगा। जिस समय यह फैसला आ जायगा उस समय मैं उसके ऊपर निर्णय दूंगा।

तीसरा प्रश्न श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने उठाया है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि द्वाराहाट की एक कान्फ्रेन्स में स्वागत भाषण श्री आनन्दलाल साह का हुआ। उसमें उस स्वागत भाषण को छपवाकर बटवाया गया और श्री प्यारे लाल साह ने उसको पढ़ा। सम्भवतः श्री आनन्द लाल साह उसमें मौजूद न हों उनकी एवज में श्री प्यारे लाल साह ने उस भाषण को पढ़ा। हो सकता है कि उनकी मौजूदगी में भी पढ़ा हो। उसमें यह जिकर आया है और उसमें यह शब्द हैं जिनके सम्बन्ध में कान्फ्रेन्स में इसके ऊपर आक्षेप भी उठाया गया। "हमें गर्व है, हमारा पाली पछाऊं, जिले में राष्ट्रीय कार्यों में सदैव सक्रिय भाग लेता हुआ प्रमुख स्थान पाता रहा है। पिछले चुनावों के अवसर पर इस क्षेत्र से धारा सभा के लिये निर्वाचित सदस्य को जनमत की अधिकता से नहीं वरन् संयोग से स्थान प्राप्त हो पड़ा था जिसके प्रतिफल में आज इस क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि कहे जाने वाले व्यक्ति के अवैधानिक, अनैतिक कार्यों से लज्जित हो कर

अपना सिर झुका लेती है। अपने प्रतिनिधि की दिन प्रति दिन सीमा को पार करने वाली अनैतिक वृत्ति के लिये खेद प्रकट करती है। काश इस तथा कथित प्रतिनिधि में इतनी गैरत होती और अपना स्थान स्वेच्छा से रिक्त करते" ये शब्द इस भाषण में आये हैं। मेरे पास जो यह प्रश्न श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने उठाया है उनकी शिकायत इन वाक्यों के सम्बन्ध में है, "पिछले चुनावों के अवसर पर इस क्षेत्र से धारा सभा के लिये निर्वाचित सदस्य को जनमत की अधिकता से नहीं, वरन् संयोग से स्थान प्राप्त हो पड़ा था।" जिसके प्रतिफल में आज इस क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि कहे जाने वाले व्यक्ति काश इस तथा कथित "प्रतिनिधि" इन वाक्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन मेरे सामने पूरा ही पैराग्राफ मौजूद है। इसमें पहला प्रश्न यह उठता है कि आया विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर हुई तो किसने की और कौन उसका जिम्मेदार है। पहले प्रश्न के बारे में मैंने पूर्ण विचार किया इसमें किसी सदस्य का नाम नहीं है, मुझे इसी प्रकार के विषय का फ़ैसला एक हाउस आफ़ कामन्स के स्पीकर का ८ मार्च, १९४८ का मिला है। इसमें कुछ प्रेसों ने इनसिनुएशन्स किये थे। उन्होंने किसी के नाम नहीं लिये, मगर आक्षेपों से सब प्रतिनिधियों के ऊपर आक्षेप हो जाता था। अपने निर्णय में स्पीकर ने ये शब्द कहे थे ---

"Although I have some doubt about the matter because I do not like to be too sensitive about criticism there is, I think, a charge perhaps against 29 members, who apparently , are nameless and it may be the wish of the House that that should be cleared up. I, therefore declare that a *prima facie* case has been made out."

यद्यपि नाम अखबारों में नहीं दिये गये थे लेकिन अगर संकेत कुछ माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में हो तो पूरे सदन के मेम्बरों के ऊपर इसमें लांछन लगाना कहा जाता है और अगर किसी खास हल्के के प्रतिनिधि के बारे में हो तो उसमें स्पष्ट ही हो जाता है कि कौन सा प्रतिनिधि है। प्रस्तुत प्रश्न में यह त्रुटि भी तो नहीं रही।

दूसरी बात यह है कि जो शब्द कहे गये उससे अवहेलना होती है या नहीं। इस सम्बन्ध में एक रूलिंग हाउस आफ कामन्स के स्पीकर की मार्ग दर्शक है यह निर्णय ४ मई, सन् ३६ का, हाउस आफ़ कामन्स के स्पीकर का है। उसके शब्द ये हैं :---

"Libels upon members have also been constantly punished, but to constitute a breach of privilege they must concern the charater or a conduct of members in that capacity and the libel must be based on matters arising in the actual transaction of the business of the House."

तो बदनामी करना या किसी सदस्य को जनता की निगाह में गिराने का प्रयत्न करना यह बात उस कार्य के संबंध में होना चाहिये जो सदन में एक प्रतिनिधि की हैसियत से वह करता है। यदि ऐसा किया गया है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का अपराध हो जाता है।

जहां तक जगन्नाथ मल्ल जी ने यह आक्षेप किया है कि इसमें यह लिखा है कि माननीय सदस्य को तथा कथित प्रतिनिधि कहा गया है तो मैं समझता हूं कि तथाकथित प्रतिनिधि कहना किसी माननीय सदस्य के लिये जो कि निर्वाचित हों, इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती है। इसमें प्राइमाफ़ेसी केस नहीं बनता है, क्योंकि उनके किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में वह चीज नहीं कही गयी है जो कि सदन में उन्होंने किया हो, न कोई इसके जरिये से धोखा इस बात का हो सकता है। सिर्फ इन शब्दों को अव्यूज कहा जा सकता है , किसी को गाली दे दी या बुरा भला कह दिया, यह चीज इन शब्दों द्वारा हो सकती है लेकिन जनता धोखे में नहीं आ सकती कि उक्त प्रतिनिधि चुने गये या नहीं चुने गये। इससे उसकी जो मेम्बरशिप की पदवी है, उसकी पोजीशन गिरती नहीं है, कहने वाले की अवश्य गिर जा सकती है। इन शब्दों में विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं दिखती। लेकिन उस भाषण में और भी वाक्य इस प्रकार हैं। "अपने प्रतिनिधि कहे जाने वाले

[श्री अध्यक्ष]

व्यक्ति के अवैधानिक, अनैतिक कार्यों से लज्जित हो कर अपना सिर झुका लेती है"। इसमें स्पष्ट संकेत नहीं है कि उसके यह कार्य सदस्य की हैसियत से हैं या बाहर के कोई कार्य हैं लेकिन जब गोलमोल सब कार्यों की ओर संकेत होने से उसमें दोनों कार्य हो सकते हैं और जब दोनों ही प्रकार के कार्य हो सकते हैं और जब वक्ता ने इसको स्पष्ट नहीं किया तो माननीय प्रतिनिधि ने जो सदन में कार्य किया है उसकी ओर संकेत है अर्थ भी निकल जाना स्वाभाविक है। इस तरह के वक्तव्य से मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को जनता की नजरों में गिराने का प्रयत्न स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो कार्य वे सदस्य की हैसियत से करते हैं उस पर इस वाक्य से आक्षेप होता है और मानहानि तथा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्राइमाफेसी केस बनाता है तथा कथित शब्द कहने से किसी को कोई धोखा नहीं होता। जो इस शब्द को कहता है उसका वह चाइल्डिश ऐक्सप्रेशन समझा जा सकता है परन्तु बाद के जो वाक्य हैं वे ऐसे हैं जिनसे जनता में भ्रम पैदा हो सकता है कि उक्त प्रतिनिधि या सदस्यों ने कोई कार्य सदन में अवैधानिक किया है या अनैतिक कार्य किया है और वह कार्य सदस्य की हैसियत से किया है। अब अनैतिक कार्य बहुत से हो सकते हैं, रैमे से सम्बन्धित हो सकता है तथा और भी हो सकते हैं, यह इंस्टीन्युएशन खतरनाक हो सकता है। इस वाक्य से प्रथम दर्शन में यह मालूम होता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

अब अवहेलना किसने की इस सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया है उसमें ५ व्यक्तियों के नाम लिये गये हैं। १—माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, २—माननीय श्री हरगोविन्द पंत, ३—माननीय श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, ४—श्री आनन्द लाल शाह, तथा ५—श्री प्यारे लाल शाह। अब जो वाक्य कहा गया है उसमें यह है कि आनन्द लाल शाह, स्वागताध्यक्ष की ओर से भाई प्यारे लाल शाह ने एक भाषण पढ़ा और वह बांटा भी गया। इस सम्मेलन में श्री लक्ष्मीरमण आचार्य सभापति थे तथा श्री चन्द्रभानु गुप्त और श्री हरगोविन्द पंत वहां मौजूद थे। यह आक्षेप हो सकता है कि जिम्मेदार व्यक्ति होते हुये उन्होंने अपने भाषण में इसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया, और आक्षेपहि बातों के खिलाफ क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहा। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खींचातान करके विशेषाधिकार की लपेट में उन्हें लाने का प्रयत्न है। इस तरह से उन पर जिम्मेदारी डालने की बात उठाई नहीं जा सकती। उनके ऊपर कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ कुछ कहे, किसी को बुरा-भला उनके सामने कहे उसी समय प्रतिवाद वे करें या वे मुंह तोड़ जवाब दे दें। खासतौर से स्वागताध्यक्ष के खिलाफ जिसने उनका स्वागत किया है। उसके भाषण की आक्षेपाहि बातों का खण्डन करना किसी व्यक्ति का कर्त्तव्य है यह जिम्मेदारी किसी के ऊपर, किसी भी सदस्य के ऊपर थोपी नहीं जा सकती और न यह कहा जा सकता है कि उसने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और इस कारण विशेषाधिकार की अवहेलना हो गयी है। ऐसा कोई उदाहरण विशेषाधिकार की अवहेलना का मेरे सामने मौजूद नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि इन तीन सदस्यों के विरुद्ध जो कि माननीय सदस्य इस सदन के हैं और मंत्रिमण्डल में हैं, उनके ऊपर कोई विशेषाधिकार का प्राइमाफेसी केस भी उठाया जा सकता है। केवल श्री आनन्दलाल शाह और प्यारे लाल शाह इन दो के ऊपर प्राइमाफेसी केस दिखायी देता है। इसलिये मैं इन दोनों के विषय में यह प्रश्न उठाने की इजाजत देता हूं। नियम ४७ में निम्न वाक्य यह है —

"If the Speaker gives his consent under rule 44, the member making the complaint shall, after questions and before the list of business is entered upon, read his complaint and may make a short statement relevant thereto."

मैंने प्रश्न उक्त दो व्यक्तियों पर उठाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अगर किसी माननीय सदस्य को इसकी वैधानिकता पर आक्षेप हो और किसी को कहना हो कि विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई है या और कोई बात कहनी हो तो इसके लिये मैं मौका दूंगा और उसके बाद उठाया हुआ प्रश्न इन आर्डर है, वैध है ऐसा हमने फैसला दिया है तो यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को रेफर होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आप की इजाजत से केवल दो के लिये कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—दो के सिवा और लोगों का नाम नहीं आयेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं निम्नलिखित कारणों के आधार पर विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ४५ के अधीन माननीय श्री आनन्द लाल शाह, द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा वा श्री प्यारेलाल शाह, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा के विरुद्ध हमारे सदन के अपमान व सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेला का प्रस्ताव एवं शिकायत आज हमारे सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में तारीख २७ एवं २८ मई, १९५६ को अल्मोड़ा जिला कांग्रेस राजनीतिक सम्मेलन हुआ जिसमें स्वागताध्यक्ष श्री आनन्दलाल शाह, माननीय श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, उद्घाटनकर्त्ता माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा माननीय श्री हरगोविन्द पन्त एक प्रमुख वक्ता थे। माननीय श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा माननीय श्री हरगोविन्द पन्त की उपस्थिति में तथा उन्हें स्पष्टतः लक्ष्य कर श्री आनन्दलाल शाह, स्वागताध्यक्ष की ओर से उनके भाई श्री प्यारेलाल शाह, द्वाराहाट निवासी ने एक प्रकाशित स्वागत भाषण पढ़ा।

इस स्वागत भाषण के पांचवें पैरा द्वारा श्री शाह ने सम्मेलन के सम्मुख निम्नलिखित शब्द स्पष्ट उच्चारण किये:—

श्री अध्यक्ष—आप पूरे पैरा में से शार्ट कर के कह दीजिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इस स्वागत भाषण के ५ वें पैरा द्वारा श्री शाह ने सम्मेलन के सम्मुख निम्नलिखित शब्द स्पष्ट रूप से कहे —

> "पिछले चुनावों के अवसर पर इस क्षेत्र से धारा सभा के लिये निर्वाचित सदस्य को जनमत की अधिकता से नहीं वरन् संयोग से स्थान प्राप्त हो पड़ा था, जिसके प्रतिफल में आज इस क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि कहे जाने वाले इस तथा कथित प्रतिनिधि ....."

श्री अध्यक्ष—अब आप को पूरा पढ़ देना होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—"पिछले चुनावों के अवसर पर इस क्षेत्र से धारा सभा के लिये निर्वाचित सदस्य को जनमत की अधिकता से नहीं वरन् संयोग से स्थान प्राप्त हो पड़ा था, जिसके प्रतिफल में आज इस क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि कहे जाने वाले व्यक्ति के अवैधानिक अनैतिक कार्यों से लज्जित हो कर अपना सिर झुका लेती है। अपने प्रतिनिधि की दिन प्रति दिन सीमा को पार करने वाली अनैतिक वृत्ति के लिये खेद प्रकट करती है। काश इस तथा कथित प्रतिनिधि में इतनी गैरत होती और अपना स्थान स्वेच्छा से रिक्त करते।"

जिला अल्मोड़ा के पाली पछाऊं इलाके के द्वाराहाट क्षेत्र से विरोधी दल के उपनेता श्री मदनमोहन उपाध्याय चुने हुये प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के लिये स्पष्टतः उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग खुले सम्मेलन में हुआ है। इसलिये उपर्युक्त शब्दावली इतनी स्पष्ट है कि उससे इस सदन के एक माननीय सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना व साथ ही सदन के अपमान सम्बन्धी तथ्य स्पष्ट झलकते हैं। माननीय चन्द्रभानु गुप्त, माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य व माननीय हरगोविन्द पन्त जी ने इस प्रकार अपमानजनक शब्दों को सुनते हुये भी सम्मेलन के सम्मुख अपने उत्तर स्वरूप भाषणों में इस हेतु कोई भर्त्सना नहीं की। अतः मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ५८ के अधीन उपर्युक्त २ व्यक्तियों को अपमान सम्बन्धी नोटिस दे चुका हूं, कृपया मुझे आज ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये आज्ञा प्रदान करने के हेतु कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष--मैंने आप को इजाजत दे दी। आप को अब कुछ कहना हो तो कहें।

श्री जगन्नाथ मल्ल--वैसे तो मैं थोड़ा सा यह भी बता दूं कि किस खयाल से मैंने और ३ सदस्यों के बारे में भी यह प्रश्न उठाया था।.....

श्री अध्यक्ष--मैं उसके लिये इजाजत नहीं दूंगा, उनके विषय में मैं फैसला दे चुका हूं अब आप उन तीन सदस्यों का जिक्र न करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल--वहां पर द्वाराहाट में कांग्रेस का जिला राजनैतिक सम्मेलन हुआ जो श्री मदनमोहन जी का क्षेत्र है और वह उन्हीं का चुनाव क्षेत्र है, बल्कि वह द्वाराहाट के ही रहने वाले हैं और वहीं उनका घर भी है और वहीं पर उसी पोलिंग स्टेशन पर २,२०० वोट में से श्री मदनमोहन जी को २००० वोट मिले थे और २०० वोट दूसरे कन्डीडेट को मिले थे और उसी चीज को खयाल में रखते हुये श्री आनन्द लाल शाह और उनके भाई चाहते थे कि किसी तरह से वहां की जनता में यह चीज फैलाई जाय कि असेम्बली में भी श्री मदनमोहन जी अनैतिक और अवैधानिक कार्य करते हैं और बाहर भी और असेम्बली में भी वह अपने फ़र्ज की अदायगी नहीं करते हैं। इस प्रकार से वहां की जनता द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि के साथ इन लोगों ने बड़ा अन्याय किया और बीच आफ प्रिविलेज किया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को ले लिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह जो पर्चा छपा है और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है, तो वह पर्चा किसी सभा में बांटा गया होगा, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उस सभा के जो सदर रहे हों उनका नाम भी उसमें शामिल होना चाहिये, क्योंकि अगर कोई चीज किसी सभा में किसी के सभापतित्व में होती है तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि उस अनुचित चीज को अपने सभापतित्व में होने दें या न होने दें। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जैसी कि परिस्थिति बताई गई कि वहां पर यदि इस सदन के अन्दर काम करने वाले कोई विशेष सम्मानित सदस्य हों। जिनकी महज उपस्थिति मात्र से आम जनता को हम यह साबित करा सकें अगर फलां व्यक्ति का अवैधानिक कार्य न होता तो वह जरूर टोकता या उनकी मौन स्वीकृति होती। श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, यहां उपस्थित हैं और वे हमारे सारे कार्य को देखते हैं कि हम विधान सभा में क्या करते हैं.....?

श्री अध्यक्ष--मैं आप को इजाजत नहीं दे सकता। आप उस प्रश्न को फिर से ओपन करना चाहते हैं?

श्री राजनारायण--मैं यह निवेदन कर रहा था आप के द्वारा कि वहीं पर उपस्थित रह कर मौन स्वीकृति देना भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--सावधान। आप एक काल्पनिक उदाहरण की ओर संकेत कर के एक नई प्रकार का मेरे निर्णय पर टीका करना चाहते हैं। मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं.....।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--प्वाइंट आफ आर्डर। जब अध्यक्ष महोदय, कोई बात कहें और कोई सज्जन खड़े हो कर अपनी तकरीर कर रहे हों और बीच में वे खड़े ही रहें तो यह क्या मुनासिब नहीं होगा उन सज्जन के लिये जब आप फरमाते हों तो फौरन् अपनी सीट ग्रहण कर लें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यह मैं कई रोज से देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि मैं स्वयं खड़ा नहीं हो रहा हूं। अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो उनको बैठ जाना चाहिये। मैं क्योंकि खड़ा नहीं होता इसलिये वे खड़े रहते हैं। मैं चूंकि

यह स्वयं प्रथा बरत रहा हूं इसलिये मैं उनके खड़े रहने को एलाऊ कर रहा हूं। और कोई बात नहीं है। वैसे मैं खड़ा हो जाऊं तो उनको बैठना ही पड़ेगा।

श्री राजनारायण---हमेशा यही पद्धति रही है जैसा आप ने अभी बताया। अब सवाल यह है, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है यह सही मानी में इस सदन के जितने माननीय सदस्य हैं उनकी मर्यादा सुरक्षित रखने के लिये उठता है। जहां तक सदन के अपमान का प्रश्न है मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी से भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रेस में छपा है उस प्रेस को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। किसी सम्मानित सदस्य की ऐसी बात जो निन्दनीय या आक्षेपात्मक हो तो उसका कर्त्तव्य है कि वह न छापी जाय। जो उसके सभापति रहे हों उनका नाम इसमें आना चाहिये, उस प्रेस का नाम आना चाहिये और अगर किसी तथा सम्बन्धित व्यक्ति का पता लगे तो उसका नाम भी ले आने की कृपा आपके द्वारा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---अगर मैं इस उठाये हुए प्रश्न को इन आर्डर यानी वैध मान लूं तो यह कमेटी के पास अवश्य जायगा और कमेटी को पूर्ण अधिकार है--- उसके सामने अगर कोई एविडेंस हो तो चाहे किसी ने भी विशेषाधिकार की अवहेलना की हो तो वह उसको सम्मिलित कर सकती है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि आज ही सब बातों के ऊपर---और इस प्रश्न के कौन-कौन से पहलू निकलते हैं उनके ऊपर विचार कर लिया जाय। कमेटी के सामने आप सुझाव दे सकते हैं एविडेंस देने के समय और उस समय नाम दिये जा सकते हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि आप के सभापतित्व में कुछ भी कहा जाय तो आप की जिम्मेदारी उसमें होती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं। मैं बहस की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---माननीय राजनारायण जी ने जो सभापति का प्रश्न उठाया है तो उनको मालूम होना चाहिये कि स्वागताध्यक्ष का भाषण समाप्त होने के बाद सभापति के नाम का वह प्रस्ताव करता है.....

श्री अध्यक्ष--- मैं समझता हूं कि वह प्रश्न उठता नहीं है। मैंने उसका जवाब दे दिया वह आ नहीं सकता फिलहाल।

श्री देवदत्त मिश्र---वैधानिक दृष्टि से उस वक्त सभापति कोई था हीं नहीं, जिस समय वह प्रश्न उठाया गया। इसलिए उनका यह प्रश्न जो है सम्पूर्णतया अप्रासंगिक है।

*श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर आपने जो अभी विश्लेषण किया है उससे यह साफ हो गया है कि जहां तक अन्य मंत्रियों का सवाल हैं या इस प्रश्न का सवाल है कि चुनाव किस प्रकार हुआ कोई प्रश्न नहीं उठता।

आपने केवल इस प्रश्न को सदन के सामने रखा है कि अवैधानिक और अनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में यह संदेह है कि प्रश्न उठ सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य को केवल इस प्रश्न के ऊपर अपने विचार रखने चाहिये और मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरे विचार में इस प्रश्न पर भी कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। कारण यह है कि जो कुछ भी आगे कहा गया और जो उद्धरण आपने पढ़ा उससे यह साफ नहीं होता कि अनैतिक और अवैधानिक कौन से कार्य हैं जिनके सम्बन्ध में वहां शिकायत की गयी है। अगर वे कार्य ऐसे कार्य हैं जिनका सम्बन्ध इस सभा से है, माननीय सदस्य के इस सभा में कार्यों से है तो अवश्य प्रश्न उठता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---प्वाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष---(श्री राधामोहन सिंह से) आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने आज्ञा दे दी और उसमें आपने बता दिया कि प्राइमाफेसी केस बनता है । अब माननीय सदस्य आप की उस आज्ञा को चैलेंज कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । आप उसको समझे नहीं । उस तरह की चीज नहीं है ।

बात यह है कि जो चीज नहीं उठती है उसको निश्चय कर दिया कंसेन्ट देने के लिये पहले कि कोई कंसेन्ट दूं या नहीं । उस कंसेन्ट के देने में मैंने तीन व्यक्तियों के खिलाफ कंसेन्ट नहीं दी । दो के खिलाफ दी । उसमें जो शब्द आक्षेपार्ह आपने बताये थे उससे प्राइमाफेसी केस नहीं बनता । यह भी मैंने बता दिया । अगर बन सकता है तो दूसरी बातों से बन सकता है । जिन्हें मैंने पढ़कर सुना दिया और उन वाक्यों से प्राथमिक विश्लेषण में विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है, या नहीं उस पर सदस्यों की राय अब मैं सुन रहा हूं । इसके बारे में मैं नियम ४७ के अनुसार रूलिंग दूंगा, सुनने के बाद । उसके बारे में अगर कोई सदस्य यह कहना चाहें कि इसमें प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है तो वह कह सकते हैं, उन दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दो व्यक्ति मैंने बताये । तीन माननीय सदस्यों के बारे में तो मैंने निर्णय दे दिया है कि उनके सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं आपसे यह जानना चाहूंगा और आप की इस पर रूलिंग चाहूंगा कि अगरचे कोई सदस्य जो प्रिविलेज कमेटी का भी सदस्य हो वह पहले ही अपना एक तरह का ख्याल व्यक्त करे तो वह कर सकता है या नहीं और अगरचे व्यक्त कर दिया इस किस्म का ख्याल और वह केस प्रिविलेजेज कमेटी में रेफर हो जाय तो वह उस कमेटी में बैठ सकता है या नहीं । इस पर मैं रूलिंग चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मैं इस के बाद जो प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं इसके बारे में फैसला दूंगा । वह यह सब बातें सुनने के बाद दूंगा । बाकी जो स्थिति भविष्य में आयेगी उसमें उसका निर्णय सब सदस्य करेंगे । अभी प्राइमाफेसी केसे बनता है या नहीं, उसके बारे में वह कह सकते हैं । हर एक कह सकता है ।

श्री राधामोहन सिंह---मैं उस कमेटी का मेम्बर नहीं हूं । माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब तक यह साफ न हो जाय कि जो शब्द प्रयोग किये गये हैं उनसे निस्संदेह ऐसा चार्ज लगता है तब तक यह प्रश्न कमेटी में भेजने लायक नहीं है । मैं निवेदन कर रहा था कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके दो मानी हो सकते हैं ये शब्द माननीय सदस्य के उन कामों के सम्बन्ध में हो सकते हैं जो कि उन्होंने सदन के बाहर किये । और यह शब्द उन कार्यों के सम्बन्ध में हो सकते हैं जो माननीय सदस्य ने किये हैं । इस संदेह पर श्रीमान् अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह संदेह उठता है और मैं जानना चाहता हूं कि प्राइमाफेसी केस बन सकता है या नहीं । अगर यह संदिग्ध है, दोनों को रेफर कर सकता है जो काम माननीय सदस्य ने बाहर किये या वे काम जो उन्होंने अन्दर किये, तो संदेह का फायदा हमेशा अक्युज्ड को होता है । जब तक निस्संदेह न हो कि ऐसा कोई केस बनता है तब तक मैं समझता हूं कि भेजना उचित नहीं होगा । क्योंकि जो उद्धरण पढ़े गये हैं जहां तक मैं समझता हूं उनसे यह साफ जाहिर है कि केवल माननीय सदस्यों के उस काम पर आक्षेप किया गया गया है, जिसको उन्होंने एलेक्शन के सम्बन्ध में किया था । उन्होंने अपना चुनाव बहुमत से नहीं,

लेकिन अन्य तरीके से कर लिया उन तरीकों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि वह तरीके अवैधानिक थे। मुझे कोई संदेह नहीं। तो ऐसे समय में मैं समझता हूं जैसा आपने साफ कर दिया कि माननीय सदस्य उन कार्यों के सम्बन्ध में जो सदन के कार्यों से सम्बन्ध नहीं रखते हैं कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस छोटे से प्रश्न के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक यह प्रश्न है यह ऐसा नहीं है कि जिससे माननीय सदस्य के किसी कार्य का जो कि इस सदन में हुआ हो या इस सदन के सम्बन्ध का हो, ऐसा नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपकी अनुमति से मैं दो-एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं। अभी तक मेरा ऐसा अनुमान था कि यदि इस सदन का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य के विरुद्ध कोई ऐसी बात कहे जो कि अवांछनीय हो तो उसके लिये केवल अदालत ही एक शरण लेने का स्थान है। तो क्या श्रीमन्, मैं यह जान सकता हूं अभी कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि प्रेस में जहां नोटिस छपा हो इन सब का नाम भी यदि याद दिलाया जा सकता हो तो क्या अदालत में तथा इस सदन में यदि किसी सदस्य के विरुद्ध कोई सदस्य नित्य प्रति बहुत ही गलत, अवांछनीय झूंठी बातें कहता हो तो क्या वह मामला अब अदालत में न ले जाकर आपके सामने लाना चाहिये और क्या उन मामलों को आपकी सेवा में लाया जा सकता है।

और दूसरी बात यह है कि यदि इस प्रकार के तर्क पब्लिक मीटिंग में कहे जाते हों तो फिर हम लोग दफा ५०० का जो कुछ विधान है जिसमें प्रेस के नोटिस और जो भी चीजें उस सम्बन्ध में सम्मिलित हैं, उन सब बातों को क्या आपकी सेवा में पेश करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न पूछने का समय नहीं है। आप अपनी राय देना चाहें तो दें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, मेरा तो केवल यही सुझाव है कि अभी तक हमारी जानकारी केवल यही थी कि यह सब चीजें मानहानि की अदालत में ही आ सकती हैं। अन्यथा श्रीमन्, यदि आपकी ऐसी व्यवस्था हो जायगी तो फिर हमको भी आपके सामने इन चीजों को लाने का अवसर मिलेगा ?

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक उस प्रश्न का सम्बन्ध है जो मित्र परिपूर्णानन्द जी ने उठाया है मैं समझता हूं कि वह एक गलत विचारधारा उनकी है। इस विधान सभा और हर विधान सभा के सदस्यों का विशेषाधिकार है और वे उनके प्रति जो कुछ भी उनके विशेषाधिकार की अवहेलना हो उसके सम्बन्ध म वह आपको कष्ट दें, और यह उनका पूर्ण अधिकार है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। जहां तक प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, मैं तो उनमें से हूं जिनका कि यह विचार है कि विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में हमारे अध्यक्ष की जो राय हो उसी के अनुसार काम होना चाहिये। आपने आज ही तीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की कि किसी भी सूरत से उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। हमको मान्य है। उसी प्रकार आपने यह विचार प्रकट किया कि सम्भवतः किन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध उठ सकता है। पिछली दफा जो हमारी मीटिंग हुयी थी उस समय भी मैंने यही विचार प्रकट किया कि आपके हृदय में कोई शंका उत्पन्न हो जाय तो यह आपका पूर्ण अधिकार होना चाहिये कि उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर सकें। और आपने जब यह शंका हमारे सामने रख दी कि सम्भवतः इस घटना से विशेषाधिकार का प्रश्न किन्हीं व्यक्तियों पर उठ सकता है तो इस सम्बन्ध में हमें, इस सदन के सदस्यों को, आपकी उस शंका का मान करना चाहिये और उसी के आधार पर इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। राधामोहन सिंह जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

ने इलेक्शन पेटीशन का प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह असंगत बात है। यदि इलेक्शन पेटीशन में चाहे यही बातें क्यों न उठायी गयी हों और भले ही निर्णय हो चुका हो फिर भी दुबारा उसी आधार पर जो इलेक्शन पेटीशन के सम्बन्ध में जिन ग्राउन्ड्स के ऊपर पेटीशन किया गया था, यदि उसको दुबारा दोहराया जाता है तो दुबारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है। और उसी के सम्बन्ध में यदि आपको कष्ट दिया जा रहा है तो वह फिर दुबारा हमारे जूरिस्डिक्शन में आ जाता है। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि क्योंकि आपको कुछ शंका है और यह न हो कि इस सदन का कोई भी सदस्य यह समझे कि उसकी जो शिकायत थी उस पर पूर्णतः विचार नहीं हुआ, इसलिये मैं समझता हूं और आपसे यही मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, आपकी व्यवस्था दिये जाने के बाद मुझे आज यह प्रतीत नहीं होता था कि किसी प्रकार के विवाद की आवश्यकता है क्योंकि आज आपने मेरे विचार से एक विशेष पद्धति अपनायी। मुझे अच्छी तरह याद है और मैं आपका और सदन का ध्यान इस सदन में जो पहले प्रिविलेजेज के मामले में परम्परा अपनायी गयी थी उनकी ओर भी दिलाना चाहता हूं। हमारे नियमों के अनुसार आपको जो अधिकार प्राप्त हैं उनके अनुसार किसी भी प्रिविलेज के मामले के दो स्टेज होते हैं। एक तो स्टेज वह होती है जो स्पीकर महोदय अपनी कंसेन्ट की स्टेज कहते हैं, इजाजत देने की स्टेज, जिसमें कि आप जगन्नाथ मल्ल जी को इजाजत देते हैं और दूसरी वह स्टेज जिसमें कि इजाजत देने के बाद वह इन आर्डर है या नहीं इस बात की इजाजत देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आज से दो वर्ष पहले आपने मेरे और गेंदा सिंह जी के मामले में पहले केवल इतना ही कहा था कि अब आप अपना मोशन पेश करें और पेश करने के बाद प्राइमाफेसी केस की रूलिंग दो दिन बाद दी थी। लेकिन आज आपने बहुत कृपा पूर्वक कंसेंट भी एक साथ ही दे दी और कंसेंट दे देने के बाद आपने यह भी रूलिंग दे दी कि प्राइमाफेसी केस मेड आउट हो गया है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसमें अब जरा गलतफहमी हो गयी है। प्राइमाफेसी केस बन सकता है, यह सवाल था। बन गया है, यह मैंने नहीं कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरे ऊपर ऐसा ही प्रभाव पड़ा कि प्राइमाफेसी केस बन गया।

श्री अध्यक्ष---मैं अपने दिल में चाहे कुछ भी सोच लूं लेकिन मैंने उसी तरह से प्रश्न रखा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो श्रीमन्, मैं तो आपसे पूर्णतया सहमत हूं। जो आपने अपने विचार व्यक्त किये कि बन सकता है तो मैं समझता हूं कि वह बन सकता है, एक प्रकार से बन ही गया है। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो सवाल उठाया अगर "मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" को उन्होंने पढ़ लिया होता, पढ़ा उन्होंने जरूर होगा लेकिन आज वह शायद हम लोगों की परीक्षा यहां ले रहे हैं, तो अगर वह उसको दुबारा पढ़ लें तो माननीय परिपूर्णानन्द जी प्रथम व्यक्ति होंगे जो इस सम्बन्ध में चाहेंगे कि स्पष्टीकरण हो जाय और स्पष्टीकरण होने के बाद जो भी नतीजा निकले उसको माना जाय। श्रीमन्, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में एक नहीं कई जगह इसके उद्धरण दिये हुये हैं जिनमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस प्रकार के लाइबिल कोर्ट के बाहर भी असेम्बली या पार्लियामेंटरी में पेश किये जा सकते हैं। मैं आपकी इजाजत से चूंकि उन्होंने सवाल उठा दिया है इसलिये पहले तो माननीय परिपूर्णानन्द जी का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ११७ की तरफ ले जाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है :---

"Reflections upon Members, the particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House."

यह पेज ११७ में है। अब जरा पेज १२४ पर देखें श्रीमन्, उसमें हेडिंग है--

ACTS TENDING INDIRECTLY TO OBSTRUCT MEMBERS IN THE DISCHARGE OF THEIR DUTY

इसमें लिखा हुआ है--

"Conduct not amounting to a direct attempt to influence a member in the discharge of his duties, but having a tendency to impair his independence in the future performance of his duty, will also be treated as a breach of privilege."

तीसरा १२५ पेज पर है, इसमें लिखा हुआ है--

"Reflections upon Members—Analogous to molestation of members on accouut of their behaviour in Parliament are speeches and writings reflecting upon their conduct as Members. On 26th February 1701, the House of Commons resolved that to print or publish any libels reflecting upon any member of the House for or relating to his service therein, was a high violation of the rights and privileges of the House."

यह १७०१ से वहां चला आ रहा है हाउस आफ कामंस में और यह याद रहे माननीय परिपूर्णानन्द जी को हमारे प्रिविलेजेज वही हैं जो हाउस आफ कामंस के हैं। आगे चलकर और साफ कर दिया गया है --

"Written imdutations, as affecting a member of Parliament, may amount to breach of privilege, without, perhaps,being libels at common law."

इसका अर्थ जहां तक मैं समझता हूं यह है कि चाहे कोर्ट के सामने लाइबल हो या न हो लेकिन जो कोर्ट के सामने लाइबल नहीं है उनको भी हाउस डिफेमेटरी मान सकता है। इसमें आगे चल कर लिखा हुआ है, श्रीमन्,

"but to constitute a breach of privilege a libel upon a Member must concern the character or conduct of the Member in that capacity and the conduct or language on which the libel is based must be actions performed or word suttered in the actual transaction of the business in the House."

इसका उदाहरण मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में कर दिया गया है। तो यहां पर ठीक आपने 'ईश्यू' को 'क्लिंच' कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि अवैधानिक अनैतिक कार्य जिनको स्पष्ट नहीं किया वे कार्य कहीं भी हो सकते हैं। वह हाउस के अन्दर प्रोसीडिंग्स भी हो सकते हैं। उसमें लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा होता कि निन्दा की गयी ऐसे कार्यों के लिये जो बाहर के हैं तब तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता, लेकिन जब इसमें शब्द "प्रतिनिधि" लिखा हुआ है तो वह तो यहां के लिये है और विधि सम्बन्धी कार्य तो विधान सभा में होता है, विधान के प्रश्न बाहर नहीं उठा करते। यदि इस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे तो माननीय राधामोहन सिंह और माननीय परिपूर्णानन्द जी अवश्य इसको मानेंगे। तो फिर हो सकता है कि सदन में भी अनैतिक कार्य के लिये कहा गया हो। तो पार्लियामेंटरी प्रोसीजर क्या है? चूंकि उन्होंने सारे कार्यों को एक 'आम्नीबस' तरीके से कह दिया है कि इनके कार्य अनैतिक रहे हैं इसलिये वह 'ऐक्चुअल ट्रांजेक्शन आफ बिजनेस इन दि हाउस' के अन्दर भी आ जाता है। उनकी अस्पष्टता ही उसको साबित करती है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में पेज १२७ पर लिखा है:

"Both Houses will punish not only contempts arising out of facts of which the ordinary courts will take cognizance, but those of which they cannot, such as contemptuous insults, gross calumny or foul epithets by words or mouth not within the category of actionable slander or threat of bodily injury."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसमें बिलकुल स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो कार्य के दायरे के बाहर हैं उन पर दोनों हाउसेज दंड दे सकते हैं।

अन्त में जो सब से महत्वपूर्ण कोटेशन है वह पेज १४२ में है और मैं समझता हूं कि यह और भी ज्यादा रेलेवेंट है ---

"Where complaints have been made that, according to a report in the newspaper, defamatory statements concerning the House or some Member have been made at a meeting, public or other, or that threats have been uttered against a Member, the House, has sometimes resolved that the words or other act reported to have been spoken or done constitute a breach of the privileges of the House."

तो इसमें सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं। एक सम्मेलन होता है, वहां पर डिफेमेटरी स्टेटमेंट, निन्दात्मक भाषण दिये जाते हैं और थ्रेट दी जाती है तो ऐसे मामलों में हाउस आफ कामंस ने उनको ब्रीच आफ प्रिविलेज निश्चित किया है। तो जब हमें इतने सबूत मिलते हैं हाउस आफ कामंस के तो मैं हर प्रकार से उचित समझता हूं कि इस मामले के स्पष्टीकरण हेतु प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। अगर ब्रीच आफ प्रविलेज का केस बनता हो तब कार्यवाही की जाय, मैं यह नहीं कहता कि इसको मान ही लिया जाय। हो सकता है विशेषाधिकार भंग न हो। वहां पर इस पर विचार होने के बाद अगर ब्रीच आफ प्रिविलेज साबित न होता हो तो दूसरी बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राइमाफेसी केस को तय करना। तो आपने जो ब्रीच आफ प्रिविलेज हो सकता है यह निर्णय किया था वह उचित है। यदि "हो सकता है" का परिणाम "हो जाना चाहिये" निश्चित करें तो बड़ा अच्छा है।

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह) --अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत डेलीकेट प्रश्न है और जो तीन चार तरीके जिससे कि यह प्रश्न इस आदरणीय सदन में आ सकता है, उनमें से यह "आन कम्प्लेंट फ्राम ए मेम्बर" जो है वह बहुत डेफिनिट है। तो एक मेम्बर की शिकायत पर जो प्रश्न इस सदन के सामने आया तो उस कम्प्लेंट तक सीमित हो गया। जिनके खिलाफ कम्प्लेंट है, जिन जिन ग्राउन्ड्स पर कम्प्लेंट है उन पर बात लिमिट हो गयी। तो फिर अब यह कहना कि प्रेस वाले भी इसमें आयेंगे तो मेरे ख्याल में वह सवाल नहीं रहता।

दूसरा प्रश्न एक और है जिसकी चर्चा अभी मेरे मित्र ने की कि यह 'बेनीफिट आफ डाउट' की बात है। मेरी डिफीकल्टी यह है कि कोई चीज पढ़ी गयी एक कांफ्रेंस में और उसमें किसी अनैतिकता की चर्चा की गयी। अब यह सही होते हुये कि उसके दो इंटरप्रिटीशन हो सकते हैं कि सदन के अन्दर और बाहर। मेरी दिक्कत यह मालूम होती है कि जब कागजात के अलावा उनका स्पष्टीकरण करने वाला केवल मुलजिम हो सकता है और कोई जरिया नहीं है बढ़ाने और घटाने का। अगर केवल मुलजिम ही स्पष्टीकरण कर सकता है तो यह कहकर कि मेरा मतलब सदन के अन्दर की कर्यवाही से था या बाहर से था तो सारी कार्यवाही उसी मुलजिम पर निर्भर हो गयी जबकि सदन का कीमती समय लग रहा है। अगर यह मामला कमेटी में जाय तो वह यह कहे कि हमारा मंशा यह नहीं था कि सदन के अन्दर या बाहर तो सारा मजाक ही बनकर रह जायगा।

मैं नहीं जानता कि इस बिना पर कोई कम्प्लेंट हो सकती है या नहीं। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो चर्चा की थी वह तो वैसे ही एक चीज थी, लेकिन सवाल क्या है? क्या कोई दावा दायर हो गया है, अगर हो गया है तो वह कांकरेंस है या बेनीफिट आफ डाउट है या दोनों चलते रहेंगे या क्या होगा तो नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। मेरा निवेदन यह है कि इन सब बातों को देखकर इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जाय, क्योंकि जो शब्द

है वह इतने वसीअ और गोल मोल हैं कि आप कुछ निकाल नहीं सकते हैं कि इसमें बेनीफिट आफ डाउट है या क्या है ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, जो ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठाया गया है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आये दिन हमारे महामान्य राज्यपाल से लेकर प्रमुख प्रमुख मंत्रियों को चौराहे पर गालियां दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह अप्रासंगिक है, विषय से संबंधित नहीं है।

श्री शिवनारायण—मेरा सुझाव यह है कि जैसे सदन के बाहर कांस्टीट्यूशन के अनुसार हर पब्लिक को राइट है कि वह अपने विचार प्रगट कर सके। अगर हमारा सारेल ठीक नहीं है तो पब्लिक से नोटिस मिल सकता है। आये कांग्रेसी तथा अपोजीशन के मेम्बरों को लोग चोर कहते हैं, गालियां बकते हैं। डेमोक्रेसी में अधिकार दिया गया है। अगर इस तरह से ब्रीच आफ प्रिविलेज के सवाल चलते रहें तो सदन का और आपका काम नहीं चल सकता है। पेपर्स में मैंने पढ़ा है सो काल्ड मेम्बर यानी निश्चित चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल उठता नहीं है। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि काफी प्रकाश माननीय सदस्यों द्वारा डाल दिया गया है। जहां तक इसमें प्राइमाफेसी, विशेषाधिकार की अवहेलना हुई, इस विषय का निश्चय करना है, उसके विरोध में खास बात यह कही गई कि माननीय सदस्य के जो कार्य हैं वे सदन के बाहर के या अन्दर के, सम्बन्धित भाषण से स्पष्ट नहीं है कि किस ओर वक्ता का संकेत था तो बैनीफिट आफ डाउट का यानी शंका का फायदा मुलजिम को मिलना चाहिये इस लिये यह मामला न चलाया जाय। यहां पर मैं समझता हूं कि यह तो वाक्य से शंका पैदा होती है कि वे कार्य के अन्दर के हो सकते हैं या बाहर के। अभी मुलजिम ने कुछ नहीं कहा है। सम्भव है वह कह सकता है कि मेरा दोनों से मतलब है तो बैनीफिट आफ डाउट का सवाल पैदा नहीं होता है। फिर तो वह कबूल ही करता है यह माना जायगा। तो जहां मुलजिम यह कबूल कर सकता है कि मैंने सदन के अन्दर की कार्यवाही के बारे में भी कहा तो उस वक्त बेनिफिट आफ डाउट अपने आप मुल्जिम के कहे बगैर हम उसको दे दें, यह बात अनुचित होगी। वह तो उस स्टैज पर बैनिफिट आफ डाउट आ सकता है जब मामले में पूरा एविडेन्स समाप्त हो जाय और फिर शक हो जाय कि उसने विशेषाधिकार की अवहेलना की या नहीं की तब कहीं यह सवाल पैदा हो सकता है। तो आप से यह कहना चाहता हूं कि जो तर्क बताया गया वह तर्क इसके लिये लागू नहीं होता। जहां तक श्री फूलसिंह जी ने यह कहा कि जो चीज मुल्जिम कमेटी के सामने कहेगा उसी पर निर्णय निर्भर रहेगा और यदि मुल्जिम ने इन्कार कर दिया तो मामला खत्म हो जायगा। इस सम्बन्ध में यह क्यों माना जाय कि मुल्जिम इन्कार ही कर देगा। अगर उसके दिल में यह बात थी कि उस वक्त माननीय सदस्य की इस सदन के अंदर की कार्यवाही में अवैधानिकता या अनैतिकता थी तो वह कबूल कर सकता है और सच भी बोल सकता है। मैं समझता हूं कि मनुष्य ऐसे भी बहादुर हो सकते हैं कि वह कहें कि हां, मैंने कहा, मैंने गलती की, मैं माफ़ी चाहता हूं। वह माफ़ी भी मांग सकता है और मैं समझता हूं कि इस सदन के बहुत से सदस्य मुल्जिम के माफी मांगने पर माफी दे भी देते हैं। इससे और इस प्रश्न से कि प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं, मैं समझता हूं सम्बन्ध नहीं है इस सदन के विशेषाधिकार के बारे में यह हमारे सदन का कर्त्तव्य है, मेरा भी विशेष कर्त्तव्य है। और हर एक माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह हर एक सदस्य के सम्मान की रक्षा करे नहीं तो सदस्यगण अपने विचारों को हर जगह स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट नहीं कर सकते। इस सदन की सर्विस के लिये यह आवश्यक है कि उसकी और उसके सदस्यों की इज्जत समाज में कायम रहे और गैरवाजिबी तौर पर उस इज्जत के ऊपर आघात न हो। सही बात होतो सही तरीके

[श्री अध्यक्ष]

से उसके ऊपर हमला होना चाहिये। लेकिन गैरवाजिबीतौर पर किसी सदस्य पर आक्षेप हो कर उसकी इज्जत अगर घट जाती है तो मैं समझता हूं कि सदन की इज्जत के ऊपर उससे धक्का लगता है।

तो विशेषाधिकार के जो प्रश्न आते हैं उनको इतना महत्व हमको देना चाहिये। इस दृष्टि से उन प्रश्नों को देखना चाहिये कि हर एक सदस्य का अगर अपमान इस तरह से होता है तो उसकी जहां तक हो रक्षा करने का प्रयत्न हम करें और यदि पीछे तथ्य उसके खिलाफ मालूम हो तो उस सदस्य के खिलाफ भी कार्यवाही उतनी सख्ती से हम लोग करें। क्योंकि उसके कार्य से भी इस सदन का अपमान होगा। यदि कोई ऐसा सदस्य हमारे बीच में है जो अनैतिक या अवैधानिक बात करता है और इस सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो ऐसी अवस्था में जो वाक्य वहां कहे गये और जो बहुत गोलमाल से कहे गये उनसे जनता की दृष्टि में यह आ सकता है कि ऐसे अनैतिक कार्य करने वाला एक सदस्य है। और अगर यह विश्वास या शंका पैदा हो जाय जनता को कि सदन के अन्दर भी उसने ऐसे कार्यों को किया है तो मैं समझता हूं कि जो शंका उसके वाक्यों से जनता के मन में उत्पन्न हो गई हो उस विषय की छानबीन होना आवश्यक हो जाता है और छानबीन करने के लिये ही यह विशेषाधिकार समिति है। समिति किसी विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं इस पर राय देती है। अगर वह राय सदन के पास आती है और सदन उस पर विचार करता है और सब एविडेन्स पर गौर कर लेने के बाद निर्णय देता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं। समिति कोई अन्तिम निर्णय नहीं देती। ऐसी अवस्था में इस समय मुझे केवल प्राइमाफ़ेसी केस बनता है या नहीं इसी बात का निर्णय देना है। मैं समझता हूं कि जहां तक मैंने शब्दों को पढ़ा तो राधामोहन सिंह जी का यह कहना कि केवल चुनाव के सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई उसी की तरफ भाषण में संकेत है या इससे स्पष्ट नहीं होता। उसकी तरफ भी संकेत होता है और अन्य कार्यों की तरफ भी संकेत होता है। मैंने दो तीन दफ़ा उसको पढ़ा। यह हो सकता है कि बाहर के कार्यों के लिये ही संकेत हो उसके लिये मैं दिल में और अन्दर के कार्यों के लिये न हो लेकिन उनके लिये भी हो सकता है। तो केवल चुनाव के सम्बन्ध में संकेत था यह बात मुझे सही प्रतीत नहीं होती है और कार्यों के लिये भी संकेत हो सकता है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि यह जो प्रश्न रखा गया है वह इन आर्डर है और मैं उसे आज जांच के लिये विशेषाधिकार समिति के लिये सुपुर्द करता हूं और अपनी राय देने के लिये और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये। यह समिति अभी इस सेशन के लिये निर्मित नहीं हुई है। तो मैं कल उसका निर्णय कर दूंगा और उसका एलान कर दूंगा और उस समिति के सामने यह प्रश्न जायगा।

श्री रामलखन एम० एल० ए० की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—एक और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न रखा गया था श्री रामलखन, एम० एल० ए० की गिरफ्तारी के बारे में। श्री राजनारायण जी का कहना है कि श्री रामलखन जी को दो घंटे के लिये गिरफ्तार किया और उसके बारे में मुझे मैजिस्ट्रेट ने सूचना नहीं दी। जो अध्यक्ष को गिरफ्तारी की सूचना दे देनी चाहिये थी वह नहीं दी गई। इसके सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि गिरफ्तारी हुई या नहीं। तो मैंने यह जानने की कोशिश की है पहले सरकार की तरफ से कि इसके सम्बन्ध में उनका क्या कहना है, गिरफ्तारी हुई या नहीं। जब उनका उत्तर उस विषय में आ जायगा तो इस प्रश्न को मैं ले लूंगा। फिलहाल मैं दूसरी तरफ की जानकारी हासिल करना चाहता हूं और बगैर उसकी जानकारी प्राप्त किये मैं इसके ऊपर इस वक्त कोई निर्णय नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, क्या मुझसे भी कुछ पूछा जायगा?

श्री अध्यक्ष—जी हां, लेकिन सरकार का उत्तर आने के बाद ही। आप कृपा करके इस वक्त बैठें। अब मैं इस वक्त इस प्रश्न को नहीं ले रहा हूं।

बनारस में १० जून को हुई घटना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कामरोको प्रस्ताव तीन चार हैं जो कल बाकी रह गये थे और एक नया जो आज आया है। उनमें से श्री राजनारायण जी का जो कामरोको प्रस्ताव है मुझे उसके सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि उनके जो प्रस्ताव आते हैं वे कभी कभी प्रस्ताव की वैधानिक शकल में नहीं आते हैं। यह मुझे दुख है। मैं कई दफे पहले भी कह चुका हूं। पहले भी एक दफा उन्होंने एक अविश्वास का प्रस्ताव भेजा था जिसे उस वक्त भी मैंने इसी कारण मंजूर नहीं किया था। इसी तरह से कामरोको प्रस्ताव भी जिसमें बहस हो और उसमें बहुत सी बातें लिखी गयी हों अन्य प्रस्तावों की तरह वह भी स्वीकृत नहीं हो सकता। तुलना के लिये श्री नारायणदत्त तिवारी जी का प्रस्ताव है उसकी शक्ल आप देख लीजिये। वह यह है—"यह सदन जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के पश्चिम जिलों व कुमायूं डिवीजन में विशेषकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, बरेली, मेरठ तथा अल्मोड़ा जिलों में भयंकर वर्षा एवं बाढ़ से हुई जानमाल की भारी हानि से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" यह तो प्रस्ताव की सही शकल हुई। श्री राजनारायण जी के प्रस्ताव का प्रारम्भ इस प्रकार से है—"भारतीय संविधान तथा अस्पृश्यता कानून सन् १९५५ में हरिजनों को सार्वजनिक पूजागृह, मन्दिरों में प्रवेश का अधिकार सुरक्षित रहते हुये भी गत १० जून को बनारस में फलां-फलां बातें हुईं और मेरी दाढ़ी खींची गयी और अन्य चीजें की गईं। इस प्रकार एक चिट्ठी की तरह शिकायत लिख दी गयी है और अंत में प्रस्ताव की शकल इस प्रकार आती है कि अतः यह सदन सरकार के कर्मचारियों द्वारा बरती गयी अवैधानिक तथा गैर-कानूनी कार्यवाहियों पर विचार करना जनहित की दृष्टि से आवश्यक तथा महत्वपूर्ण समझते हुये अपना कार्य स्थगित करता है।" इतनी बहुत सी बातें इस प्रस्ताव में बयान की गयीं परन्तु उसमें श्री राजनारायण जी का नाम भी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस शकल में उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये दुरुस्ती के लिये मैं उनके पास वापस भेजता हूं। वह अगर दुरुस्त कर के भेजेंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मेरा निवेदन है कि फार्म तो आप स्वयं दुरुस्त कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं दुरुस्त करता तो आध घंटे में भी दुरुस्त नहीं कर सकता था। मुझे भाषा बदलनी पड़े और लम्बा प्रस्ताव हो तो मुझे दिक्कत मालूम होती है। इसलिये मैंने ऐसा कह दिया है।

पश्चिमी जिलों व कुमायूं डिवीजन में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा आज का जो श्री राजनारायण जी का दूसरा कामरोको प्रस्ताव है उसके बारे में भी, क्योंकि उसी तरह का वह भी है, उसको भी मैं उनको वापस करता हूं।

अब श्री नारायण दत्त तिवारी जी का जो प्रस्ताव है वह इस प्रकार है—"यह सदन जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के पश्चिमी जिलों व कुमायूं डिवीजन में विशेष कर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, बरेली, मेरठ तथा अल्मोड़ा जिलों में भयंकर वर्षा एवं बाढ़ से हुई जानमाल की भारी हानि से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" मुझे यह अर्जेंट मालूम होता है और महत्वपूर्ण है और निश्चित भी

[श्री अध्यक्ष]

मुझे दिखाई देता है । मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि उन्हें कोई आक्षेप है इस विषय में ?

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)—जी, मुझे यह अर्ज करना है कि आप अभी चूंकि राय जाहिर कर चुके हैं कि गंभीर भी है, अर्जेंट भी है इसलिये मुझे कुछ कहते हुये हिचकिचाहट होती है ।

श्री अध्यक्ष—मैंने आप को इसलिये इशारा किया कि मेरे पास आपने एक वक्तव्य देने के लिये भेज दिया है । उसका जिक्र आप कर सकते हैं ।

श्री चरणसिंह—वह तो मैं करने वाला था ।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये मैंने उसका संकेत कर दिया ।

श्री चरणसिंह—वह तो फ्लड के सिलसिले में या वाटर लागिंग के सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने किया है और जो मौजूदा स्थिति है उसके सम्बन्ध में यह एक बयान हाउस के सामने रख दिया गया है

श्री अध्यक्ष—आप वह बयान देना चाहते हैं ?

श्री चरणसिंह—आप कहें तो मैं पढ़ दूं । वह तो सब के सामने है । मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । उसमें गवर्नमेंट ने जितना कर सकती थी किया है, वह अर्जेंट भी नहीं है और गम्भीर भी नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्री रामनारायण जी का भी कामरोको प्रस्ताव है और वह कल ही आ गया था ।

श्री अध्यक्ष—इसी प्रकार का दोनों ही का है । श्री रामनारायण जी का कल का है और नारायणदत्त जी का भी कल ही का है । मैं समझता हूं कि एक ही विषय पर है, जिसका पहले आना है उसका ही मैं बुलाऊंगा ।

श्री राजनारायण—मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप उनकी भाषा भी पढ़ दें तो मालूम हो जाय कि किस विषय में कैसा प्रस्ताव लिखा जाता है । वह भी मेरा ही लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष (श्री नारायणदत्त तिवारी से)—आप को कुछ कहना है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि पिछली जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो पश्चिमी जिलों के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई उस के कारण वहां अत्यधिक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी । अगर आप आज्ञा दें तो माननीय मन्त्री जी ने जो बयान आज सदन की मेज पर रखा है उसकी पहली और दूसरी लाइन.....

श्री अध्यक्ष—उसके ऊपर आप बहस न करें । मैंने आपको अनुमति मांगने के लिये इजाजत नहीं दी । वह वक्तव्य देना चाहते हैं । क्या इससे आप अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं या उस पर स्टिक करना चाहते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले वह अपने वक्तव्य दे तो दें ।

श्री अध्यक्ष—आप चाहते हैं कि वह वक्तव्य दे दें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उनका वक्तव्य देने के बाद अगर हम समझेंगे कि कुछ कमजोरी रह गई तब तो विवाद होगा ।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप को इसके बारे में कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री राजनारायण—हमने भी तो इस बात पर कामरोको प्रस्ताव दिया था और कल दिया था और आप ने उसको करीब-करीब देखा भी था और पढ़ा भी था और आप ने कहा था कि उसकी भाषा बिलकुल ठीक है। तो मैं आप से यह निवेदन करता हूं कि मुझे भी कुछ मौक़ा दिया जाय उसके सम्बन्ध में कुछ बात कहने के लिये।

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा जो है श्री रामनारायण त्रिपाठी का कामरोको प्रस्ताव, उसको भी मैं सुना देता हूं—

"उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों खासकर मुज़फ़्फ़रनगर, सहारनपुर, मेरठ आदि में अति भयंकर वर्षा से अपार क्षति पहुंची है, धन तथा जन की हानि हुई है। गत ३० जून से आरम्भ होकर २ जुलाई तक जो भयंकर वर्षा हुई है उसने अपार धन-जन का नुकसान किया है।

इस सम्बन्ध में सरकार की असफलता से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

तो शाब्दिक थोड़ा सा अन्तर दोनों के प्रस्तावों में है, लेकिन विषय एक ही है और उस पर विचार करने के लिये सदन का कार्य स्थगित करने का दोनों का उद्देश्य है। इनमें से नारायणदत्त जी का पहले आया था इसलिये मैंने सिर्फ उसको ही विचारार्थ लिया, विषय एक होने के कारण तो यह नारायण दत्त जी का ही कामरोको प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है। अब इस विषय में श्री नारायणदत्त जी का कहना यह है कि वे वक्तव्य सुन लें उसके बाद यह कहेंगे कि आया वे प्रस्ताव को प्रेस करते हैं या नहीं। तो पहले माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें फिर मैं भी इस विषय में अपना निर्णय दे दूंगा। इसके बाद वक्तव्य होने पर श्री नारायणदत्त तिवारी अपना निर्णय करेंगे कि वे इसको प्रेस करते हैं या नहीं।

चकबन्दी योजना के अन्तर्गत अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण नीति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक और कामरोको प्रस्ताव श्री टीकाराम जी का है। वह चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में है। उसके अनिश्चित होने के कारण मैं उसको अवैध करार देता हूं।

मन्त्रिमण्डल में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में भी जो श्री राजनारायण जी ने दिया है मैं उसको उनको वापस कर रहा हूं। जो प्रस्ताव की शकल होती है उस शकल में वह उसको उपस्थित करने की कृपा करें। इसमें जो बहुत से आरगुमेंट्स और बहुत सी चीजें आ गयी हैं उस शकल में वे न रहें। इसलिये मैं उसको वापस करता हूं और ठीक शकल में आने पर मैं बाद को उस पर निर्णय दूंगा।

पश्चिमी जिलों व कुमायूं डिवीजन में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री रामनारायण त्रिपाठी का कामरोको प्रस्ताव कार्यालय में कब पहुंचा और श्री नारायणदत्त तिवारी का कब पहुंचा ?

श्री अध्यक्ष—आपका कहना सही है। हमारे कार्यालय में ठीक स्थान पर उसे नत्थी करने में ग़लती हो गयी है। पहले श्री रामनारायण त्रिपाठी का आया है पहले वही लिया जाना था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप के दफ्तर में हमारे बारे में बराबर ऐसी बातें हुआ करती हैं। मैं उसका कारण समझता हूं और मैं उसको कभी निवेदन करूंगा। मगर इस समय यह कहे देता हूं कि हमारे साथ बराबर इस तरह का व्यवहार होता है। इसलिये मैं श्रीमान् से.....

श्री अध्यक्ष—मैं जांच करूंगा। इसमें श्री रामनारायण त्रिपाठी को प्रस्ताव की प्राप्ति का टाइम १०-४० का है और श्री नारायणदत्त तिवारी का टाइम १०-४५ है। तो मैं बाद में इसको देख लूंगा।

(कुछ ठहर कर)

अब माननीय माल मंत्री अपना वक्तव्य देने की कृपा करें।

मालमंत्री (श्री चरणसिंह)—पिछले वर्षों की घटनाओं के विपरीत जब कि पहले-पहल पूर्वी जिलों में बाढ़ें आती रहीं हैं, इस वर्ष पश्चिम के जिलों में जुलाई के पहले हफ्ते में भारी वर्षा शुरू हुई। मुजफ्फरनगर और मेरठ में पहिली और दूसरी जुलाई को इतनी भारी वर्षा हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर में इन दो दिनों में तीस इंच तक वर्षा हो गई जो कि उसके पूरे साल की औसत वर्षा है। मेरठ जिले की मवाना तहसील में पहिली जुलाई की रात को सात इंच पानी बरसा। देहरादून में ३० जून और पहिली जुलाई को ७.३८ इंच पानी बरसा। सहारनपुर जिले की देवबन्द तहसील में २ जुलाई को ७.७९ इंच वर्षा हुई। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भारी वर्षा होने की वजह से बहुत बड़े क्षेत्र में पानी जमा हो गया और हिंडन नदी में बाढ़ आ गई।

२—मुजफ्फरनगर शहर के बहुत बड़े भाग में ४ फुट से ६ फुट ऊंचाई तक पानी भर गया, गांवों के क्षेत्रों की हालत इससे भी ज्यादा खराब थी और बहुत से गांव बह गये। बहुत बड़ी संख्या में मकानात गिर गये और मुजफ्फरनगर के ५ मील दक्षिण में रेल का एक पुल बह गया। मेरठ-मुजफ्फरनगर सड़क २५० फुट की लम्बाई तक टूट गई और इसके साथ ही मेरठ से यातायात के सभी जरिये बन्द हो गये। मुजफ्फरनगर-सहारनपुर सड़क भी टूट गई। केवल रुड़की से ही मुजफ्फरनगर के बाहरी यातायात का सम्बंध बना रहा यद्यपि वह सड़क भी कई स्थानों पर पानी से भरी हुई थी। हिंडन नदी की बाढ़ की वजह से मेरठ जिले के गाजियाबाद परगने के ३५ गांव और बुलन्दशहर जिले के कुछ गांव बाढ़ के पानी से भर गये। गाजियाबाद और देहली के बीच में ग्रांड ट्रंक रोड बाढ़ के पानी से तीन जगहों पर लगभग दो फर्लांग तक टूट गई जिसकी वजह से उस सड़क पर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया लेकिन आज सूचना मिली है कि एक अस्थायी पुल बना दिया गया है और आमदरफ्त जारी हो गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (P.W.D.) के अधिकारियों ने हिंडन नदी के पुल को, जो मेरठ जिले की बागपत तहसील को उस जिले के अन्य भागों से मिलाता है, असुरक्षित होने का एलान कर दिया और उसे यातायात के लिये बंद कर देना पड़ा।

३—सब से ताजी खबरों से यह मालूम हुआ है कि मुजफ्फरनगर के १२० वर्गमील क्षेत्र में बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मुजफ्फरनगर शहर इस क्षेत्र के बिल्कुल बीच में स्थित है। ४३ गांव पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जिन गांवों पर बाढ़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है उनमें ६,००० मकान बिलकुल गिर गये हैं, जिसकी वजह से ३५,००० आदमी बे घरबार हो गये हैं। बहुत से गांवों में ८० फीसदी मकान गिर गये हैं। शहर में करीब ५०० मकानात गिर गये हैं। मुजफ्फरनगर में नई मंडी के ज्यादातर पक्के मकानों में ४ फुट तक पानी आ गया था और उनको नुकसान हुआ है। नई मंडी में २४० खत्तियों में पानी भर गया था जिसकी वजह से बहुत

बड़ी मिकदार में अनाज खराब और जाया हो गया है। मवेशियों, फसलों और जमा किये हुये अनाज की बहुत भारी क्षति हुई है। अभी तक केवल ५ ही आदमियों के मरने की खबर मिली है। इस जिले में ३ जुलाई से प्रायः बिल्कुल वर्षा नहीं हुई और मौसम के बहुत साफ होने और बादलों के न रहने की सूचना मिली है। जिले के अधिकारी बाढ़पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने में लगे हुये हैं। पम्पिंग सेटों के द्वारा अनाज की खत्तियों से पानी निकाल दिया गया है। पीड़ित व्यक्तियों को अनाज और अन्य जरूरी चीजें बांटी जा रही हैं। स्टेट सरकार की ओर से भारत सरकार से प्रार्थना की गयी है कि हजार टन गेहूं मुजफ्फरनगर भेजने की कृपा करे ताकि भाव बढ़ न जावें और १० हजार सीमेंट के बोरे और ८ हजार लोहे की चादरें आज या कल में जल्द वहां पहुंच जावेंगी। मुजफ्फरनगर शहर और गांवों में बहुत बड़ी मिकदार में नमक, गुड़, मिट्टी का तेल, कम्बल और सिरकियों इत्यादि के अलावा ६३० मन अनाज पहले ही जरूरतमन्द आदमियों को बांटा जा चुका है। शहर की १० सार्वजनिक इमारतों में १,२०० आदमियों को रहने की जगह दी गई। अभी तक किसी महामारी के फैलने की खबर नहीं मिली है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के साधनों के विस्तार के लिये हर तरह की कोशिश की जा रही है। सहायता-कार्य पूरे जोर पर है और सहायता-कार्यों में गैर-सरकारी आदमियों का भी सहयोग लिया गया है। अब स्थिति भली भांति काबू में है और शहर की हालत फिर से साधारण हो रही है। मुजफ्फरनगर-मेरठ सड़क अभी तक टूटी पड़ी है, किन्तु किश्तियों के जरिये काम चलाया जा रहा है। इसके मुताल्लिक़ खबर मिली है कि वहां भी एक टेम्पोरेरी पुल बन गया है।

४—मेरठ से प्राप्त खबरों से यह मालूम हुआ है कि गाजियाबाद के पास हिंडन नदी की बाढ़ कम हो रही है लेकिन ग्रांड-ट्रंक रोड के देहली-गाजियाबाद हिस्से पर अभी तक आवागमन जारी नहीं हो सका। अभी तक किसी आदमी या मवेशी के मरने की कोई खबर नहीं मिली है लेकिन ७४ मकानों के गिरने की खबर है। इसके मुताल्लिक़ मालूम हुआ है कि १५९ गांवों के बजाय ७४ का नुक़सान हुआ है और ३ मवेशी मरे हैं।

५—राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर जिले में अहेतुक सहायता देने और बाढ़ सहायता के कामों के लिये एक लाख रुपया मंजूर किया है। इसके अलावा ढाई लाख रुपये की रकम जिलाधीश को इसलिये दी गई है कि वह पीड़ित व्यक्तियों को तकावी और फिर से मकान बनवाने के लिये कर्जे दे सकें। मुजफ्फरनगर को बाहर के स्थानों से १०० वैगन भूसा भेजने का भी प्रबन्ध किया गया है। मुजफ्फरनगर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबन्ध में सहायता देने के लिये कई और मेडिकल आफीसर जरूरी सामान के साथ भेजे गये हैं। बाढ़-ग्रस्त लोगों के मकान बनाने के लिये नालीदार लोहे की चद्दरें और सीमेंट मुजफ्फरनगर को जल्दी भेजने के लिये कार्यवाही की गई है। मेरठ के जिलाधीश को बाढ़-सहायता-कार्य और जिले में अहेतुक सहायता देने के लिये २७,००० रु० दिया गया है। बुलन्दशहर के जिलाधीश को अहेतुक सहायता देने के लिये २,५०० रु० की रक़म दी गई है।

६—मुजफ्फरनगर और मेरठ के जिलों में बाढ़ की स्थिति पर काबू पाने के लिये सेना के प्राधिकारियों ने भी मोटर बोट, डक (ducks), पंपिंग सेट (pumping sets) तथा आदमियों के जरिये सहायता पहुंचाई।

७—राज्य सरकार के मुख्य मंत्री, एक मंत्री तथा दो उपमंत्रियों ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि बाढ़ पीड़ित लोगों को हर तरह की सहायता जो मुमकिन हो सके, जल्दी से जल्दी दी जा रही है, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

८—अल्मोड़ा जिले के पिथौरागढ़ परगने में २७ जून, १९५६ को भारी वर्षा के और जमीन के धंसने के कारण १६ आदमी और १२६ मवेशी मर गये। इसके अतिरिक्त फसलों को हुए भारी नुक्सान के अलावा १५ मकान और ३ छप्पर भी गिर गये जिसकी वजह से ५०

[श्री चरणसिंह]

परिवार बेघरबार हो गये। राज्य सरकार ने अहेतुक सहायता देने के लिये ५,००० रु० की धनराशि और गरीब लोगों को अपने मकानों को फिर से बनवाने के लिये राज्य सहायता के रूप में ५,००० रु० की रकम मंजूर की है।

९—सहारनपुर जिले में खासकर देवबन्द तहसील में जो जिला मुजफ्फरनगर से मिली हुई है, अभी हाल की भारी वर्षा से भारी क्षति पहुंची है। देवबंद तहसील में २ जुलाई, १९५६ को ७.७९ इंच वर्षा हुई। चमन मजरा गांव के सभी मकान बिलकुल गिर गये हैं और यमुना नहर की एक शाखा के टूट जाने से उस गांव और आबादी के स्थल में कमर तक पानी भर गया। इस गांव में एक आदमी और दो बच्चे मर गये और बाद में एक के बारे में और खबर मिली है। वहां के सभी लोगों को पड़ोस के गांव में भिजवा दिया गया है, जहां पर उनको रहने की जगह और खाना दिया गया है। मकानों के गिरने के कारण दूसरे गांवों में भी कुछ आदमी मरे हैं। बाढ़ से पीड़ित लोगों को अहेतुक सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने १३,००० रु० की रक़म स्वीकृत की है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बाढ़ नहीं कही जा सकती। इसको तो लोकल रेन या मुकामी वारिश ही कह सकते हैं, क्योंकि यह बाढ़ नदियों और नालों में नहीं आयी बल्कि मुजफ्फरनगर शहर को केन्द्र मानकर ६—७ मील के रेडियस में बड़ी भारी वारिश हुई और उससे नुकसान हुआ। अगर किसी गवर्नमेंट को ऐसा मालूम भी हो जाय तो कोई भी गवर्नमेंट उसके लिये बहुत कम ही इन्तजाम कर सकती है। नुकसान अवश्य हुआ और जितना यह गवर्नमेंट कर सकती थी वह उसने किया। जो स्थिति गंभीर हो गई थी उसको अब गंभीर नहीं कहा जा सकता। लोगों को जिस तरह सहायता पहुंचाना मुमकिन था वह पहुंचायी गयी। इसलिये अब उसमें कोई गम्भीरता नहीं रह गयी है। उस वारिश को हुए अब १५ दिन हो गये हैं और उसके बाद फिर वारिश नहीं हुई है। मैंने यह समझकर कि सदन के सदस्यों को सारी हालत मालूम हो जाय इसलिये यह स्टेटमेंट सदन की मेज पर रख दिया था। इसलिये मैं समझता हूं कि अब इस एडजर्नमेंट मोशन की कोई आवश्यकता नहीं है; वैसे अगर बहस के लिये १—२—४ दिन रख दिये जायं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री रामनारायण त्रिपाठी इस समय मौजूद नहीं हैं इसलिये उनका एडजर्नमेन्ट मोशन नहीं लिया जायगा। श्री नारायणदत्त तिवारी का कायम रहता है चाहे उसमें कुछ गलतफहमी हो गयी हो। मैं निर्णय दे चुका हूं कि यह निश्चित भी है और डेफीनिट भी है अब नारायणदत्त जी यह बतायें कि क्या वे इसको प्रेस करना चाहते हैं? इस वाकये पर क्या वे बहस के लिये समय चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन, अभी आपने देखा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में अभी बहुत सी जगह कुछ जोड़ा भी, इससे यह स्पष्ट मालूम होता है.....

श्री चरणसिंह—इससे यह जाहिर होता है कि गवर्नमेन्ट कितनी सचेष्ट है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय माल मंत्री जी इस संबंध में विवाद के लिये कुछ समय नियत कर दें तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जायगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना तो मैं नहीं जानता कि माननीय नारायणदत्त तिवारी का लक्ष्य क्या है। मेरा तो ऐसा खयाल था कि जो सूचना अभी माननीय माल मंत्री जी ने दी है उसके द्वारा जो इस वक्त तक की तस्वीर है वह सदन के सामने उन्होंने रख दी है। फिर यदि आप आवश्यक समझते हैं कि कुछ और बाकी रह गया है तो आप समय दे दें। आज तो अब बहुत देर हो गयी है, कल आप चाहें तो समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--अब आप यह सुझाव दें कि इस बहस को कल के लिये किस समय आप लेना चाहते हैं ?

श्री चरणसिंह--मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आज रखा जा सके तो ठीक है यदि माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हों ।

श्री अध्यक्ष--आज किस वक्त रखें ?

श्री चरणसिंह--साढ़े चार बजे से ६ बजे तक या ५ से साढ़े ५ बजे तक आधा घंटा रख लें ।

श्री अध्यक्ष--अगर आप एडजर्नमेन्ट मोशन एक्सेप्ट करते हैं तब तो बात दूसरी है नहीं तो साढ़े चार बजे से साढ़े ६ बजे तक का वक्त रख लें ।

श्री चरणसिंह--साढ़े चार बजे से ६ बजे तक रख लें या साढ़े चार से साढ़े पांच बजे तक रख लें या ४ बजे से ५ बजे तक कर दिया जाय ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक घंटा या डेढ़ घंटा भी इस काम के लिये कम वक्त है इसलिये दो घंटा रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ऐसा कर लिया जाय कि ४ बजे से ५ बजे तक आज कर लें और कल एक घंटा दे दिया जाय। तो इस तरह से दो घंटे हो जायेंगे ।

श्री चरणसिंह--आज ही ६ बजे तक कर दिया जाय या साढ़े ३ बजे से ५ बजे तक कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--आधा घंटे में कोई बात नहीं है मैं तो साढ़े ६ बजे तक बैठने के लिये तैयार हूं।

श्री चरणसिंह--४ बजे से ६ बजे तक कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष (श्री नारायणदत्त तिवारी से)--तो आप अपना मोशन वापस ले रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा एडजर्नमेन्ट मोशन है.....

श्री अध्यक्ष--लेकिन वक्तव्य के ऊपर ही बहस होगी, एडजर्नमेन्ट मोशन के ऊपर नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--आज ४ बजे से ६ बजे तक वक्तव्य के ऊपर बहस होगी ।

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्य निर्वाचित करे।"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्य निर्वाचित करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---इस प्रस्ताव के अनुसार मैं यह कार्यक्रम निश्चित करता हूं । नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय २० जुलाई, १९५६ के सायकाल ५ बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २३ जुलाई, १९५६ को दिन में ११ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में । नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि २५ जुलाई के सायंकाल ३ बजे तक । यदि निर्वाचन की आवश्यकता हुई तो उसकी तिथि तथा समय बाद में सूचित किया जायगा।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कल आपने मुझको इजाजत दी थी एक बात कहने की । श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक यहां से पारित करते समय सरकार ने इस सदन को यह आश्वासन दिलाया था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी इसी साल सम्भवतः जुलाई से खुल जायगी । इसलिये इस विधेयक को जल्दी पास किया जाना चाहिये ,लेकिन अभी तक उसके वाइस चांसलर की नियुक्ति तक नहीं हो सकी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का खुलना तो अलग रहा । तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब उसने सदन को आश्वासन दिलाया था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी इसी साल खुल जायगी तो फिर क्या कारण है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकी और उस आश्वासन का पालन नहीं किया जा सका ।

***शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)**---श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त होता कि यह प्रश्न प्रश्न के रूप में आ जाता तो उसका उत्तर मैं दे देता । एक तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बिल्डंग करीब-करीब इनकम्प्लीट सी है । इसलिये कोई कार्य उसमें शुरू नहीं किया जा सकता जब तक कि बिल्डिंग कम्प्लीट न हो जाय।

दूसरे जो ऐक्ट पास हुआ है और वहां की फाउन्डेशन सोसाइटी के पास जो असेट्स हैं वह उन्हें यूनिवर्सिटी को ट्रान्सफर करे तभी उसका काम शुरू हो सकता है । तीसरे जितनी साइन्स की फिटिंग्ज हैं वह अभी बाकी है, उस में कुछ भी नहीं हुआ है और इसलिए इन सब चीजों में देर होनी आवश्यक है। मैं तो यह नहीं समझता कि शायद मेरे मुंह से निकल गया हो, लेकिन मेरा यह कभी भी आशय नहीं था कि जुलाई, सन् ५६ से यूनिवर्सिटी का काम उस रूप में शुरू होगा कि पढ़ाई शुरू हो जायगी । यूनिवर्सिटी ऐक्ट पर स्वीकृति हो गई है, फाउन्डेशन सोसाइटी कार्य कर रही है और उससे अपनी एक कमेटी बनाकर एक नाम वाइस चांसलर के लिए मांगा गया है । जब उन की नियुक्ति हो जायगी तो कानूनन और नियमतः गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कार्य शुरू हो सकेगा ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के प्रतिवेदनों पर विवाद (समाप्त)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन सन् १९५२-५३ तथा सन् १९५३-५४ पर विवाद जारी रहेगा ।

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन जिन चीजों को चाहता है और जिनके न मिलने के कारण उसके काम में देर होती है और वह शिकायत केवल पब्लिक सर्विस कमीशन को ही नहीं होती है बल्कि उस से सर्विसेज में भी असन्तोष होता है और उस देर के कारण योग्य आदमियों को रुकना पड़ता है और यह भी कहा जा सकता है कि अयोग्य लोगों को उस स्थान पर काम करने का अवसर मिलता है । इस का एक कारण यह है कि सरकार की मशीनरी में कोई नीयत का दोष न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी हो तो भी वह देर तक पब्लिक सर्विस कमीशन की चिट्ठियों का जवाब नहीं देती और वह जिन बातों के जानने की इच्छा करती है वह उन को नहीं मालूम होतीं । करेक्टर रोल्स की एन्ट्री की बात मैंने खासतौर से कही थी । मैं बताऊं कि वहां देर किस तरह से की जाती है और सन् ५२–५३ और ५३–५४ में किस तरह से देर की गई । सन् १९५२-५३ में १४५ मामलों में उन्होंने कुछ सूचनायें जानना चाही थीं और कुछ कैरेक्टर रोल्स की एन्ट्रीज के जानने की इच्छा की थी जो कैरेक्टर रोल्स उन्होंने चाहे थे वह नहीं पहुंचे उसका परिणाम यह हुआ कि उन केसेज में कोई निर्णय नहीं हो सका । सन् ५३-५४ में २०१ मामलों में उन्होंने कुछ जानने की इच्छा की थी । लेकिन उन की जानकारी नहीं कराई गई । मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन मुझे सब से गम्भीर यह मालूम होता है और मैं एक मामला बताता हूं कि ५२–५३ की रिपोर्ट में २८ वें पन्ने पर ५ वें पैरा में लिखा है कि 'सबार्डिनेट शिक्षा सेवा के आलेख्य नियम शासन से अगस्त, १९४३ ई० में प्राप्त हुए थे और उन पर कमीशन की आलोचनायें शासन को नवम्बर, १९४३ ई० में भेज दी गई थीं। अब तक उन नियमों को संशोधित करने तथा अंतिम रूप देने की कोई कार्यवाही की गई नहीं प्रतीत होती । सन् ४३ में उन नियमों में परिवर्तन करने की बात कमीशन ने कही थी लेकिन तब से आज तक कमीशन को खबर नहीं हुई कि जो परिवर्तन उस ने चाहे थे वह हुए या नहीं । इतना ही नहीं मैं तो आप से निवेदन करूं कि कुछ और अनियमिततायें हैं जिन को मैं कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बहुत तरह की बातों पर कमीशन ने ध्यान दिलाया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और उसके क्या-क्या परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं।

दूसरे माननीय सदस्यों ने जिस ओर ध्यान दिलाया है मैं उसमें माननीय सदन का वक्त नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार जब कमीशन से या दूसरे लोगों से यह अपेक्षा करती है कि वह अपने पत्रों को पा सके, अपने सारे हुक्मों की तामील करा सके तो सरकार को भी कम से कम इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिये । अगर सरकार स्वयं सतर्कता नहीं बरतती है तो कोई आदमी यह कह सकता है कि उसको कोई हक नहीं है दूसरों से यह कहने का कि वे लोग भी सतर्कता बरतें । हो सकता है कि वे सतर्कता बरतें यह तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार ऐसा कहने की हकदार नहीं है । मैंने कल चलते हुए यह कह दिया था ।

एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी के दिमाग से साफ कर देना चाहता हूं कि उनका अगर कोई पत्र मिले तो मैं उत्तर देने में देर करने की गुस्ताखी नहीं करूंगा । अब मैं अपने ही बारे में क्या कहूं। मैं तो जिस काम को जितनी खूबी से निभाया जा सकता है उतनी खूबी से निभाने के लिये कोशिश करता हूं लेकिन उसके लिये बहुत-सी चीजों की जरूरत होती है । अगर उन चीजों की कमी हो तो फिर इनएफिशियेंसी हमारी ही कह: जा सकती है। मैं इस ओर जरूर उनका ध्यान दिलाऊंगा कि वह कम से कम इस बात को भी मद्देनजर रक्खें कि अगर सरकार अपने कामों में सतर्कता नहीं बरतती तो दूसरे लोगों को भी उसे इसी दृष्टि से देखना चाहिये । पब्लिक सर्विस कमीशन के जिस व्यक्ति की मैं चर्चा करता हूं मेरे दिल में उनका सम्मान है लेकिन मेरे ही सम्मान करने से उनका सम्मान नहीं होता । मैं चाहता हूं कि सारा देश पब्लिक सर्विस कमीशन का सम्मान करे तभी उसकी इज्जत रह सकती है और पब्लिक सर्विस कमीशन के किये हुए कामों की प्रतिष्ठा कायम रह सकती है ।

मैं कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊंगा और मैं चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के नियमों में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाय जिससे कि काम सुचारुरूप से चल सके । मैंने देखा कि ५२ में ६,०८२ लोगों ने परीक्षा देने के लिये आवेदन-पत्र दिया था उसमें केवल ४,०८४ आदमी बुलाये गये । चुनाव द्वारा लोगों को नियुक्त करने के लिये ८,३९७ आवेदन-पत्र दिये थे जिनमें केवल १,५०९ आदमियों को बुलाया गया । मेरी यह राय है कि पब्लिक सर्विस कमीशन

[श्री गेंदासिंह]

का काम जरूर कुछ बढ़ जायगा अगर आवेदन-पत्र देने वाले सभी लोगों को बुला लिया जाय सिवा उनको छोड़ कर जो किसी भी कंडीशन को फुलफिल न करते हों तो इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं पड़ने वाली है। मुझे यह जानकारी हुई है कि रेलवे सर्विस कमीशन ऐसी ही व्यवस्था करने जा रहा है क्योंकि लोगों को शक होता है कि काल करने में दफ्तर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का वह पक्षपात करता है और उस पक्षपात से लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है। ऐसा समझा जा सकता है कि जब अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिये आ जाता है अपना पर्चा लिखने के लिये तो फिर उसको कुछ संतोष हो जाता है। उसके सामने कुछ प्रश्न आते हैं उनका वह उत्तर देता है। उत्तर देने में असमर्थ हुआ तो फिर कमीशन नहीं नियुक्त करेगा। तो मैं इस प्रश्न पर विचार करने का सरकार से आग्रह करूंगा कि उन सभी लोगों को अगर बुला लिया जाय तो जो असंतोष कमीशन के विरुद्ध या दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध होता है वह खत्म हो जायगा।

मैं एक दूसरी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। कमीशन ने इस बात की शिकायत की है। बहुत सी सर्विसेज के कुछ नियम नहीं बने हुए हैं। यह कई मर्तबा इस सदन में भी चर्चा हुई है और उन नियमों के न बनने से फिर कठिनाई पड़ती है काम करने में। कमीशन को भी कठिनाई पड़ती है कि किस रास्ते से वह अपना काम करें। तो मैं आग्रह करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी नियम बन सकें उन नियमों को बना देना चाहिये और उसके मुताबिक कमीशन के काम में सुविधा प्राप्त हो जाय। तो यह भी एक बहुत जरूरी काम है जिसकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। असेम्बली के अधिकारियों के सम्बन्ध में मैं ऐसा समझता हूं अध्यक्ष महोदय, वह थोड़ी सी ऐसी बात है कि परेशानी आप को हो सकती है। मैं इस राय का हूं कि सोलहों आने अधिकार स्पीकर को मिल जाना चाहिये। उस सम्बन्ध में कमीशन और सरकार के विरुद्ध रस्साकशी नहीं होनी चाहिये। जब हम ४३१ चुने हुए आदमी सारे सूबे के भाग्य का फैसला कर सकते हैं, अगर मैं गलती नहीं करता तो आप को शायद यह अधिकार है कि आप किसी मेम्बर को निकाल कर बाहर कर दें, निलम्बित कर देने का अधिकार तो आप को है ही। जब यह अधिकार आप को मिला हुआ है तो असेम्बली के अधिकारियों को रखने का, तरक्की देने का, उनके साथ हर बरताव करने का अधिकार अध्यक्ष को मिले। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अच्छी बात होगी और यहां की डिसिप्लिन, अनुशासन, इन सारी चीजों को फिर चलाने में हम लोग शायद समर्थ हो सकेंगे।

एक बात यह कि जब डिसिप्लिनरी ऐक्शन का मामला होता है तो कमीशन की हैसियत सलाह देने वाले की हो जाती है। मैं सोचता हूं कि कमीशन को अपीलेट अथारिटी होनी चाहिये। गवर्नमेन्ट जिनके खिलाफ कार्यवाही करे उनकी अपील जानी चाहिए कमीशन के सामने। लेकिन गवर्नमेन्ट जो है जब उनकी सलाह मांग लेती है किसी को बरखास्त करने में तो फिर सर्विसेज का सेफगार्ड नहीं रहता है और फिर वह कमीशन के सामने अपील में नहीं जा सकता। अगर अपील में वह जायं भी तो एक कठिनाई उत्पन्न होती है कि एक आदमी अपनी राय पहले ही कायम कर चुका। उसने अपनी सलाह दे दी। तो फिर उसके विरुद्ध फैसला करने में उनकी बड़ी कठिनाई होती है। तो मैं यह कहूंगा कि अपनी लेट अथारिटी कमीशन की बनी रहे इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं एक बात अन्त में यह जरूर कहना चाहता हूं कि प्लानिंग में मैं देखता हूं सबसे अधिक नियुक्तियां होती हैं। लेकिन इसके क्या कारण हैं कि प्लानिंग के बहुत से ओहदे कमीशन के सामने नियुक्ति करने के लिए नहीं जाते।

प्लानिंग हमारे देश के लिये, हमारी दृष्टि से चाहे जो कुछ हो, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि पब्लिक का अगर सबसे अधिक धन किसी के हाथ में व्यय करने के लि

जाता है तो प्लानिंग के हाथ में जाता है। इसलिये प्लानिंग के अधिकारियों के ऊपर जितना अधिक से अधिक विश्वास सारे देश का रह सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसका प्रबन्ध होना चाहिये। तो मैं यह सोचता हूं कि जहां हमने कमीशन के लिये एक मेड़ बना दी है कि इतने से कम वेतन के पद कमीशन के पास नहीं जायेंगे। मैं प्लानिंग के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि कमीशन को उस मेड़ से आगे जाना चाहिये। वह जा कर छोटे-छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये भी अपनी सिफारिश करें। मैं इस पर राय नहीं दे रहा हूं विलेज लेविल वर्कर को भी कमीशन करे या न करे। लेकिन यह मेरी फीलिंग है कि विलेज लेविल वर्कर को भी अगर कमीशन करे तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन विलेज लेविल से ऊपर जितने कार्यकर्त्ता प्लानिंग के रखे जाते हैं उन सब की नियुक्तियां और तरक्कियां जो कुछ भी करनी है वह मैं समझता हूं कमीशन को दी जानी चाहिये। मैं इन बातों को कहता हूं, एक बात ध्यान में रखने को कहता हूं। कमीशन ने इस बात की शिकायत भी की है कि हमारे काम में बड़ी देर होती है। इस रिपोर्ट को पहले, सदन में विचार होने के पहले ही, प्रकाशित कर दिया जाता था। प्रकाशित कर दिये जाने के माने हैं कि पत्रों को भी प्राप्त हो जाती थी, कोई भी छाप सकता था। अब यह व्यवस्था कर दी गई जब तक कि सदन में विचार नहीं हो जायगा तब तक प्रकाशित नहीं होगी। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि यह बंधन नहीं रहना चाहिये, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर सारे देश की प्रतिक्रिया जानी जा सके और सारे देश की प्रतिक्रिया से अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी वाकिफ हो पायें। उसको हम लोग भी प्रकट कर सकें, इसकी ज्यादा आवश्यकता थी। इस पर सरकार विचार करेगी और जो गलतियां इस वर्ष हुई हैं उनको दुहराने का मौका अगले वर्ष नहीं मिलेगा। बस यही मुझे निवेदन करना है।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के आरम्भ में माननीय नारायणदत्त जी ने जो शब्द स्वर्गीय पं० अमरनाथ झा के संबंध में कहे थे उनके साथ मुझको और मुझको ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण सदन को पूरा-पूरा स्वारस्य है। हम सभी ऐसा मानते हैं कि उनके निधन से न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का बल्कि हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम सब माननीय नारायणदत्त जी की इस बात का भी निश्चय ही समर्थन करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रतिष्ठा, जो मर्यादा उनके सामने थी वह बराबर अक्षुण बनी रहे और मैं समझता हूं कि हम सब इस बात का सतत् प्रयत्न करेंगे, सदैव प्रयत्न करेंगे कि उस मर्यादा को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाये। कुछ कहने के पहले मैं बहुत ही अदब से आपको एक बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। कल शाम को आपने इस बात पर रोक लगा दी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के कम्पोजीशन के ऊपर कोई बहस न की जाय तथा इस बात पर कोई बहस न की जाय कि उसके कौन-कौन से लोग सदस्य हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा है। आपके आने के पहले इस संबंध में काफी बातें कही जा चुकी थीं जितने खुले शब्दों में हो सकता था इस किस्म का इंसिनुएशन हुआ कि जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस वक्त है उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं हो सकता। उस कमीशन के कामों और रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हो सकता और यदि पब्लिक सर्विस कमीशन इस बात की कुछ आशंका है वह पब्लिक सर्विस कमीशन शायद गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार काम करे, उसके इशारों पर काम करे, इन बातों को सुन कर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो कि डेमोक्रेसी को कुछ भी समझता है और जिसकी यह इच्छा हो कि हमारे प्रदेश में डेमोक्रेसी चले, सफलता के साथ चले, दुख हुआ होगा। एक तरफ हम इस बात की इच्छा प्रकट करें कि पब्लिक सर्विस कमीशन की मर्यादा अक्षुण बनी रहे और दूसरी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस किस्म की बातें हम कहें इससे तो बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

काफी नुकसान पहुंचने की सभावना है। मैं इस संबंध में और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन एक चीज का तो जिक्र करना थोड़ा आवश्यक है।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि और अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि गवर्नमेंट जब खुद पत्रों का उत्तर देने में देर करती है तो उसको इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिये अगर कोई और शख्स उसके खतों का जवाब देर में दे। जो लोग कि इधर अखबारों को पढ़ते रहे हैं वे आसानी से समझ गये होंगे कि यह हमारे इशारे से सारे संकेत किस बात की तरफ हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेम्बर के ऊपर आक्षेप हुआ कि उसने किसी चुनाव में किसी प्रकार का भाग लिया। मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि इस बात की जांच पड़ताल करूं और जिन माननीय सज्जन ने इस किस्म का आक्षेप किया था उनको मैंने लिखा कि मेरी जानकारी तो इस प्रकार की है, आप इस संबंध में जो कुछ जानकारी रखते हों उसकी जांच कर लें और अगर आपको यह बात लगे कि इत्तफाक से आपको गलत सूचना मिली तो आप स्वयं यह उचित समझेंगे कि पब्लिकली आप इस बात का खंडन कर दें। उन्होंने मुझे लिखा भी कि मैं जांच करूंगा। दो महीने के करीब हो गये। यह कोई निजी खत की बात नहीं है कि मेरे पास कोई निजी खत आवे और मैं उसका देर में जवाब दूं या कोई मेरे खत का देर में जवाब दे, उसमें कोई शिकायत की बात नहीं हो सकती। कोई निजी खत हो या कोई साधारण सरकारी खत हो उसमें देर हो सकती है। होती ही रहती है। लेकिन वह कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका कोई नोटिस लिया जाय। लेकिन एक महत्वपूर्ण संस्था के चरित्र के ऊपर उसके पब्लिक कांडक्ट के ऊपर आक्षेप था और इस बात की बहुत बड़ी आशंका हो सकती है कि लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाय। इसलिये जब मैंने देखा कि दो महीने से भी ज्यादा हो गये तो मैंने यह अपना कर्त्तव्य समझा कि मैं अखबार में उस चीज को लिखूं और मैंने पूरा-पूरा ब्योरा उसका लिखा। मैंने इतने दिन तक इन्तजार किया। न मेरे खत का जवाब आया और न अखबार में जवाब निकला। और यह कोई निजी खत की बात नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण संस्था के एक सदस्य के ऊपर आक्षेप था, उसके पब्लिक कांडेक्ट के ऊपर, उसकी रक्षा करना मैंने डेमोक्रेसी की दृष्टि से, इस सदन की दृष्टि से उचित समझा। तो ऐसे खत में और किसी और प्रकार के खत में बड़ा भारी अन्तर होता है। किसी की रक्षा करने में किसी के चरित्र की रक्षा करने में जो कारगुजारी की जाती है उसमें और दूसरे कामों में फर्क होता है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और ज्यादा उस ब्योरे में पड़ना नहीं चाहता।

कई बातों का यहां जिक्र हुआ। अब मैं क्या कहूं? पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट से हमारे कई माननीय सदस्यों ने वह काम लिया जो कि मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के दिमाग में भी उस वक्त में रहा होगा और न जिन लोगों ने इस नियम को बनाया होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन में रखी जाय उन्हीं के दिमाग में वह चीज रही होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट का मतलब यह होता है कि कमीशन यह लिखे कि साल भर के भीतर उसने क्या-क्या काम किये। उसमें कहीं-कहीं प्रसंगतः यह बात भी आ जाती है कि फलां मौके पर गवर्नमेंट को उसने यह सलाह दी और गवर्नमेंट ने वह सलाह नहीं मानी या मानी, इस बात का जिक्र आ जाता है। कहीं किसी काम में कुछ देर हुई उसका जिक्र भी प्रसंगतः कहीं-कहीं आ जाता है लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने साल भर में क्या-क्या काम किये। उसके ऊपर विचार हो सकता है। लेकिन अब कई ऐसी बातों की उससे आशा की गई जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में मेरी समझ से नहीं होनी चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन का यह काम भी नहीं हो सकता है। मसलन कुछ बातें ऐसी कहीं गई कि फलां पेज पर यह लिखा है कि सत्रह या कितनी

सर्विसेज के रूल्स गवर्नमेंट ने कमीशन के पास भेजे और कमीशन ने उस पर अपनी राय दे दी अब सवाल यह खड़ा हुआ कि उसमें हुआ क्या। पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह लिख दिया कि हमने अपनी राय फलां-फलां मामले में दे दी। खत्म हुई बात। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में उससे ज्यादा जानने की कोई बात नहीं। अब अगर किसी को जानना हो इस बारे में तो गवर्नमेंट से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने फलां सन् में पब्लिक सर्विस कमीशन से फलां मामले में राय मांगी थी, उसमें क्या हुआ। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में तो यह चीज नहीं आ सकती। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें यहां कही गईं, आपने भी देखा होगा कि एक जनरल डिस्कशन आन बजट जैसा होता है या जैसे किसी ऐन्युअल रिपोर्ट पर बहस होती है उस तरह बहस यहां उसके ऊपर की गई। शिक्षा का विषय भी उसके अन्दर आया है, भ्रष्टाचार का विषय भी आया है, शासन का भी आया है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो इसके संबंध में नहीं आया है। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह इस क्षेत्र की परधि के बाहर की बात है, इसलिये जो बातें सरकार के प्रशासन के संबंध में कही गयी हैं और जो इस विषय से संबंध नहीं रखतीं न तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा और न उसमें सदन का समय नष्ट करूंगा। उनके लिये दूसरे मौके हैं, दूसरे प्लेटफार्म हैं और मैं कम से कम एक ऐसी गलत परम्परा कायम नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा जो इन्हीं दोनों रिपोर्टों से उठती हैं।

एक बात माननीय सदस्यों के ध्यान में नहीं आई। यह रिपोर्ट सन् ५२-५३ और ५३-५४ की है; अगर सन् ५२ की रिपोर्ट में कोई शिकायतें हों तो माननीय सदस्यों को यह देखना चाहिये कि जिन बातों की शिकायतें सन् ५२ में की गयीं वह आज भी हैं या नहीं। इस किस्म की दो चार मिसालें तो दी जाती कि जिन बातों की तरफ कमीशन ने सन् ५२ में ध्यान दिलाया था सन ५५-५६ में भी वही शिकायतें चली आती हैं तब तो एक बात थी। लेकिन इस तरह से कहना कि फलां गवर्नमेंट से यह गलती होती है, यह तो जरा अन्याय की बात है। यदि यह कहते कि "होती थी" तब भी ठीक था। यदि भाषण में व्याकरण के वर्तमान कालके बदले अतीतकाल की क्रिया का प्रयोग होता तो जरा न्याय की बात होती और ज्यादा उचित होता। "है" के बजाय "था" का प्रयोग होता और तब सुझाव दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मसलन विज्ञापन देकर कैंसिल करने की बात कही गयी। विज्ञापन कोई देना और देकर के कैंसिल कर देना, मैं समझता हूं बहुत गलत बात है। सन् ५४ में एक आर्डर गया था कि कमीशन ने बार-बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि विज्ञापन दिये जाते हैं और फिर कैंसिल किये जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिये, और अगर किसी विभाग को कैंसिल करने की आवश्यकता हो तो चीफ मिनिस्टर से इजाजत लेकर तभी ऐसा करना चाहिये। इससे आप समझ सकते हैं कि उस आर्डर के जाने के बाद आगे के लिये काफी रोकथाम हो गयी होगी। मसलन्, खतों के जवाब देने के बारे में है। इतना बड़ा प्रदेश है, हम वकालत नहीं कर सकते देर में जवाब देने की। खतों का जवाब देर में देना बड़ी गलत बात है और बराबर आर्डर्स इस संबंध में जाते हैं और इधर-उधर रोकथाम होती जाती है। एक बार कहीं गलती होती है, हमारे ध्यान में लायी जाती है, खुद हमारे ध्यान में आ जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये हमारे ध्यान में लाया जाता है या मेम्बरों की ओर से कहा जाता है तो उसके रोकथाम के लिये कोशिश की जाती है और मुझको रत्ती भर भी संदेह नहीं कि गलती जल्दी पकड़ में आ जाती है।

एज एग्जेम्पशन का जिक्र हुआ। बहुत कड़े आर्डर्स हैं, हम मानते हैं कि एज एग्जेम्पशन नहीं देना चाहिये। लेकिन कभी-कभी, जैसा नारायणदत्त जी ने कहा कि कोई अच्छा कैंडीडेट होता है। ऐसा हो जाता है कि वह देर से दरख्वास्त देता है, हमारे यहां जैसी लापरवाही होती है कि देर में भले आदमी को पता चलता है कि उम्र की शर्त है। ऐसे केस में दो ही सूरतें होती हैं कि या तो ऐसे अच्छे कंडीडेट को हमेशा के लिये खो दिया जाय या एज को कंडोन किया जाय और कमीशन को ऐसे स्पेशल केसेज में कोई शिकायत भी नहीं होती। वरना यह सही

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बात है कि अगर एग्जेम्पशन देना ही हो तो वह बहुत काफी पहले से होना चाहिये। और खास मामलों में देना चाहिये। हम भी इसको गलत बात समझते हैं कि इस तरह से एग्जेम्पशन दिया जाय।

सर्विस रूल्स नहीं बने, इसका जिक्र हुआ। बिलकुल ठीक बात है। हम रूल्स बनाते जाते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि सर्विस रूल्स का बनाना आसान बात नहीं है, यह देखना पड़ता है कि इसके पैरेलल इसके जोड़ की कौन सी सर्विसेज हैं, उनमें तनख्वाह क्या है, क्या रूल्स हैं ताकि इसके लिये रूल्स बनें उनका दूसरी सर्विसेज के ऊपर क्या असर पड़ता है उस पर कमीशन पर राय ले ली जाय। उसके लिये कमीशन से राय मांगनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कुछ समय और लेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं १५ मिनट में खत्म किये देता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो तब तक के लिये बैठने में किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तो खासतौर से आजकल डेवलपमेंट का जमाना है, काम बड़ी तेजी के साथ चलता है तब यह फर्स्ट क्लास फर्स्ट की बात होती है तो ऐसी हालत में सर्विस रूल्स बनने चाहिये पर उनके बनाने में देरी होती है। हम भी जानते हैं कि असुविधा होती है लेकिन क्योंकि और कई काम जरूरी हैं इसलिये इस विषय में देर जरूर हो रही है। कई सर्विसेज के रूल्स बन चुके हैं ५२-५३ के बाद और अभी कुछ बाकी भी हैं। जरूर इसमें देर हो रही है यह कोई गलत बात नहीं है।

एक बात का जिक्र हुआ हरिजन भाइयों के सम्बन्ध में। मैं नहीं जानता कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया उनके दिमाग में क्या चीज थी। खैर इतना ही नहीं १८ प्रतिशत या जो कुछ भी रखा गया है उतनी संख्या तक जो सरकारी विभाग हैं वह भर्ती करने की कोशिश करते हैं लेकिन इतने आदमी मिल नहीं पाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन भी इनको पूरा नहीं कर पाता है। इसके अनेक कारण हैं और उनको हम सब लोग जानते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं हरिजनों में कि जिनकी शिक्षा बहुत देर से शुरू होती है यानी बड़ी उम्र में शुरू हो पाती है। इसके साथ ही साथ हमें एक चीज और नहीं भूलनी चाहिये कि शिक्षा दो तरह की होती है जैसा कि कल गेंदासिंह जी ने भी कहा था। इम्तहान पास कर लेना दूसरी बात है और जनरल नालिज प्राप्त करना दूसरी बात है। हरिजनों के लड़के जिस समाज में रहते हैं उसमें शिक्षित लोगों की बहुत कमी होती है। इसलिये दूसरे परिवार के लड़के बहुत सी बातें बिना किसी जनरल नालेज के ही सीख जाते हैं जो कि हरिजन लड़के नहीं सीख पाते हैं और वह वंचित रह जाते हैं। परिणाम यह होता है और जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कत होती है। लेकिन अब हरिजनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सिवाय इसके और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हरिजनों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार किया जाय।

एक चीज नारायणदत्त जी ने कही कि हरिजनों के लिये डेफीनिट कोर्सेज के लिये कालेजेज खोले जाँय। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। अगर वह लिख दें तो समझता हूं कि लिखकर आने से चीज साफ हो जाती है। उन्होंने डेफीनिट कोर्सेज के कालेज अलग से खोलने का सवाल रखा तो इंजीनियरों की भर्ती करनी है तो इंजीनियरिंग का कालेज खोलें, अगर ऐक्साइज में भर्ती करनी है तो उसके लिये कालेज खोला जाय, अगर डाक्टरों की भर्ती करनी है तो हरिजनों के लिये मेडिकल कालेज खोला जाय। कहने का आशय यह है कि एक-एक हर चीज का पैरेलल कालेज खोला जाय। यह चीज प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है।

जो बातें सबके लिये हैं वही हरिजनों के लिये होंगी। सवाल यही है कि शिक्षा का प्रचार होना चाहिये उनके बीच में सोशल एजूकेशन को बढ़ाया जाय ताकि उनके लड़के दूसरे लड़कों को कम्पीट कर सकें।

पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत नेकनीयती से काम करता होगा लेकिन उसकी भी दिक्कतें हैं। मुझे मेरा स्वयं का अनुभव है कि जब पुलिस के नाम सामने आते हैं तो जितने मिनिमम नम्बर रखे जाते हैं उससे बहुत नीचे तक ढूंढना पड़ता है फिर भी पूरे नहीं कर पाते हैं। कोई न कोई स्टैंडर्ड तो सर्विसेज के लिये रखना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें अपनी सर्विसेज को बिगाड़ना तो है नहीं। सही बात तो यह है कि हमें प्रेक्टिकल कठिनाई को समझना होगा।

इस बात की तरफ जरूर पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार का ध्यान दिलाया है कि पहले से स्टैन्डर्ड गिरता हुआ मालूम पड़ता है तो इसमें एक चीज है और मैं माननीय गेंदासिंह जी से पूर्णतया सहमत हूं कि इसके लिये हिन्दी को दोष देना गलत है। साफ बात है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यानी दस बीस वर्ष बाद हमें अंग्रेजी से हिन्दी का चेंज ओवर करना होगा। जब हम पढ़ते थे तो एक हवा थी कि हर आदमी को अंग्रेजी का पंडित होना चाहिये। लेकिन आज इसके विपरीत दूसरी हवा है, चाहे मुख से कोई न कहे या न कहे कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, यह गौण है इसलिये इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिये। बहुत से विषय हैं जिनको लड़के हिन्दी में पढ़ते हैं और जब वह यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अंग्रेजी में पढ़ने पढ़ते हैं। इससे लड़कों को दिक्कत होती है। लेकिन यह चीज बहुत दिन रहने वाली नहीं है। भले ही चार दिन के लिये टैम्पोरेरी स्तर गिर जाय। लेकिन मैं इस मामले में सहमत हूं। हिन्दी का इसमें कोई दोष नहीं है। कुछ ऐसे जमाने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ती ही है लेकिन दो दिन की दिक्कत है उसके बाद वह दिक्कत दूर हो जायेगी और जो सलाह दी गयी थी उसके लिये जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं उनको और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिये कि अपनी शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करें कि वह देश की बदली हुयी परिस्थिति के अनुकूल हो। मैं उतना आशा नहीं करता कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के एक खत लिख देने से काम हो जायगा। खत लिखने मात्र से शिक्षा का क्रम बदल जाय तो कोई भी कह सकता है। कोई भी अनाड़ी आदमी जो कुछ नहीं जानता कह सकता है और आजकल इसीलिये हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग पर, शिक्षा पर बहुत हमले होते हैं, शिक्षा प्रणाली पर बड़ी आसानी से हमला होता है। जो कुछ और बुराई नहीं समझता, देश की आर्थिक अवस्था खराब है, राजनीतिक अवस्था खराब है, देश में बेरोजगारी है तो उसका कारण है कि देश की शिक्षा पद्धति खराब है, लेकिन उसकी जगह पर नयी शिक्षा पद्धति क्या यह कहना बड़ा मुश्किल है बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्री भी नहीं कह पा रहे हैं। दुनियां के और देशों को हम देखते हैं वहां भी समझ में नहीं आ रहा है और शिक्षा के भविष्य के बारे में लोग सोच ही रहे हैं, हमें आशा है कि शिक्षा विशेषज्ञ इस बात पर विचार अवश्य करेंगे।

इस बात की बहुत चर्चा हुयी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में जो अधिकार है उससे ज्यादा अधिकार दिये जायं। शिकायत में यह बात आती है कि आज जो सरकारी अधिकारी काम करते हैं कहीं-कहीं पक्षपात से काम करते हैं। कहा यह भी गया कि सरकारी अधिकारी डरते रहते हैं और कांपा करते हैं। वे डरते उन लोगों से होंगे जो बाहर गालियां दिया करते हैं उनसे डरते होंगे क्योंकि वे लोग उन लोगों की गालियों का जवाब गाली से नहीं दे सकते इसलिये जो डरने की बात है वह बिलकुल गलत है लेकिन हां मैं एक बात कहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की संख्या केवल हमारे देश में ही नहीं है और देशों में भी है। जो माननीय सदस्य हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्टों का अध्ययन करते हैं मैं समझता हूं कि वे दूसरे देशों की पब्लिक सर्विस कमीशनों जैसी संस्थाओं का भी अध्ययन करें तो वे क्या देखेंगे कि हमारे देश के ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जो विशेषज्ञ आये हैं वे क्या कहते हैं। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि इस देश में अप्वाइन्टमेंट का जहां तक प्रश्न है वह पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से नहीं होती है लेकिन

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

और देशों में भी जहां तक प्रमोशन इत्यादि का मामला है जैसे हमारे यहां राय ली जाती है वह किसी देश में कहीं नहीं होता है। अप्वाइन्टमेंट की बात तो जहां तक है जो क्वालिफिकेशन होती है उससे नीचे की क्वालिफिकेशन के आदमी हम रख लेते हैं यह एक विलक्षण सी बात दीख पड़ती है। कागजों के ऊपर ही हम फैसला करते हैं और कर सकते हैं कैरेक्टर रोल कहें या सर्विस बुक है तो उन्हीं कागजों के ऊपर ही हम फैसला कर सकते हैं। लेकिन यह अजीब सी चीज है लेकिन जो आदमी काम देखता है वह दूसरी बात करता है। काम देखने में और केवल कागज देखने में आकाश पाताल का अन्तर होता है। आखिर पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी ही ईमानदार हैं यह मानना कहां तक उचित है। आखिर पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी भी मनुष्य होते हैं वह कभी भूल कर ही नहीं सकते हैं और जो लोग काम करते हैं वे अपने मातहतों के सम्बन्ध में पक्षपात करेंगे यह कहां तक ठीक है। एकाध गलती सबसे हो सकती है लेकिन यह क्या बात है हम उसके औचित्य के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं और हम दुनियां के सामने क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई आदमी दुनियां के और मुल्कों में जो भी आफिसर होगा वह ईमानदार है लेकिन भारत की आबोहवा ऐसी खराब है कि यहीं पर आदमी बेईमान होते हैं जिस किस्म के आदमी दुनियां में कहीं नहीं रखे जाते हैं। क्या हम सब के सामने यह विज्ञापन करना चाहते हैं कि हम बेईमान हैं और अगर हम में से कोई आदमी आफिसर होगा तो वह पक्षपात करेगा। मैं अपील करता हूं और माननीय सदस्यों से कहता हूं कि वे देखें कि वे दुनियां के सामने और इस देश के सामने क्या कह रहे हैं और यह भी देखें कि आज दुनियां में और अपने देश में क्या हो रहा है। गलतियां हो सकती हैं और होती भी हैं लेकिन ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट। किसी आदमी पर विश्वास करें तो वह भी समझेगा कि मेरे ऊपर विश्वास हो रहा है और उस आदमी में आत्मविश्वास की भावना होगी और वह काम को विश्वास के साथ करने की कोशिश करेगा। किसी आदमी पर अविश्वास न करते हुये भी यदि आदमी को झूठा और बेईमान समझ लिया जाय और अपने आदमी को पक्षपाती समझ लिया जाय और यह समझ लिया जाय कि वह बहुत ही पतित और गिरा हुआ आदमी है तो वह भी समझेगा कि बहुत अच्छी बात है, हम तो निकम्मे हैं ही, हम तो चोर हैं ही, इसलिये हमें यह नहीं करना चाहिये और हमारी जो गलतियां हैं उनको दूर करना चाहिये। हमें अपने आदमियों पर विश्वास रखना चाहिये और यह समझते हुये कि स्वाधीनता के पहले चाहे आप जो कुछ रहे हों, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आयी है उसके अनुसार हम काम करेंगे।

पब्लिक सर्विस कमीशन एक एडवाइजरी बाडी है, उसकी सलाह की हम पूरी कद्र करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकती। शासन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम कभी इस बात का जिम्मा नहीं ले सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की हर बात को, हर चीज को मानेंगे। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कई चीजों का जिक्र किया। जुडिशल आफिसरों के एप्वाइन्टमेंट तहसीलदारों के प्रोमोशन, और भी दो तीन मामले थे। जहां तक जुडिशल आफिसरों की बात है, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह एक ऐसी बात थी जिस मामले में गवर्नमेंट के रुख का समर्थन आप सब की तरफ से होना चाहिये था लेकिन वह नहीं हुआ। अगर हम ऐसा करते और पब्लिक सर्विस कमीशन हमसे कहता कि फलां-फलां योग्यता के आदमी रखो और हम उससे कम योग्यता के आदमी रखते तो शिकायत की बात हो सकती थी। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिस योग्यता के आदमी हमसे रखने के लिये कहा उसी तनख्वाह में हम उससे ज्यादा योग्यता के आदमी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इसमें क्या शिकायत है? आश्चर्य होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमसे कहा कि उस आदमी को लीजिये जो मुन्सिफी का इम्तहान पास हो लेकिन हमने यह किया कि जो मुन्सिफी का इम्तहान भी पास हों और साथ ही साथ जिन्होंने वकालत भी दो तीन वर्ष की हो। ऐसे आदमियों को हमने ले लिया तो हमने कौन सा अपराध या कौन सा बुरा काम किया है। अगर हम कहते हैं कि हम उससे कम योग्यता के आदमी लिये लेते हैं तब तो आप कह सकते थे, लेकिन हम उसी तनख्वाह में ज्यादा अच्छे आदमी देते हैं तो हमें धन्यवाद देना चाहिये था।

न कि यह कहना कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की राय नहीं मानी है। अगर शिकायत इस लिये है कि यह बात अगर मान ली जाय कि गवर्नमेंट जो कुछ भी काम करे वह काम बुरा ही है तब तो दूसरी बात है। लेकिन गवर्नमेंट अगर अच्छे आदमी देती है फिर भी हमसे शिकायत।

दूसरी बात और है और वह है रूल के इंटरप्रेटेशन की बात। एक आदमी मिसाल के लिये सब-इंस्पेक्टर से उसकी एवजी नियुक्ति इंस्पेक्टर की होती है। एवजी के माने यह होते हैं कि वह उस जगह पर परमानेन्ट नहीं होता और वह इंस्पेक्टर के सब–इंस्पेक्टरी पर दोबारा आ सकता है कोई नई बात नहीं है। शिकायत यह है कि उसको सब–इंस्पेक्टरी पर क्यों वापस लिया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टरी पर जो भी हो एवजी में जरूरी नहीं कि वह परमानेन्ट हो ही जाय। दूसरे यह भी होता है कि उस जगह पर कोई रखा गया तो देखा गया कि वह उस काम के बहुत योग्य नहीं है। लिहाजा उसको नीचे उतार दिया गया और उसको कोई सजा नहीं दी गयी। इसमें क्या आपत्ति की बात हो सकती है। पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना यह है कि इंस्पेक्टरी से सब–इंस्पेक्टर में लाने के माने यह हैं कि आपने उस पर कोई दोष लगाया और चूंकि कोई दोष लगाया इसलिये उसके खिलाफ चार्ज लगाना चाहिये और उस चार्ज के मातहत पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस पर कोई दोष नहीं लगाते। बाज वक्त इस तरह से दोष लगा करके निकालने से आदमी के कैरियर पर असर पड़ सकता है। आगे चल कर मुमकिन हो सकता है कि वह नीचे की जगह पर अच्छा काम कर सके। हो सकता है कि एक आदमी इंस्पेक्टरी के लायक तो न हो लेकिन सब-इंस्पेक्टरी के लायक तो हो सकता है। इसलिये अगर उस पर चार्ज लगायें, दोष लगायें तो उसके दोष भविष्य को बिगाड़ना होगा। इसलिये हम यह सब नहीं करते। जिस तरह से उसको ऊपर उठाया गया था उसी तरह से हम उसको नीचे पहुंचा देते हैं और उस पर कोई दोष नहीं लगाते और उससे कह देते हैं कि तुम अपनी पुरानी जगह पर आओ। इसके लिये हमको आपको दोष नहीं देना चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने मामले नहीं जाते। और एक मामला नहीं, ५–७ मामले ऐसे हैं और हर मामले में जहां तक रूल के इंटरप्रिटेशन का सम्बन्ध है हमने यही किया है।

मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है और जैसा मैंने कहा कि जो गलतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। इस प्रकार की गलतियां होती हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन यह भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब धीरे-धीरे वे चीजें पकड़ में आती जाती हैं और उनकी दुरुस्ती होती जाती है।

महज एक चीज और कही गयी। उसका सम्बन्ध रिपोर्ट से कोई नहीं था। लेकिन कल यों ही उसका जिक्र हुआ कि हाल ही में जो डिप्टी कलेक्टरों का एप्वाइन्टमेंट हुआ है उनमें फूड और सिविल सप्लाइज के लोग लिये गये, जिनका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, न सन ५२–५३ और न सन् ५३–५४ की रिपोर्ट से है लेकिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बहस में तो कोई भी चीज आ जाये ठीक है, तो उसका जिक्र हुआ। मैं चाहता तो उसका उसका जिक्र नहीं करता लेकिन मैं उसका जिक्र कर देना चाहता हूं। इसमें कोई छिपाने और चोरी की बात नहीं है। हमें डिप्टी कलेक्टरों की बहुत अधिक जरूरत थी, उसमें हमने बहुत से आफिसर्स रखे भी थे। सिविल सप्लाईज में जो गजटेड रैंक के आफिसर्स चुने गये थे वे पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से चुने गये थे, यों ही नहीं चुन लिये गये थे। लेकिन जब राशनिंग खत्म हुयी तो वह डिपार्टमेंट खत्म हुआ और लोग रिट्रेंच हो गये और बहुत से आदमी अलग हो गये। उसी वक्त गवर्नमेंट ने कहा और हर गवर्नमेंट का धर्म होता है कि जो डिपार्टमेंट रिट्रेन्च हो उस डिपार्टमेंट के आदमियों को अगर दूसरी जगह जगहें होती हैं तो जगह दी जाय। हमने यही किया इस वक्त हमें ४५ डिप्टी कलेक्टरों की जरूरत थी। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नाम भेजे गये, और लोगों को उन्होंने डायरेक्टली रेक्रूट भी किया लेकिन ऐसे लोग जो रिट्रेन्च हुये थे उनके लिये हमने यही ठीक समझा कि उनको पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से एग्जीक्युटिव

[डाक्टर सम्पूर्णानंद]

में नियुक्त किया जाय। ऐसे लोगों के नाम भी भेजे गये कि यह लोग भी हैं और इनका भी ख्याल करना चाहिये और साथ ही इसके यह रिहैबिलिटेशन का महकमा जो है उसके भी कुछ लोगों के नाम भेजे गये। पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन में से २१ ऐसे लोगों को चुना जो किसी समय में फूड ऐन्ड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में काम करते थे और जो रिट्रेंच किये जा चुके थे। उन ४५, ४६ आदमियों में से २१ आदमियों को उसने चुना। इसके अन्दर कोई रूल्स बदलने की बात नहीं थी। खाली ऐसे लोगों के नाम भेजे गये डिपार्टमेंट के जरिये और उनको कहा गया कि आप को चुनना है। जो योग्यता के अनुसार ठीक उतरते हों उनको आप चुन लीजिये। उन्होंने उसको देख कर २१ आदमियों को चुन कर भेज दिया। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं, कोई गुप्त बात नहीं, कोई पक्षपात की बात नहीं। उन्होंने रिलीफ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी को नहीं चुना, लेकिन नाम उनके भी भेजे गये थे। तो उन्होंने काम और पेपर्स के आधार पर २१ आदमियों को चुन कर भेज दिया और इसलिये हम को उनकी रिपोर्ट से फायदा उठाना चाहिये। हमको चाहिये कि जो अच्छा काम करने वाले सरकारी आदमी हैं उनकी हिम्मत बढ़ायें। हमको अपने राष्ट्रीय करेक्टर पर विश्वास करना चाहिये और विश्वास रखना चाहिये कि जो गल्तियां हैं उनके होते हुए भी हम तरक्की के साथ काम करेंगे, उत्साह के साथ काम करेंगे और इस तरह से काम करेंगे कि किसी देश के काम करने वालों से हमारा स्तर नीचा न होने पायेगा।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और ढाई बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ३१ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५१ में किये गये संशोधनों पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५१ में किये गये संशोधन जो दिनांक फरवरी १२, मार्च १६, अगस्त २३, सितम्बर ६ और सितम्बर २७, १९५४ तथा फरवरी १०, सितम्बर १२ व अक्तूबर १८, १९५५ को सदन की मेज पर रक्खे गये थे विवाद जारी होगा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—माननीय.....

श्री उपाध्यक्ष—क्या इन संशोधनों को उपस्थित करने के लिये माननीय सदस्य ने आपको अधिकार दिया है।

श्री रामसेवक यादव—जी हां। अधिकार दिया है।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—श्रीमान् जी, इसमें मुझे थोड़ी आपत्ति है। मैं कानून की तरफ आपकी तवज्जह दिलाऊं कि यहां इस जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० के आखिर में सेक्शन ३४४ सब-सेक्शन (४) में यह दिया हुआ है कि:

"All rules made under this Act shall be laid for not less than 14 days before the State Legislature as soon as they are made, and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are so laid."

यह संशोधन जो रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखे हैं वह जो नियम गवर्नमेंट की तरफ से ६ सितम्बर, ५४ को सदन की मेज पर रखे गये थे उनके लिये हैं। वह सेशन खत्म हो गया। दूसरा सेशन जो आरम्भ हुआ वह १० फरवरी, ५५ को आरम्भ हुआ वह भी खत्म हो गया। उनके

ही यह संशोधन हैं तो मेरी अर्ज यह है कि उसी सेशन में इन नियमों में मोडिफिकेशन हो सकता था जिस सेशन के लिये यह आये थे। अब इन पर डिस्कशन भी हो सकता था। अगर उस सेशन में माननीय सदस्य न रहें तो इस सेक्शन के मुताबिक अब वह मोडिफिकेशन नहीं हो सकता। जनरल डिस्कशन जनरल रूल्स पर अगर सदन करना चाहे तो वह कर सकता है लेकिन इस संशोधन की शक्ल में यह नहीं हो सकता।

श्री रामसेवक यादव—इस सम्बन्ध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि यह सब कब रखे गये। अब इस कानून में इसका प्राविजन दिया हुआ है जैसा कि उपमंत्री जी ने बतलाया अब जैसा आप उचित समझें।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी हालत में मैं इजाजत नहीं दे सकता।

पंचायत राज नियमावली के संशोधित नियमों पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—अब पंचायत राज नियमावली के ३ से २६ तक संशोधित नियम जो दिनांक सितम्बर १२,१९५५ को तथा ८३ से ८५ तक संशोधित नियम जो दिनांक दिसम्बर २२,१९५५ को सदन की मेज पर रक्खे गये थे विवाद होगा।

(कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ)

मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधनों पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—वाहन विभाग की विज्ञप्ति सं ४०५४ टी० एम० ३० ४४७१ टी० ५५, दिनांक नवम्बर, २५,१९५५ जिसके द्वारा मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में संशोधन किये गये और जो दिनांक अप्रैल ११,१९५४ को सदन की मेज पर रक्खे गये थे विवाद।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—मैं पेश करना नहीं चाहता।

*टेहरी गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि टेहरी गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय। वह विधान परिषद् में आ गया है और यहां आगया है। जो कुछ यहां कहा जायगा उसका उचित उत्तर दे दिया जायगा।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा दुख की बात है कि यह बिल इस सदन में माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहेब ने प्रस्तुत किया है जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी को करना चाहिये था। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्तुत करते तो वह कुछ प्रकाश डालते जिससे हम लोगों को कुछ मालूम होकर कुछ कहने का अवसर मिलता। बहर-हाल, इसके मुख्य सिद्धांतों के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं। यूं तो कई बार इस सदन में रेवेन्यू आफीसरों के बारे में विचार प्रकट किये गये और उनसे कई प्रकार के भय भी दिखलाये गये और उन्हीं रेवेन्यू आफिसरों को आज पुलिस की ताकतें दी जावें और भी खतरा बढ़ता है। लेकिन इस बात के होते हुये भी मैं इस बिल का स्वागत करता हूं कि जो पद्धति कुमायूं डिवीजन के अन्य जिलों में लागू है उसके आधार पर टेहरी गढ़वाल में लागू हो रही है। पहाड़ी जिलों की परिस्थितियां मैदानी जिलों से बिलकुल भिन्न हैं। उनको देखते हुये इस पद्धति का वहां होना आवश्यक है

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक ५ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सत्यसिंह राणा]

जिले में जोकि विलीन होने से पहले एक रियासत थी वहां पुलिस की ताकतें पटवारियों को और माल विभाग के कर्मचारियों को थीं। लेकिन विलीन होने के बाद यह समझा गया कि वे लोग ट्रेन्ड नहीं हैं इसलिये वे ताकत उनसे छीन ली गयी। अब सरकार ने उन लोगों को पुलिस की ट्रेनिंग दे दी है और अब अधिकार भी वहां दिये जा रहे हैं। इस बीच में हमको पुलिस के जरिये से जो बातें हुयीं उनसे काफी दुख हुआ है। यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिये था ताकि जो भय और आपत्तियां उत्पन्न हुयी थीं पुलिस के जरिये वे नहीं होने पातीं। उस जिले में क्राइम्स नहीं होते थे और जब पुलिस को केस नहीं मिले तो उन्होंने तिल का पहाड़ बनाया और मुकदमें ठीक न होते हुये भी अपना उल्लू सीधा किया। बहरहाल, यह बिल आया और मैं इसका समर्थन करता हूं।

मैं एक बात बतौर सुझाव के कहना चाहता हूं। अल्मोड़ा, गढ़वाल, और नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों में जिस कानून के अन्तर्गत ये ताकतें रेवेन्यू आफिसर्स को दी गयी थीं वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से निरस्त हो चुका है। इसलिये अब देहरी गढ़वाल का अलग से बिल लाने की जरूरत पड़ी। मेरा सुझाव है कि चूंकि चारों जिलों की एक सी परिस्थितियां हैं, एक ही डिवीजन है, इसलिये जो कानून आता वह सारे कुमायूं डिवीजन के लिये आता। इससे एक यूनीफार्मिटी रहती। बहुत मुमकिन है, निकट भविष्य में इस पर विचार किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

***श्री मदन मोहन उपाध्याय**---उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आज इस सदन के सामने पेश हुआ है उसका स्वागत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हम लोगों की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हमारे जितने पर्वतीय प्रदेश हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश के हैं, उनमें करीब-करीब एक ही किस्म की समस्यायें हैं। उसके कुछ हिस्से में एक स्टेट थी जिसके नियम भिन्न थे लेकिन वहां की हालत जो पड़ोस के नैनीताल, गढ़वाल और अलमोड़ा जिले हैं उनके समान ही थी, लेकिन कानून अलहदा-अलहदा थे। जब से यह रियासत उत्तर प्रदेश में मर्ज हुयी है तब से हम चाहते थे कि बहुत जल्द जो नियम अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में लागू थे वह वहां भी लागू कर दिये जाते ताकि एक समानता रहती। पहले ही यह चीज हो जाती तब तो अधिक ही अच्छा था और देहरी गढ़वाल के लोगों को सहूलियत हो जाती। यह ठीक है कि वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में नहीं हैं इसलिये किसी में उनको कुछ नुकसान हो सकता है और किसी में कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन चारों जिलों के अन्दर एक सा कानून होने से यूनीफार्मिटी तो आ ही जायगी। इस नीयत से जो यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

पर्वतीय प्रदेशों में चोरी, डकैती, जिनके लिये पुलिस की अधिक जरूरत होती है, अभी तक बहुत कम होती है और हमें आशा है कि आगे भी वह कम होगी। हमारा तजुर्बा यह कहता है कि पुलिस जितनी ज्यादा बढ़ाई जाती है उतने ही ज्यादा क्राइम होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि पर्वतीय जिलों में रेवेन्यू आफिसर्स होते हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। करीब-करीब सारे विभागों के लोग उन्हीं के जरिये अपना कार्य कराते हैं इसलिये उनको बड़ा व्यस्त रहना पड़ता है। व्यस्त रहने के साथ ही साथ उनके ऊपर ला एन्ड आर्डर की जिम्मेदारी भी है। फिर भी यह बड़े क्रेडिट की बात है कि जहां तक ला एन्ड आर्डर का सम्बन्ध है इन लोगों ने काफी उसको मेन्टेन करने की कोशिश की है। यह उनकी कार्य कुशलता के कारण ही नहीं, बल्कि वहां के लोग इसमें पूरा-पूरा सहयोग देते हैं और कानून के अनुसार कार्य करने में वहां के लोग अग्रसर रहते हैं। चोरी-डकैती बहुत कम करते हैं। आप वहां पर ज्यादातर यह जायेंगे कि लोग मर्डर्स करते हैं क्योंकि वहां पर फौजी लोग अधिक रहते हैं। जरा उनको गुस्सा या ताव आ गया वे ऐसी चीज कर डालते हैं। लेकिन चोरी वगैरह चीजें वहां पर लोग बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम करते हैं, इसीलिये वहां पर रेवेन्यू आफिसर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हमारे यहां उनको पहले पुलिस पावर्स थीं अब वह टेहरी गढ़वाल के रेवेन्यू आफिसर्स को भी दी जा रही हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमने सरकार से यहां जो निवेदन पहले किया था सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। आज जो हमारे पटवारी हैं, जिनको पुलिस पावर्स हैं उनकी पोस्ट आज तक पेंशनेबिल नहीं थी। वे रेवेन्यू आफिशियल गिने जाते थे लेकिन उनको पेंशन नहीं दी जाती थी। सरकार ने इस बात को स्वीकार करके जो उनकी एक बड़ी भारी मांग थी उसको पूरा कर दिया है। मैं समझता हूं कि उन लोगों की पोस्ट पेंशनेबिल हो जाने के बाद अब वे लोग और अच्छी तरह से काम करेंगे। जैसा कि अभी हमारे साथी टेहरी गढ़वाल के माननीय सत्य सिंह राणा ने कहा कि एक यूनीफार्म ला अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल के अन्दर होनी चाहिये। यह उनकी बहुत पुरानी मांग थी। उनकी ही नहीं बल्कि पड़ोसी होने के कारण हमारी भी मांग थी क्योंकि हम लोग कभी आपस में बैठकर किसी आवश्यक मांग को रीजनल बेसिस पर तय कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी यह शिकायत दूर हो गयी है इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसके पास करने में कोई बहुत ज्यादा देरी भी नहीं होगी और जिस सिद्धांत पर यह किया गया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इस बिल का स्वागत इसलिये नहीं कर रहे हैं कि इस बिल से हमारे जिले का या हमारे पर्वतीय जिलों का कोई बहुत भला होने वाला है? जहां तक शांति व्यवस्था का प्रश्न है वहां हम लोग यह चाहते हैं कि पटवारी को पुलिस पावर्स दे दिये जायं, इसीलिये कि पुलिस के अत्याचार और जुल्म जो हैं उनसे हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। पटवारी लोगों को पुलिस पावर्स देने से यह भी सम्भावना है कि उस पावर का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू आफिशियल्स और खासकर के पर्वतीय जिलों के एस०डी०ओ०ज० रेवेन्यू आफिसर हैं। जुडीशियल पावर उन्हीं को है और एक्जीक्यूटिव हेड भी वे ही हैं। इस तरह से सभी पावर्स रेवेन्यू आफिसर या उनके कर्मचारियों में कम्बाइन्ड करने से उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिये इस बिल में कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लोग इस बिल का स्वागत करते हैं। इसलिये कि हम जानते हैं कि अगर पुलिस को बढ़ाते जाते हैं तो क्राइम्स अधिक बढ़ती हैं और शांति व्यवस्था के बजाय अराजकता और अशांति लोगों के मन में ज्यादा होती है। वहां के जो रेवेन्यू आफिशियल पटवारी, लेखपाल वगैरह हैं उनका लोगों से ज्यादा सम्पर्क रहता है और जुर्म आदि का पता लगाने में उनको ज्यादा आसानी रहती है तथा सत्य की छानबीन करने में, जुर्म को रोकने में और जुर्म का पता लगाने में वे लोग ज्यादा कामयाब हो सकते हैं बजाय पुलिस आफिसर्स के। इसीलिये इन दो बुराइयों में से ये जो रेवेन्यू आफिशियल्स हैं उनके प्रति लोगों में उतनी अश्रद्धा नहीं है जितनी कि पुलिस के प्रति है। इसीलिये हम चाहते हैं कि यह बिल जो है जिसके अनुसार गवर्नमेंट रेवेन्यू कर्मचारियों को पुलिस पावर्स देने जा रही है उसका हम स्वागत करते हैं ताकि एक यूनीफार्मिटी सारे पर्वतीय जिलों में हो जाय।

दूसरी बात यह कि जुर्म के रोकथाम में या ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था में वे ज्यादा सहायक हो सकते हैं क्योंकि उनका सम्पर्क लोगों से ज्यादा रहता है। एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जब गवर्नमेंट की नीति पर्वतीय जिलों में रेवेन्यू आफिशियल्स को पुलिस पावर्स देने की तो है, यह हम जानते हैं लेकिन जौनसार-भावर के लोगों से पता चला है कि जब कि वहां रेवेन्यू पुलिस अच्छी तरह से काम कर रही है, वहां के लोगों की शिकायत है कि वहां पर आप थाने खोल रहे हैं पुलिस जुरिस्डिक्शन के। मैं नहीं समझता कि जब वहां रेवेन्यू पुलिस है तो फिर रेगुलर पुलिस की क्या जरूरत है। आज तो पर्वतीय जिलों की परिस्थितियां एक सी हैं। इसलिये इन जिलों में रेवेन्यू पुलिस ज्यादा सफल हो सकती है और लोगों में उनके प्रति ज्यादा विश्वास है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता था कि अगर

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

रेवेन्यू आफिसर्स को पुलिस पावर देने के साथ एक्साइज के अधिकार भी दे दिये जायं तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां आजकल एक्साइज के जो जुर्म होते हैं उनको पकड़ने के लिये यह जो आपके इक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं वे वहां नहीं पहुंच पाते हैं और जो इल्लिसिट लीकर वगैरा बनता है उसका पता नहीं चल पाता है और प्राहिबिशन की पालिसी के खिलाफ पर्वतीय प्रदेश में शराब का नाजायज डिस्टिलेशन चलता है और यह तब ही रुक सकता है कि अगर आप वहां के पटवारियों को एक्साइज की पावर दे दें ताकि वह ऐसे जुर्मों का चालान भी सही तौर पर कर सकें और उन केसेज को भी अपने जुरिसडिक्शन में पकड़ सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। बल्कि मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पर्वतीय जिलों के पटवारियों को एक्साइज के केसेज के चालान के अधिकार दिये जायं ताकि सरकार की प्राहिबिशन पालिसी वहां भी कामयाब हो सके और शराब पीने के कारण जो बहुत से नाजायज जुर्म वहां होते हैं वह न हों।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहाड़ के भाइयों ने बताया कि रेवेन्यू पुलिस जो वहां है वह बहुत सुन्दर है और सन्तोषजनक काम करती है, मैं उनसे सहमत हूं और चाहता हूं कि उनको पेंशन मिले, जो सरकार ने किया है वह ठीक किया है, सरकार नियम बना दे कि जितने पटवारी काम कर रहे हैं उन सब को पेंशन दी जाय तो अच्छा है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया है और मैं तो चाहता हूं कि यहां मैदान के पटवारियों को भी पुलिस के अधिकार दिये जायं, इससे रेवेन्यू का काम भी ठीक होगा और लोग उनसे डरेंगे कि वह बन्द भी कर सकते हैं, यह कानून सुन्दर है और मैदान में भी सरकार इसका उपयोग करे तो सुन्दर होगा। इससे टेहरी-गढ़वाल और अल्मोड़ा के लोगों को संतोष है, मैं चाहता हूं कि सब जगह इसका तजुर्बा किया जाय और इसको ठीक ढंग से चालू करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिये बड़े संतोष की बात है कि यह बिल जो उपस्थित किया गया है उसका सभी लोगों ने स्वागत किया है। इसका उद्देश्य स्पष्ट ही है कि पहाड़ के जितने इलाके हैं उनमें सब जगह एक सी पद्धति चालू हो जाय। इस सम्बन्ध में हम को तीन चार सुझाव दिये गये एक तो यह कि इस रेवेन्यू पुलिस को एक्साइज के अधिकार भी दे दिये जायं। इसके अलावा एक क्रांतिकारी सुझाव अभी हमारे मित्र शिवनारायण जी ने दिया कि प्लेन्स में भी हर जगह पुलिस को हटाकर पटवारियों को पुलिस के अधिकार दिये जायं। यह निश्चय ही बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव है और मैं माननीय शिव नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में दूसरे लोगों से बातचीत कर लें और देखें कि कहां तक लोग मैदानी इलाके में इस चीज को पसन्द करते हैं। वैसे पटवारी वगैरा जो लोग हैं वह बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके पास काम बहुत है इसलिये मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा कि उनके ऊपर यह जिम्मेदारी भी डाली जाय। बाकी वहां एक्साइज की पावर देने की बात जो कही गयी इस पर विचार करेंगे और यह प्रश्न सब पहाड़ी जिलों का साथ ही देखना होगा। अब चूंकि इस बिल का सब तरफ से स्वागत हुआ है इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों के (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषक का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड २

कतिपय क्षेत्रों के राजस्व पदधारियों में थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकार निहितकरना।

२—(१) राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा तदर्थ घोषणा करने पर लेखपाल, पटवारी अथवा ऐसा अन्य राजस्व पदधारी (Revenue Offlcial), जो निर्दिष्ट किया जाय, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो निर्दिष्ट की जायं, तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन पुलिस पदाधिकारी (Police Ofiicer) अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी (Officer incharge) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यों (functions and duties) का सम्पादन करेंगे, जो निर्दिष्ट किये जायं भले ही उस विधि में कोई बात इससे असंगत हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में ऐसे प्रासंगिक एवं आनुषंगिक उपबन्ध हो सकते हैं, जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

(३) उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा में निर्दिष्ट लेखपाल, पटवारी अथवा राजस्व पदधारी केवल उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार थाने के अवधायक पदाधिकारियों के अधिकारों का प्रयोग करने के कारण पुलिस ऐक्ट, १८६१ के अधीन नामांकित (enrolled) पुलिस पदाधिकारी नहीं समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

धारा २ के अधीन दी गयी आज्ञा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायगी।

३—(१) उक्त प्रत्येक आज्ञा की प्रतिलिपि, जिसे धारा २ के अधीन जारी किये जाने का विचार हो, पांडुलेख के रूप में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जबकि उनका सत्र हो रहा हो, ३० दिनों से अन्यून अवधि के लिये रखी जायेगी, और यदि उस अवधि के भीतर कोई भी सदन उक्त आज्ञा के जारी किये जाने का अननुमोदन न करे अथवा केवल परिष्कारों सहित उसके जारी किये जाने का अनुमोदन करे, तो उक्त आज्ञा जारी नहीं की जायेगी, अथवा जैसा कि स्थिति अनुसार अपेक्षित हो, केवल ऐसे परिष्कारों सहित जारी की जायेंगी जिनसे दोनों सदन सहमत हों।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

टेहरी–गढ़वाल के राजस्व पदाधिकारियों को थानों (Police Stations) के अवधायक पदाधिकारी (Officer incharge) के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देने का।

विधेयक

यह इष्टकर है कि टेहरी–गढ़वाल के राजस्व पदाधिकारियों को थानों (Police Stations) के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का (प्रयोग करने का अधिकार दिया जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार टेहरी-गढ़वाल जिले में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश रुई ओटने तथा उसकी गांठें बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुई ओटने तथा उसकी गांठें बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की जरूरत इसलिये पड़ी कि तजुर्बे ने बतलाया कि आज तक जिस तरह से यह रुई और उसकी गांठ बांधने का अधिनियम है वह मुकम्मल नहीं है जिससे काम सही तरीके से चल सके । इसीलिये यह विधेयक लाया गया है । बहुत मामूली सा विधेयक है । सदन इस पर विचार करेगा और बाद में अगर कुछ आवश्यकता हुई, तो उसका जवाब दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रुई ओटने तथा उसकी गांठें बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २

यू०पी० ऐक्ट ९, १९४९ की धारा ११ का संशोधन ।

२—१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों का ऐक्ट, की धारा ११ की उपधारा (१) तथा (२) में शब्द, 'मासिक' तथा 'मास' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द 'साप्ताहिक' तथा 'सप्ताह' रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है ।

खण्ड १

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखाने का (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी तथा धारा २ ऐसे दिनांक पर तथा ऐसे क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में एतदर्थ विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*शीर्षक तथा प्रस्तावना

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों के ऐक्ट को संशोधित करने का। यू०पी० ऐक्ट ९, १९४९।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों का ऐक्ट को संशोधित करना आवश्यक है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुई ओटने तथा उसकी गांठे बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रुई ओटने तथा उसकी गांठे बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५५, पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय। श्रीमन्, शायद आप को याद होगा और सदन के माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि जब प्रथम बार संस्कृत विश्वविद्यालय का यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था तो उस समय साधारण वाद-विवाद शायद नहीं हुआ था, क्योंकि

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

ऐसी आवश्यकता थी कि यह जल्दी से प्रवर समिति के पास पहुंच जाय और जब संयुक्त प्रवर समिति से निकल करके यह सदन के सामने फिर प्रस्तुत होगा तो साधारण वादविवाद उस पर उसी समय होगा ।

यह हमारे लिए, हमारे प्रान्त के लिए और मैं समझता हूं कि इस सदन के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि शायद अपने देश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय आपके प्रान्त में बनने जा रहा है । यह सभी की बड़ी उत्कट इच्छा थी और इस कारण सर्व प्रथम मैं इस सदन के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करना चाहता हूं कि उसने जिस समय वाद-विवाद न हो ऐसी प्रार्थना मैंने सदन से की थी, भवन ने इसको स्वीकार किया था । इसमें मैं चाहता हूं कि काफी जल्दी की जाय इसलिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि विश्वविद्यालय की स्थापना में काफी देर लगा करती है । अभी यह जो आपके सम्मुख बिल है उससे आप यह देखेंगे कि हमारे पास इस समय भी बनारस संस्कृत कालेज है जिसका एक बड़ा पुराना इतिहास है । मैं समझता हूं कि शायद देश में इतना पुराना इतिहास रखने वाली संस्कृत की कोई संस्था शायद ही हो । और उसी को हम विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करना चाहते हैं । आज भी उसके द्वारा परीक्षाएं होती हैं । शायद वह परीक्षाएं देश भर में फैली हैं। लेकिन अब हम उसी को एक विश्वविद्यालय का रूप देते हैं । उसका स्तर जहां तक मुझे मालूम है यों तो एक दुख की बात है कि मैं स्वयं संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ हूं लेकिन मुझको यह जानकार के बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसका स्तर आज भी देश में बहुत ऊंचा समझा जाता है । लेकिन जहां तक अनुसंधान का विषय है ऐसा कहा जाता है कि इस समय देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो अनुसंधान में काफी आगे बढ़ गयी हैं । तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का एक ध्येय यह भी है । मैं जानता हूं कि हमारे पास वहां सरस्वती लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी प्राचीन पुस्तकें हैं । जिनसे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में बहुत कुछ निकल सकता है । और वह एक अनुसंधान का बड़ा भारी केन्द्र बन सकता है । तो एक यह भी अभिप्राय है कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय से एक ऐसा प्रकाश हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में, हमारी विद्या के बारे में निकले जो देश भर में और सारे देश को उसके द्वारा दुनिया को ज्ञान दे । प्रवर समिति में जिसमें हमारे इस भवन के और दूसरे भवन के जिनका सम्बन्ध संस्कृत भाषा से था और उसमें दिलचस्पी रखते थे वे सभी इसके सदस्य थे और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस संयुक्त प्रवर समिति के सभापति थे । और मुझे यह भी बड़ी खुशी है कि जहां तक प्रवर समिति की रिपोर्ट का सम्बन्ध है उस पर हर एक सहमत रहा है और मैं आशा करता हूं कि सभी इस विश्वविद्यालय के विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने का प्रयत्न करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति की रिपोर्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । सन् १९५० में सबसे पहले इस सदन में इस विश्वविद्यालय विधेयक की चर्चा हुई थी और हम पिछली असेम्बली में ही यह आशा रखते थे कि यह विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा । लेकिन पिछले ५ या ६ वर्ष तक यह विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले सका । शिक्षा मंत्री जी का यह कहना तो ठीक है कि हमें यह गौरव अनुभव करना चाहिये कि संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक सर्व प्रथम इस प्रान्त में बना । लेकिन बनने से और पास होने से पहले पंजाब ने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाना स्वीकार कर लिया है और उसका कानून भी बन गया है । लेकिन यह श्रेय हमारे प्रान्त को है कि पहले पहल प्रारम्भ हमी ने किया था और आज हम उसको मूर्तरूप देने जा रहे हैं । संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक

में जो बातें लिखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा तजकिरा शिक्षा मंत्री जी ने किया । मोटे तौर पर हम संस्कृत साहित्य को दो हिस्सों में बांट सकते हैं । एक वह संस्कृत साहित्य का भाग है जो कि प्राचीन है और जो कि शायद कुछ सरल भाषा में लिखा गया है और जिसको कोई भी व्यक्ति ३, ४ महीने के प्रयास से पढ़ सकता है । श्रुति और स्मृति को हम उस प्राचीन साहित्य में गिनते हैं । दूसरा भाग वह है जो मध्यकाल के कवियों ने बनाया, लेकिन चूंकि उस वक्त संस्कृत भाषा सम्भवतः प्रचलित नहीं थी उसकी भाषा कठिन हो गई और आज उसे पढ़ना, मेघदूत वगैरह को पढ़ने के लिये उससे अधिक समय लगेगा जो कि प्राचीन साहित्य में लगता है । मैं पिछले ४ वर्ष से संस्कृत कालेज की शिक्षा समिति का सदस्य हूं और मैं जानता हूं कि यद्यपि उस कालेज की ओर से परीक्षायें होती हैं, लेकिन वे विश्वविद्यालय की परीक्षायें न होने की वजह से उतना सम्मान नहीं पाती, जितना की पाना चाहिये । और इसके लिये मैं मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री को, जिनकी प्रेरणा या सूझ से पहले पहल सन् १९५० में इस विश्वविद्यालय के बनाने की नींव कायम हुई थी, दोनों को बधाई देता हूं और मैं यह चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय विधेयक जब कार्य रूप में आये तो न केवल इस प्रान्त के बल्कि दूसरे प्रदेशों के और इस देश के बाहर के विद्यार्थियों को भी संस्कृत शिक्षा की उन्नति करने में मदद दे और इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का और भी अधिक स्वागत करता हूं । आम तौर पर विश्वविद्यालय जिस प्रान्त में होते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं और वहीं के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने में सहायक होते हैं ।

इस विश्वविद्यालय विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रदेश से और इस देश से बाहर के विद्वान् भी इस विश्वविद्यालय की सेवाओं से लाभ उठा सकें और उससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर सकें । मेरा अपना विश्वास है कि हमारे इस संसार की भाषाओं में सबसे ऊंचा और सबसे प्राचीन साहित्य संस्कृत में है और यदि हम उस थाती को कायम रखना चाहते हैं तो हमें संस्कृत साहित्य की उन्नति के लिये अधिक से अधिक और ऊंची से ऊंची व्यवस्था करनी चाहिए और इस दृष्टि से हमें इस विधेयक का हृदय से समर्थन करना चाहिए । मैं आज जब हरिद्वार से आ रहा था तो यह सोच रहा था कि यद्यपि इस विधेयक में यह व्यवस्था है और यह विधेयक वाराणसी में सीमित किया गया है, लेकिन अच्छा यह रहता कि यह विश्वविद्यालय प्रान्त के अन्य शहरों में भी अपने कुछ विभाग रख सकता । लेकिन चूंकि प्रवर समिति ने यह फैसला किया है और रिपोर्ट की है कि वाराणसी में ही यह विश्वविद्यावय रहना चाहिये । इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं । अन्त में अपने दो पद्यों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं—

पुरी वाराणसी यत्र-यत्र देवापगा शुभा ।
वर्द्धतां देवगीस्तत्र विद्वद्भिस्सेविता सदा ।।

इच्छामि केवलं श्रीमन् गुरुकुलनिषेविणः ।
पंडिता माननीयाः स्युः विश्वविद्यालये नवे ।।

सम्पूर्णानन्द • निर्दिष्टं हरगोविन्दनिर्मितम् ।
देववाणी प्रसारार्थं विधेयकमिदं शुभम् ।।

निर्विवादं मिलित्वा हि पारयन्तु सभासदः ।
शास्त्री दीनदयालुर्हि स्तौति स्तोत्रं मुहुर्मुहुः ।।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—जरा मैं अर्ज करता हूं आपसे, सुन लें । यहां की जबान हिन्दी हो गई है । माननीय सदस्य ने सिर्फ संस्कृत में पढ़ा । कृपा कर के उसका हिन्दी भी कर दें तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कोई बहुत आवश्यकता उसकी नहीं है। बहुत कुछ लोग समझ हो गए हैं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण इस देश की सांस्कृतिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से और सामाजिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से एक अत्यन्त वांछनीय आवश्यकता थी। कई वर्षों से हम सभी यह महसूस कर रहे थे कि अगर हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परम्परा, भारतीय शास्त्र और भारतीय वांगमय का कोई विशिष्ट गवेषणात्मक दृष्टि कोण से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आने वाली सन्तान के लिए, आने वाली परम्पराओं के लिए भी हमें उस निधि को सुरक्षित रखना है जो कि शताब्दियों के क्रम में इतिहास ने जो हमारे हाथों दी है तो इस बात की अत्यन्त आवश्यकता थी कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाय। इधर-उधर वर्षों से, सदियों से इस प्रकार के प्रयत्न रहे हैं, विद्वानों ने इस प्रकार के प्रयत्न किये हैं, सामाजिक और शिक्षात्मक संगठनों ने इस प्रकार के प्रयत्न किये हैं कि संस्कृत शिक्षा का बराबर प्रयत्न वह करें। कुछ दानी महानुभावों ने भी, कुछ गुरुकुल के प्रयासों ने भी इस प्रकार की चेष्टायें की हैं कि संस्कृत भाषा का जो महान् ज्ञान का भंडार और आगार है वह विशिष्ट कालेजों के द्वारा या शिक्षण संस्थाओं के द्वारा उसका आदान-प्रदान होता रहे। लेकिन अभी तक कोई इस प्रकार की विशेष चेष्टा नहीं हुई कि इन कालेजों को, इन शिक्षा के माध्यमों को कोई विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया जाय। जो प्रयत्न हुए भी हैं वह अधूरे प्रयत्न रहे हैं। उनको शासन का इतना बल नहीं मिला है जितना मिलना चाहिये। संस्कृत भाषा भारत की सभी भाषाओं के मूल में है, बल्कि आज भारत में विधान के अनुसार जो प्रचलित भाषाएं हैं, उनमें से अधिकांश भाषाओं का उद्गम, मूल-स्रोत संस्कृत भाषा है और आजकल तो बहुत से विद्वान् यह कहने लगे हैं कि वास्तव में हिन्दी के स्थान पर संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिये, क्योंकि मद्रास, दक्षिण भारत की तरफ जो तामिल, मलियालम, कन्नड़ आदि भाषाएं हैं वह संस्कृत से अधिक मेल खाती हैं, हिन्दी से उतना मेल नहीं खाती हैं। मैं इस विषय में बहुत अधिक नहीं पड़ना चाहता और न यह प्रश्न उठाना उचित होगा कि कौन सी राष्ट्र-भाषा हो—हिन्दी हो या संस्कृत हो। हिन्दी तो राष्ट्रभाषा है ही। मैं इस विवाद में तो नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मेरी राय यह है कि संस्कृत शायद ज्यादा क्लिष्ट हो जाती, मुश्किल हो जाती इसलिए अभी तो वह समय नहीं आया है कि हम विचार करें कि यहां की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो या न हो। उस स्थिति पर अभी हम पहुंच नहीं पाये हैं। लेकिन जो कदम आज से बहुत पहले उठ जाना चाहिये था, सन् ५० में ही हमको सदन में आश्वासन दिया गया था कि बनारस का संस्कृत कालेज विश्वविद्यालय का स्वरूप धारण करेगा, तो सन् ५० में जो कार्य हो जाना चाहिये था वह सन् ५६ में हो रहा है। लेकिन तो भी हमें कोई शिकायत नहीं। देर भी आपने की, मगर आज आप विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं तो मुबारकबाद आपको और सरकार को कि ६ साल के बाद अगर आप अपने वादे को पूरा कर रहे हैं तब भी हमको इसके लिए कोई विशेष शिकायत नहीं है। बात यह है कि जहां तक इस विधेयक का मंशा है, अर्थ है कि बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाय और संस्कृत कालेज को यूनिवर्सिटी बना दिया जाय, उससे हम पूर्णतया सहमत हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि आपका उद्देश्य सही है।

हमारा आपका उद्देश्य एक है कि बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित की जाय, लेकिन इस आत्मा को जो देह आपने प्रदान की है, जो ढांचा आपने इस विश्वविद्यालय को प्रदान किया है यह ढांचा क्या संस्कृत विश्वविद्यालय के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन महान् और पुरातन आदर्शों को पूरा करता है? क्या उन परम्पराओं को—नालंदा की, वैशाली की, तक्षशिला की, उस संस्कृत वांगमय की आधारशिला की, उनको पूरा करता है और उसके मुताबिक यह सही बैठता है। आज मुझे तो यह आशा थी कि हम संस्कृत के आचार्यों के ऊपर छोड़ देते कि वह आचार्य हमको बतलाते कि वह किस प्रकार का विश्वविद्यालय चाहते हैं। हमने क्या किया है आज? हमने यह किया है कि जो वेस्टर्न पैटर्न हैं यूनिवर्सिटीज का, जो पाश्चात्य तरीका है उस तरीके के नाम का बाना बदल कर हमने संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम रख दिया और उसमें भी उपकुलपति, प्रस्तोता और ग्रंथाध्यक्ष नाम हिन्दी और संस्कृत के रख दिये हैं, लेकिन बाना, कलेवर, हमने उसको वही दिया है जो पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत है। वहां यूनिटरी टीचिंग, अफिलिएटिंग, यही खिचड़ी जो वहां की थी इसमें वही रखी है। आप कहेंगे कि यह ठीक है, इसमें शिकायत की क्या बात है, जो ढांचा दूसरी यूनिवर्सिटियों का है वही हम रखते हैं, लेकिन हम ऐसी आशा नहीं करते थे। अगर हम देश को एक संस्कृत विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं तो इसका विधान भी अनोखा होना चाहिये था—अनोखे से तात्पर्य यह नहीं कि वह रहस्यपूर्ण हो, बल्कि वह सरल हो और मैं तो यह चाहता कि यह संस्कृत विश्वविद्यालय का कानून यहां से न आता इस प्रदेश से। अगर आज संस्कृत विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, संस्कृत वांगमय राष्ट्रीय आवश्यकता न होकर एक अन्तराष्ट्रीय आवश्यकता है तो क्यों न भारतीय पार्लियामेंट आकर इस संस्कृत विश्वविद्यालय का विधान बनाये? मैं तो इस बात की मांग करूंगा अगर मेरे शब्द वहां तक पहुंच सकें। यह केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग का फर्ज था, कर्त्तव्य था, दायित्व था कि जिस प्रकार से बनारस तथा अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज को उसने अपने हाथ में लिया है उसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित करती, क्योंकि उसके पास धन अधिक है और साधन अधिक हैं। यदि केन्द्रीय सरकार इसको बनाती और पार्लियामेंट में इसका विधान बनता तो अति उत्तम होता। मैं इस बारे में प्रोटेस्ट के रूप में शिकायत कर रहा हूं, क्योंकि आप देखें कि इसमें विधान के संबंध में कठिनाइयां आयेंगी। अब आप देखें कि सिलेक्ट कमेटी ने रखा है कि दूसरे राज्य के संस्कृत कालेज भी इससे एफीलियेटेड हो सकते हैं। इसमें वैधानिक कठिनाइयां पड़ेंगी।

अब यहां पर माननीय मंत्री जी मुझे गलत न समझें। वह कहेंगे कि हम यह चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय प्रदेश तक ही सीमित रहे। मेरी इच्छा ऐसी नहीं है और मैं भी चाहता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय विश्व का विद्यालय हो और केवल प्रदेश का ही न हो। लेकिन हम वैधानिक कठिनाइयों का क्या करें? विधान में यूनिवर्सिटीज के संबंध में स्टेट लिस्ट में १० पर यह आइटम रखा हुआ है यानी विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पास पहुंच गये हैं। उदाहरण के लिये अगर बिहार का कोई संस्कृत कालेज हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी से ऐफीलियेट कराना चाहे तो क्या दिक्कत होगी। पहले बिहार सरकार एक ऐक्ट बनाये, जैसा कि मैं समझता हूं, उससे ताकत पाकर बिहार सरकार यू० पी० सरकार को लिखे तब जाकर यूनिवर्सिटी ऐफीलियेट करेगी। इसके लिये पार्लियामेंट को ला बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटर स्टेट के संबंध में केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है तो यह बड़ी भारी दिक्कत है। हम चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय विश्व का विद्यालय हो सके, लेकिन वैधानिक कठिनाइयां हैं जिनको पूरा करना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई वैधानिक आपत्ति उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो इसमें दिक्कतें हैं उनको सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि हम जल्दी में ऐसा अधिनियम न बना डालें जो व्यवहार में प्रयुक्त न हो सके। इस ओर हमें ध्यान देना है।

दूसरे श्रीमन्, आप देखें कि इसमें धारायें परस्पर विरोध करती हैं। अभी आप देखें कि बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी के बिल की धारा ५ में लिखा हुआ है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यू० पी० के बाहर जब तक ऐफीलियेट नहीं करेगी जब तक कि वहां की सरकार मांग न करे। लेकिन जो धारा ३२ है उसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने के लिये उस समय तक अधिकारी न होगा जब तक कि उसने बनारस यूनिवर्सिटी की मध्यमा परीक्षा पास न की हो या ऐसी परीक्षा पास न की हो जिसे राज्य सरकार ने इसके समकक्ष माना हो या ऐसी योग्यता न रखता हो जो अध्यादेश द्वारा नियत की जाय। यदि कोई बिहार का संस्कृत कालेज हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी से ऐफीलियेट कराना चाहे तो पहले यू० पी० की सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में, सिलेबस के सम्बन्ध में। यानी बिहार की राज्य सरकार का सिलेबस मान्य नहीं होगा। यू० पी० की राज्य सरकार के सिलेबस को बिहार के कालेज को मानना पड़ेगा धारा ३२ के अनुसार और सेलेक्ट कमेटी ने इसको अमेंड नहीं किया, इस गतिरोध को बने रहने दिया। कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो हम धारा ५ में यह सिद्धान्त मान लें कि यू० पी० के बाहर के कालेजेज ऐफीलियेट हो सकते हैं और राज्य सरकार की इजाजत से हो सकते हैं और दूसरी तरफ हम खुद यह लिख दें कि यू० पी० की राज्य सरकार का जो माना हुआ सिलेबस है उसी सिलेबस के हिसाब से जिसने इम्तहान दिया है केवल वही विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठ सकेगा। एक तरफ वैधानिक कठिनाई, दूसरी तरफ जो आपने खुद रखा है वह कठिनाई। इन दो कठिनाइयों को जब तक दूर नहीं किया जायगा तब तक आपका विश्वविद्यालय भारत भर का भी विश्वविद्यालय नहीं हो सकता।

दूसरी बुनियादी अड़चन जो इसमें आ गयी है वह मैं जो इसका प्रिएम्बिल है उसे पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा हुआ है:

"Whereas it is expedient to establish and incorporate a Sanskrit Vishwavidyalay at Banaras and to vest there in the functions at present discharged by the Government Sanskrit College, the Saraswati Bhawan Library and the State Board of Sanskrit Education."

यानी संस्कृत विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट संस्कृत कालेज भी वेस्ट कर जायगा, सरस्वती लाइब्रेरी भी वेस्ट कर जायगी और स्टेट बोर्ड आफ संस्कृत एजुकेशन भी वेस्ट कर जायगा। इस तीसरी वेस्टिंग से मुझे आपत्ति है। संस्कृति एजुकेशन बोर्ड तो एक बोर्ड है, उसे यूनिवर्सिटी में कैसे वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमसे कल यह कहने लगे कि यू० पी० बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वेस्ट कर जाय, तो यह कैसे हो सकता है। दोनों का काम बिलकुल अलग-अलग है। यूनिवर्सिटी का काम एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा देना है और संस्कृत बोर्ड आफ एजुकेशन का काम बहुत बड़ा है, प्राइमरी पाठशालाओं का भी नियंत्रण करेगा, माध्यमिक पाठशालाओं का भी नियंत्रण करेगा। तो आखिर क्या मन्शा है आपकी? कहीं पर इस विधेयक में आगे यह नहीं दिया हुआ है कि वाइस चान्सलर बोर्ड का चेयरमैन होगा। माननीय मंत्री संसार के विश्वविद्यालयों में से एक ही उदाहरण दिखला दें जिसमें स्टेट बोर्ड आफ एजुकेशन जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिये बनाया जाता है उसको यूनिवर्सिटी में वेस्ट किया गया हो।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---देंगे उदाहरण।

श्री नारायणदत्त तिवारी---दूसरी बात यह है कि जो इसको स्वरूप प्रदान किया गया है वह यूनिटरी कैरेक्टर भी है, टीचिंग कैरेक्टर भी है और ऐफीलियेटिंग कैरेक्टर भी है। यानी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का काम भी होगा, विभाग भी खुलेंगे, सम्बद्धता भी यही करेगा और पठन-पाठन का काम भी यही करेगा। मेरे विचार से इसमें सम्बद्धता का जो प्रश्न है

उसके लिये या तो आगरा यूनिवर्सिटी का पैटर्न देते, टीचिंग और ऐफीलियेटिंग या हम इसको इलाहाबाद या लखनऊ का पैटर्न देते, यूनिटरी। लेकिन इसको हमने ऐफीलियेटिंग कैरेक्टर प्रदान करके जहां हम चाहते हैं कि बड़ा भारी केंद्र बने वह नहीं हो पायेगा, न केंद्र बन पायेगा न विस्तार बन पायेगा। या तो केंद्र बनाइये या विस्तार बनाइये? अगर आप दोनों बनाना चाहते हैं तो सरकार को आश्वासन देना होगा कि फंड्स भी उतने दिये जायेंगे। सरकार बतलाये कि वह कितना रुपया इस पर खर्च करने वाली है। मुझे बड़ा शक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर कर्जे की हालत को देख कर, लखनऊ यूनिवर्सिटी पर १५-१५, २०-२० लाख कर्जे की हालत देख कर मुझे बड़ा शक होता है कि इस यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा स्वरूप देने के बाद सरकार इसे निबाह पायेगी। अब आगे प्रवर समिति ने बहुत से परिवर्तन इस विधेयक में किये हैं जैसे पहले चांसलर जो कुलपति इस संस्कृत यूनिवर्सिटी के होते वह शिक्षाविद, संस्कृत के विद्वान, इंडोलोजी के विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते जैसा इस विधेयक में लिखा हुआ है। यह क्वालिफिकेशन थी चांसलर कि वह संस्कृत भाषा का विद्वान हो या भारतीय भाषा के विद्वान हों, जैसे डाक्टर भगवानदास सरीखे लोग, बहुत कम लोग इसमें चांसलर हो सकते हैं। लेकिन इसको भी समिति ने विकृत कर दिया। मुझे माफ करेंगे सेलेक्ट कमेटी के आदरणीय सदस्य, मैं उनकी शान के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपने फिर राज्यपाल को इस यूनिवर्सिटी का भी चांसलर बना दिया। राज्यपाल को बख्शिये, उनको बहुत काम है, ६ यूनिवर्सिटियां पहले से ही पड़ी हुई हैं उनके पास। जब मैंने शुरू में इस ऐक्ट को पढ़ा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम एक ऐक्ट तो ऐसा होगा, जिसमें गवर्नर साहब को छुट्टी दी जायगी और गवर्नर साहब को चांसलर नहीं बनाया जायगा लेकिन सेलेक्ट कमेटी में यह फिर पलटा खाया और फिर गवर्नर साहब को चांसलर का पद देने की बात रख दी गई। कोई विद्वान चांसलर होता और वह पूरा समय अपना देता या आनरेरी भी काम करता तो राज्यपाल से ज्यादा अच्छा निश्चय ही होता। आप एक बार राज्यपाल की नियुक्ति करने के बाद ६ साल तक अटोनामी को खत्म करते हैं, राज्यपाल राज्य सरकार का हेड है वही चांसलर हो गया तो अटोनामी उतने माने में लिमिटेड हो जाती है, स्वायत्तता उतने अर्थ में क्षीण होती जाती है और उसका समय-समय पर क्रमशः हनन होता जाता है, क्योंकि राज्यपाल जितने समय तक राज्यपाल रहेंगे, कोई भी पार्टी का राज्य हो इस माने में स्टेट का हेड यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा। फिर एक बात यह भी है कि वह इंडोलाजिस्ट हो या न हो यह आवश्यक नहीं है कि गवर्नमेंट का जो हेड होगा वह हमेशा इंडोलाजी का विद्वान ही होगा, या वे संस्कृत के विद्वान ही होंगे। बहुत से ऐसे गवर्नर होंगे जो दूसरी योग्यतायें रखते हों किन्तु संस्कृत के बारे में कुछ न जानते हों। ऐसे बहुत से गवर्नर हो सकते हैं जो आर्किटेक्चर के बड़े भारी पंडित हों या पोलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हों, लेकिन यह हो सकता है कि संस्कृत से उनको उतनी दिलचस्पी न हो, तो इसलिये राज्यपाल को उनकी मर्जी के खिलाफ चांसलर बनाया जाय और वह भी हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये तो यह बिलकुल ही उचित नहीं है। तो मैं चाहता था कि इस सिद्धांत पर कि संस्कृत यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन हो इस पर विचार होना आवश्यक है।

अब एक और नई चीज इसमें जोड़ दी गई है जो पहले न थी, प्रो-चांसलर जोड़ दिया गया है अब इसका नाम रखा गया है प्रतिकुलपति, अब मैं तो इसे आडम्बर कहूंगा और इस आडम्बर से हम जितना संकृत विश्वविद्यालय को मुक्त कर सकें उतना ही अच्छा है, लेकिन भविष्य में आडम्बर को और भी अधिक वेग से ला दिया गया है। अब प्रतिकुलपति क्या करेंगे उसके क्या फंक्शन्स होंगे। प्रो-चांसलर देहली यूनिवर्सिटी में है। दो चार और यूनिवर्सिटियों में है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां अवश्य है जहां प्रो-चांसलर हैं। लेकिन प्रो-चांसलर क्या काम करते हैं। अब जैसे एक काम उनका मान लीजिये कि आम तौर पर यूनिवर्सिटी का काम यह होता है कि जब चांसलर मौजूद नहीं है वाइस-चांसलर बोर्ड की मीटिंग प्रेसाइड करेंगे। जब चांसलर मौजूद नहीं है तो वाइस-चांसलर प्रेसाइड करेगा। बस इतना फर्क

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

होगा कि अगर चांसलर मौजूद न हुआ तो प्रो-चांसलर प्रेसाइड कर लेगा कोर्ट की मीटिंग में और वाइस चांसलर बगल की कुर्सी में सुशोभित होगा और अगर यही काम है तो है और नहीं तो नाम के लिये ही होगा।

अब इसमें आपने जो प्रतिकुलपति बनाये हैं बनारस के कि महाराजा विभूतिनारायण सिंह विश्वविद्यालय के आजीवन प्रतिकुलपति होंगे तो इसमें मुझे बनारस के महाराजा से कोई नाराजी या शिकायत है व्यक्तिगत इसकी संभावना शायद नहीं हो सकती, लेकिन आजीवन नाम से लिख देना कि महाराजा आजीवन प्रतिकुलपति होंगे और बाद में कौन होगा उसके लिये आपने लिखा है कि जो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् द्वितीय और उसके बाद प्रतिकुलपति नियुक्त करेगी और वे ऐसे कार्यकाल के लिये पदासीन होंगे, जिसे कुलपति प्रत्येक दशा में निर्धारित करेगा मैं कहता हूं कि कानून ऐसा बनाया जाय कि जो स्पष्ट हो। महाराजा विभूतिनारायण सिंह के जीवन काल तक तो वह, प्रतिकुलपति बने रहें, लेकिन उनके बाद प्रतिकुलपति वही होगा कि जिस को गवर्नर, चांसलर गवर्नमेंट की सिफारिश पर नियुक्त करेगा और ऐसे टाइम के लिये कि जो राज्य सरकार कहे। यह भी हो सकता है कि किसी को ६ महीने के लिये प्रो-चांसलर बना दिया जाय, किसी को साल भर के लिये बना दिया जाय किसी को दो साल के लिये बना दिया जाय। इसमें न तो कोई नियम है और न कुछ और ही है। सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, यानी राज्य सरकार प्रो-चांसलर अप्वाइन्ट करेगी। यहां तो फर्स्ट प्रो-चांसलर को हाउस अप्वाइन्ट कर रहा है क्योंकि अगर वह पहले होते हैं तो हाउस के कहने से होते हैं, राज्य सरकार के कहने से नहीं, लेकिन आगे नहीं होंगे। पहला प्रो-चांसलर हो हाउस बनाये और बाकी सरकार बनाये। अच्छी अटोनामी है, साहब। पहले तो आपने आडंबर खड़ा कर दिया और उसके बाद कानून को इतना अस्पष्ट किया कि जिसका कोई अर्थ नहीं। बिलकुल अर्थहीन बना दिया उसको। तो मैं पहले तो प्रो-चांसलर की कोई आवश्यकता ही नहीं समझता, लेकिन अगर आप इसके लिये कोई काम निकाल भी दें और उसे बना भी दें, चाहे गलती से बना डालें या किसी और वजह से, तो फिर इसमें आगे साफ नहीं है कि प्रो-चांसलर कौन होगा। इसके ठीक से नियम बनाये जाने चाहिये; कुलपति के बारे में नियम है, चाहे वह गलत ही हों, लेकिन जो गवर्नर है वही कुलपति हो सकेगा, हमेशा के लिये है यह, जब तक कि ऐक्ट न बदला जाय। तो इस तरह से भी इसमें भी, इसके बारे में भी होना चाहिये।

अब वाइस-चांसलर के चुनाव की प्रणाली को आप लें। इसमें अवश्य कुछ सुधार हुआ है, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि आज तक जितने राज्य सरकार ने वाइस चांसलर के चुनाव के बारे में प्रस्ताव रखे हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में, लखनऊ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटियों के बारे में, उन सब से अच्छा यह प्रस्ताव कहा जा सकता है, जो आज यहां प्रस्तुत है। अगर इस प्रस्ताव को गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये भी मान लिया गया होता तो अच्छा था। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इसको आगे बदले नहीं, लेकिन मालूम होता है कि सरकार से कुछ गलती इस संबंध में हो गई है। इसमें एकेडेमिक कौंसिल और एक्जीक्यूटिव कौंसिल से भी राय लेने की बात रखी गई है, इसके चुनाव के बारे में। यह उतना आदर्श तो नहीं है, लेकिन और दूसरे विधेयकों से अच्छा है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आपको तो आदर्श दिखलाई नहीं देगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप जैसे आदर्श व्यक्तियों के सामने आदर्श दिखलाई भी कैसे दे। तो यह जो वाइस-चांसलर के चुने जाने का तरीका है यह औरों से अच्छा है, लेकिन इसमें जो उपधारा ३ जोड़ दी गई है कि कमेटी जो विद्वानों की लिस्ट के साथ क्वालि-

फिकेशन की भी लिस्ट भेजेगी यह किसी ऐक्ट में नहीं है, न तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐक्ट में और न दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐक्ट में ही। यहां जो तरीका माना गया है वह राजस्थान यूनिवर्सिटी का माना गया और राधाकृष्णन कमीशन और मूथम कमेटी ने भी इसी तरीके को बताया था, इस एकेडेमिक कौंसिल वाले तरीके को। इसलिये मैं कम से कम यह जरूर मांग करूंगा कि उपखंड ३ में जो क्वालिफिकेशन की लिस्ट भेजने की बात कही गयी है यह शोभनीय नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि वह सिफारिश के अनुसार चांसलर के हाथ में शैक्षिक विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसमें सिफारिश की गयी, शिक्षा की योग्यता दिखायी गयी। मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के विवरण रखने से अच्छा आदमी वाइस-चांसलर होने से इंकार करेगा। कोई चांसलर वायस-चांसलर नियुक्त होने के पहले यह समझ लेगा कि कितनी इसकी काबिलियत है।

इसके साथ-साथ इसमें जो प्रस्ताव रखा गया है उपकुलपति के बारे में वह यह है कि प्रथम उपकुलपति सरकार नियुक्त करेगी और वह तीन साल के लिये नियुक्त किया जायगा। मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि यह पहला वाइस-चांसलर कितने दिनों तक कार्य करेगा और सरकार इसके बारे में आज तक निश्चय नहीं कर पायी। पहले जो आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक रखा गया था तो उसमें वायस चांसलर के लिये एक साल का समय पहले वायस-चांसलर के लिये रखा गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये २ साल रखा गया था और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये ५ साल रक्खा गया था अब संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये वह ३ साल समय रखा जा रहा है। यह समझ लिया जाय कि पहला वाइस-चांसलर तब तक रहेगा जब तक कि यूनिवर्सिटी के अथारिटीज कांस्टीट्यूट न हो जाये। जब तक एक्जिक्यूटिव कौंसिल बने, जब तक एकेडेमिक कौंसिल बने, और सीनेट बने तब तक ही वह रहेगा। जब यह बन गयी तो फिर ऐक्ट के केअनुसार वाइस-चांसलर का चुनाव किया जा सकता है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल एक साल के अन्दर या ज्यादा से ज्यादा दो साल के अन्दर बन जायगी। बस उतने ही समय तक पहला वाइस-चांसलर रहना चाहिये। लेकिन ३ साल या ५ साल किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये। क्या सरकार यह समझती है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल ३ साल तक कांस्टीट्यूट नहीं होगी, एकेडेमिक कौंसिल नहीं बनेगी या सीनेट नहीं बनेगी। अगर संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिये तीन साल एक्जिक्यूटिव कौंसिल के बनाने में लगेंगे, तीन साल एकेडेमिक कौंसिल के बनाने में लगेंगे और सीनेट के बनाने में तीन साल का समय लगता है तो फिर यह विधेयक पास करना बेकार है और इसका जल्दी पास किया जाना बेकार है। इसलिये तीन साल के बजाय अधिक से अधिक जो पहले हमने आगरा युनिवर्सिटी के लिये एक साल का समय वाइस चांसलर के लिये रखा है वही ठीक होगा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको एक साल के लिये और बढ़ाया जा सकता है।

इसके साथ-साथ इस विधेयक में एक्जिक्यूटिव कौंसिल का नाम कार्यकारिणी परिषद् रखा गया है। इसमें कौन मेम्बर होगा और कितने मेम्बर होंगे इसका कुछ पता नहीं है। इसमें कहा गया है कि इसको स्टेट्यूटस् के मातहत तय किया जायगा कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल के कितने मेम्बर होंगे। क्यों साहब इसका क्या कारण है? पहले तो सरकार ने स्टेट्यूट्स को बनाया फिर वह दस दिन के लिये हाउस के सामने पेश होगा। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल पहले यहां प्रस्तुत किया गया तो उसमें भी सरकार ने यह लिखा था कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल स्टेट्यूटस के मातहत बनेगी तो फिर वह सेलेक्ट कमेटी में जार अमेंडमेंट हुआ। एक्जिक्यूटिव कौंसिल हाउस को बनानी चाहिये या तो सभी बातें स्टेटयूट्स से हों जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर स्टेटयूट्स के मातहत बनता है। सीनेट भी उसी के मातहत बनती है और कौंसिल भी वैसे ही बनती है लेकिन हमारे यहां संस्कृत यूनिवर्सिटी में क्या तारीफ है कि जब वाइस चांसलर ऐक्ट के माहत तय होगा, चांसलर ऐक्ट के मातहत तय होगा और सीनेट ऐक्ट के मातहत तय होगी तो फिर एक्जिक्यूटिव कौंसिल स्टेट्यूट्स से तय हो और

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ऐक्ट के मातहत तय न हो। हमने इसी सदन में गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट में कुछ ऐसा किया है और हमने ऐक्ट में उसको स्थान दिया है। ऐक्जिक्यूटिव कौंसिल वाइस चांसलर के बाद सब से बड़ी शक्ति है यूनिवर्सिटी के अन्दर जो प्रत्येक कार्य के लिये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदार होती है। हम एक्जिक्यूटिव कौंसिल के अन्दर यह देखते हैं कि बाहर की शक्ति भी उसमें संतुलित रहनी चाहिये। राधाकृष्णन कमीशन ने जैसा कहा, आन्तरिक तत्वों और बाहरी तत्वों में बैलेंस रहना चाहिये। एकैडिमीशियन्स जो यूनिवर्सिटी को चलाते हैं उनका और बाहरी तत्वों का बैलेंस होना चाहिये। अगर किसी बहुमत है तो जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते है उनका होना चाहिये। हमें देखना है यक एग्जीक्यूटिव कौंसिल ठीक बने और उसमें सरकार का बहुमत न हो। स्वाधीनता की कुंजी है एग्जीक्यूटिव कौंसिल, इसलिये सदन की मांग होनी चाहिये कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को यूनिवर्सिटी बनावे और ऐक्ट में इसका स्थान हो। यही स्थिति एकेडेमिक कौंसिल यानी शिक्षा परिषद की भी है। उसमें कितने सदस्य होंगे और क्या उनके कार्य होंगे, यह स्पष्ट नहीं है। हमने इस बात का तो प्रबन्ध किया है कि बिहार के, बंगाल, पंजाब, बम्बई आदि के संस्कृत कालेज हमारी इस यूनिवर्सिटी से संबंधित हों लेकिन इसका प्रबन्ध नहीं किया है कि उन कालेजों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में हों। पटना के या दूसरे राज्यों के कालेजों के अध्यापकों या प्रिंसिपलों को भी सीनेट का सदस्य होने का अवसर होना चाहिये। आगरा यूनिवर्सिटी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य भारत के कालेज एफीलियेटेड थे और उनके अध्यापकों को वही प्रतिनिधित्व का अधिकार था जो यू० पी० वालों को था। झगड़े वहां जरूर थे। लेकिन कितना हार्टबर्निंग होगा अगर दूसरे प्रदेशों के कालेज वाले देखेंगे कि उनका संस्कृत यूनिवर्सिटी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि आजमगढ़ के संस्कृत कालेज का प्रतिनिधित्व है? यह न्यायसंगत होगा कि हम उन्हें प्रतिनिधित्व सीनेट और एग्जीक्यूटिव कौंसिल में दें।

एक अच्छी बात जो इस विधेयक में है वह यह है कि स्टूडेन्ट वेलफेयर बोर्ड की रचना कर दी गई है। हम लोगों ने इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्टों में यह संशोधन रखे थे कि डीन आफ स्टूडेन्ट्स वैलफेयर के साथ-साथ स्टूडेन्ट्स वेलफेयर बोर्ड भी हम रखें। यही अच्छी बात है जो शायद सरकार के और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से डरने के कारण वहां नहीं रखी गई है। लेकिन संस्कृत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का ख्याल हुआ और उन्होंने यह इस विधेयक में रख दिया है। देखना है कि उसके क्या अधिकार होते है और हमारा सुझाव होगा कि इस बोर्ड के चेयरमैन डीन आफ स्टूडेन्ट्स वेलफेयर हों। इस विधेयक में एक विशेष बात हमें देखने में यह आती है कि इसका कोई विधान नहीं है कि अध्यापकों का सेलेक्शन कौन करेगा। सेलेक्शन कमेटी की कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी ऐक्ट को ले लीजिये, दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक जो हमने अभी पास किया है हर जगह सेलेक्शन कमेटी है, जो अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में सलाह देगी और विश्वविद्यालय के टीचर्स की सिफारिश करेगी। इसमें केवल धारा ४० में जरा जिक्र है कि दी जाने वाली रीति से अध्यापक नियुक्त किये जावेंगे। मेरे विचार से इस विधेयक में सेलेक्शन कमेटी का रखना अत्यन्त आवश्यक है। सेलेक्शन कमेटी कैसी होगी, कौन-कौन उसमें रहेंगे इसके बारे में निश्चित हो जाता तो अच्छा होता लेकिन ऐक्ट में कुछ इसके बारे में निश्चित नहीं हुआ है वह स्टेट्यूट्स के मातहत बनायी जायगी। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटियों की भांति संस्कृत यूनिवर्सिटी की सेलेक्शन कमेटी को भी यूनिवर्सिटी अथारिटी का स्थान दिया जाना चाहिये उसे यह स्टेट्स प्राप्त होना चाहिये। लेकिन ऐसा इस विधेयक में नहीं किया गया है, जो इसकी एक बड़ी भारी कमी है जिसके दूर किये जाने की आवश्यकता है। इस विधेयक में रजिस्ट्रार के बारे में भी यह कहा गया कि वह सेलेक्शन कमेटी के द्वारा चुना जायगा। हमने यह तो विधान कर दिया कि रजिस्ट्रार सेलेक्शन कमेटी द्वारा चुना जायगा लेकिन यह निश्चित नहीं कि रजिस्ट्रार को चुनने वाली सेलेक्शन कमेटी कौन होगी, विशेष रूप से जब इस रजिस्ट्रार

की ताकत बढ़ा दी गयी है, उसको अधिक शक्ति प्रदान कर दी गयी है लेकिन उस सेलेक्शन कमेटी का विधान स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि यह युक्ति युक्त नहीं है।

इसके साथ ही साथ एक विशेषता और भी है। वह यह कि कमेटी आफ रिफरेंस को समाप्त कर दिया गया है। अब उसके स्थान पर फाइनेंस कमेटी रहेगी। अब यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या उन सभी प्राविधानों की आवश्यकता है जिनकी आवश्यकता लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिये हुई? मेरे उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को यहां रहने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परिस्थिति दूसरी ही थी। मूथम कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी कारणवश बुराई पैदा हो गयी थी। हम यह नहीं मान सकते कि वही बुराई बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में भी पैदा हो जायेंगी। जब संस्कृत विश्वविद्यालय का क्षेत्र दूसरा होगा, वहां का पाठ्य क्रम दूसरा होगा तो फिर इस बात की क्या आवश्यकता है कि हम इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों की तमाम बुराइयों को वहां पर दुहरायें....

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य फिर अपना भाषण जारी रक्खेंगे। अब बाढ़ पर वादविवाद प्रारम्भ होगा।

पश्चिमी जिलों व कुमायूं डिवीजन में बाढ़ के विषय पर विवाद

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों और विशेषतया मुजफ्फरनगर में जो १-२ जुलाई को वर्षा हुई उसका उदाहरण पिछले वर्षों में (१०० वर्षों में भी) नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वी जिले या हमारे खादर के इलाके तो बाढ़ की गोद में ही पैदा होते हैं, पलते हैं, उनको हमेशा ही उसका अभ्यास रहता है। और उसी प्रकार के साधन वे रखते हैं और ऐसी बांढों से मुकाबला करना भी वे जानते हैं लेकिन पश्चिमी जिलों के लिये और विशेषता मुजफ्फरनगर के लिये यह एक बिलकुल नये इम्तहान का वक्त था। इसका पूरा विवरण तो माननीय माल मंत्री जी ने आज इस हाउस के सामने एक वक्तव्य के रूप में रखा, उसमें दिया और अखबारों के जरिये भी आपको पूरा-पूरा हाल उसका मालूम हो गया। मंडी मुजफ्फरनगर शुमाली हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मंडी है। वह करीब-करीब इस वर्षा के कारण बह गयी और करोड़ों रुपये का माल गुड़, शक्कर, अनाज वहां पानी की भेंट हो गया और कोठे, मकानात गुड़ के खोल कर देखे गये तो वहां केवल बोरे बाकी थे और सब खाली थे। मंडी में शायद ४८ घंटे से ज्यादा तक पानी रुका रहा। तीन तारीख को शाम को जब कि वर्षा दो तारीख को ही खत्म हो गयी थी मंडी में २ घंटे तक पानी खड़ा रहा। इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर के आसपास १० मील के दायरे के अन्दर जो ग्राम थे वे सब भी नष्ट भ्रष्ट हो गये। बाज-बाज ग्राम जिनकी तीन-तीन, चार-चार हजार की आबादी थी जिनमें पांच-पांच, सात-सात सौ घर रहने के लिये बने हुये थे वे सब पानी में गिर गये। पक्के मकान भी गिर गये और कच्चे मकान भी गिर गये। बाज-बाज देहात ऐसे हैं जिनमें ७ सौ मकानात में साढें ४ सौ मकानात नष्ट भ्रष्ट हो गये, ऐसे गांव हैं जिनके साढ़े ५ सौ मकानात में ५ सौ मकानात नष्ट भ्रष्ट हो गये।

इसी प्रकार से मुजफ्फरनगर से तीन मील की दूरी पर एक गांव पिन्ना है जो सड़क के ही किनारे है। उसमें दो दिन तक किसी साहब के जाने की हिम्मत नहीं हुई और जब किसी तरह से फौज आयी तो फौज के जरिये वहां लोग जाकर उनकी हालत को देख सके। यह सब होते हुये भी जिस तत्परता और जिस मेहनत और मशक्कत से हमारे अधिकारियों ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

और जनता ने इस बाढ़ का मुकाबला करने का प्रयत्न किया लोगों को ढांढस दिलाया, लोगों को रहने के लिये स्थान दिया, उनको खाने-पीने का सामान दिया और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न किया उसकी तारीफ अवश्य ही करनी है। मैं खुले दिल से यह बात कह देना चाहता है कि जिले से अभी अधिकारियों ने और विशेषतया जिला मैजिस्ट्रेट ने दिन रात काम करके जिस भाई को भी तकलीफ पहुंची थी उस भाई के दुख को दूर करने में जरा भी देर नहीं की। जितनी भी तत्परता के साथ उनको सहायता पहुंचायी जा सकती थी वह सहायता पहुंचायी गयी। सबसे बड़े दुख की बात इस बाढ़ के समय यह हुई कि हमारे यातायात के सभी साधन टूट गये। रेलवे के पुल टूट गये, सडकों के पुल टूट गये और इसकी वजह से सभी रास्ते बन्द हो गये थे। सड़क और रास्ते दो दिन तक खुले ही नहीं जिसकी वजह से कोई दो दिन तक आ जा नहीं सका। टेलीफोन और टेलिग्राफ सभी बन्द हो गये थे, यह हालत वहां की थी। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यह उस समय की हालत है जब कि अभी वर्षा आरम्भ ही हुई है और ३५-४० हजार के करीब ऐसे गरीब हैं जिनका सर ढकने के लिये कोई शाया नहीं है। आज जब कि वर्षा आरम्भ हुई है उनके मकानात बनाने के लिये सामान मिलना दुर्लभ है। आज यह समस्या सामने है कि किस तरह से उनको साया दी जाय, किस तरह से उनको रहने के लिये स्थान दिया जाय। बहुत से ग्राम तो ऐसे है जिनके बारे में गवर्नमेंट को और हम सब को सोचना होगा कि जिन स्थानों पर वे बसे हुये हैं उन स्थानों पर उनको बसने देना चाहिये या नहीं। क्योंकि बहुत से ग्राम ऐसे हैं जो ज्यादा नीचे बसे हुये हैं। अगर वे वहीं बसाये गये तो बराबर बाढ़ की वजह से उनको परेशानी होती रहेगी और इस तरह से हमेशा उनको तकलीफ होगी। वे बराबर बाढ़ की गोद में समाये रहेंगे। इसलिये कुछ ग्राम ऐसे जरूर होंगे जिनमें से ५०, ५५ गांवों को ऊपर उठाना होगा, उनके लिये स्कीम बनानी होगी। उनके लिए टाउन प्लानर से एक नक्शा बनवाना होगा और तब उन गांवों को बसाना होगा लेकिन जब तक यह काम नहीं होता जरूरत इस बात की है कि कम से कम वहां जल्द ही कुछ साया करने की योजना बन जाय और इस बात की कोशिश की जाय कि इस काम के लिए वहां के लोगों को टिन की चादरें मिल जायं, कोशिश की भी गई है और टिन की चादरों और सीमेंट का प्रबन्ध वहां के लिए किया गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां स्वयं जी कर देख आये हैं और उपमंत्री जी भी वहां गए, माननीय सी० बी० गुप्त भी वहां गए, श्री अजीत प्रसाद जैन भी वहां गए और उन्होंने अपनी आंखों से वहां के ग्रामों और मंडी को देखा और वहां की दशा पर उन सब ने पूरा-पूरा विचार भी किया और सहानुभूति प्रकट की। अब सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम वहां के लिए जल्द से जल्द टिन की चादरें पहुंचा दें, वहां पर एक लाख टिन या एक हजार टन टिन से कम में काम नहीं चल सकेगा, अगर वह वहां शीघ्र पहुंच जाता है तो वह लोग टिन शेड में जीवन निर्वाह कर सकेंगे और अपने रोजगार में लग सकेंगे, जब तक उनके साये का इंतजाम नहीं होता उनके लिए वहां रहना और काम में लगना कठिन है।

इसके अलावा वहां चारे की समस्या भी बड़ी कठिन समस्या है, वहां अव्वल तो पहले से ही चारे की एक कठिन समस्या थी, इस वर्ष वहां गेहूं और चने की फसल खराब हुई थी और पहले से ही लोग भूसा बाहर से, मध्य प्रदेश से मंगा रहे थे। बाढ़ से पहले ही हर महीने वहां २५-३० वैगन भूसा आ रहा था लेकिन इस बाढ़ से वहां चारे की समस्या और भी कठिन हो गई है जो चारा वहां लोगों के घरों में था या स्टेशन पर था वह सब खराब हो गया और इस कारण से बहुत ही भीषण समस्या वहां पर इस समय चारे की है, वहां पर इस समय १०० वैगन भूसे की आवश्यकता है जो वहां जल्द ही पहुंच जाना चाहिए, मुमकिन है अब कुछ पहुंच गया हो, जब हम लोग तीन चार दिन पहले आए थे तब तक वह नहीं पहुंचा था। सिमेंट की भी वहां के लिए आशा दिलाई गई है। मैं प्रार्थना करूंगा कि एक तो आप किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके वहां के लिये टिन की चादरें मोहय्या कर

दें और वहां की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि शहर में और देहात में जो सब से बड़ी संख्या मजदूरों और गरीबों की होती है और यह लोग भूमिहीन होते हैं, उनके कच्चे मकान होते हैं वही सबसे पहले मारे जाते हैं और ऐसी हालत में नेस्तनाबूद हो जाते हैं और जीवन का कोई साधन उनके पास नहीं रहता।

अब तक हमारा कानून कुछ ऐसा है कि जो कुछ भूमि का काश्तकार है या जिससे हमें इतमिनान है कि वह अपने कर्ज का रुपया अदा कर सकता है उसी को हम पैसा देते हैं और वह तकावी के रूप में या दूसरे रूप में कर्जा लेकर अपने मकान आदि बना लेते हैं, लेकिन भूमिहीन जो गरीब मजदूर हैं और जो केवल मजदूरी कर के ही अपना जीवनयापन करते हैं वह रह जाते हैं, उनके लिए भी सरकार को कोई निश्चित स्कीम बनाना चाहिए और अगर जरूरत हो तो कोई बिल मंत्री जी लावें, उनके लिए यह बहुत ही दुख का समय है और उनको भी किसी प्रकार की सहायता मिलना आवश्यक है, क्योंकि २५ या ५० रुपए की ग्रेचूटस रिलीफ से उनका भला नहीं होता, इतने कम पैसे से वह मकान नहीं बना सकेंगे और वह रुपया सदुपयोग में नहीं लग सकेगा। चार-चार, पांच-पांच आदमियों के रहने लायक जैसे मजदूरों के घर होते हैं वैसे मामूली शेड वह बना सकें, इतना रुपया हमें उनको देना चाहिए और कोई ऐसी स्कीम हमें निकालनी चाहिए कि जिससे धीरे-धीरे करके उनसे वह रुपया उन भूमिहीन और बेघर-बार के लोगों से वसूल हो सके। मेरी इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई और मैं माल मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वह कोई बिल इस विषय में जरूर लायें, ताकि उन गरीब लोगों के रहने का और साये का प्रबन्ध हो सके। २५ या ५० रुपए के ग्रेचूट्स रिलीफ से काम नहीं चलेगा। पश्चिम के लोग ऐसे नहीं हैं कि जो थोड़े से ग्रेचूट्स रिलीफ के लिए हाथ फैलाते हों, वहां ऐसे लोग हैं कि जिनके पास आज खाने को नहीं है, मवेशियों के लिए भूसा नहीं है, बैठने के लिए साया नहीं है लेकिन उन्होंने ग्रेचूट्स रिलीफ को मंजूर नहीं किया, वहां के आस-पास के लोगों ने कोशिश की कि हम उधार के रूप में उनके लिए सामान मोहैया कर दें, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि सरकार से उनकी प्रार्थना है और कोशिश है, वह चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा तरीका निकाल दे कि उनका जो रुपया केन सोसाइटी में है या नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में जमा है वह भुन जाय और उनका रुपया शीघ्र प्राप्त हो जाय, जिससे वह सहारा पाकर खड़े हो सकें, वहां ऐसे आदमी मौजूद हैं। जो इसमें मान और गौरव समझते हैं कि अपने ही पैरों पर खड़ा हुआ जाय। वास्तव में बात यह है कि जो नुकसान हुआ है, जितना मंडियों या गांवों का नुकसान हुआ है वह उन्हीं के परिश्रम और उनके प्रयत्नशील बनने से पूरा हो सकेगा। किसी भी गवर्नमेंट या असरकारी सहायता की यह शक्ति नहीं कि जो नुकसान हुआ है उसको वह पूरा कर सके। लेकिन एक सहारा देने की जरूरत होती है। विशेषतया जो मजदूर होते हैं उनको सहारा देने की जरूरत है। अगर एक मकान बनाने की जरूरत होती है, कच्चा मकान भी अगर किसान बनाता है तो ३, ४ सौ रुपया लगा देता है। अगर एक टीन का छप्पर भी डाला जाय तो उसमें ३, ४ सौ रुपये लग जाते हैं। ६ हजार घर टूटने की खबर आई है, लेकिन जो सूची हमने तफसील के साथ तैयार कराई है उसमें १० हजार के घर हो जाते हैं। उसमें से कम से कम ४–५ हजार घर ऐसे जरूर हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता होगी। ५ हजार के घर ऐसे होंगे जो अपने आप बना लेंगे। वे गवर्नमेंट से कर्जा लेकर या खुद अपने रुपये से बना सकेंगे। ऐसा हो सकता है लेकिन ४, ५ हजार घर ऐसे जरूर हैं जिनको आपकी सहायता की जरूरत होगी। मैं यह नहीं कहता उनको ग्रेचूटस रिलीफ ही दी जाय, कुछ सब्सिडी दी जाय, कुछ सहायता दें, कुछ कर्जा दें, गर्ज ऐसा विधान बनायें, जिससे वे अपने घर बना सकें।

पिछली मर्तबा भी मैं बतला चुका हूं जबकि हमारे यहां बाढ़ आई थी—इन गरीबों का मसला जब पेश हुआ था तो २०–२५ रुपये ग्रेचूट्स रिलीफ

[श्री केशव गुप्त]

हो गई थी। मैंने कहा था कि इससे फायदा होने वाला नहीं है वे मजदूरी करने वाले हैं। मजदूरी करके अपना पेट तो भर लेंगे। उनको ग्रेचूट्स रिलाफ की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम के लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। उनको रुपये की जरूरत नहीं होती। बल्कि जरूरत इस बात की होती है कि समय पर उनको कर्जा दे दिया जाय, ताकि वे अपना मकान बना लें और धीरे-धीरे वे उस रुपये को अदा कर दें। अगर कानून में इस सम्बन्ध में कोई कमी हो तो उसे पूरा करने का प्रयत्न होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि आप इसके लिये प्रयत्न करेंगे। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि पहाड़ के सम्बन्ध में नारायणदत्त जी व राजनारायण जी ने जो सहानुभूति प्रकट की मैं उनके विचारों का आदर करता हूं और मैं साथ में अपनी गवर्नमेंट का भी, अपने मुख्य मंत्री का भी और दूसरे लोगों का भी, जिन्होंने समय पर सहायता दी, तत्परता से काम किया और खास तौर से फौज के आदमी जिन्होंने समय पर आकर बहुत से ग्रामों को बचाया, कृतज्ञ हूं और हमारे जिले के रहने वाले भी उनके आभारी व कृतज्ञ हैं कि कोई भी बात टेम्पोरेरी रिलाफ की नहीं हो सकती थी, जिसको पूरा करने की कोशिश न की गई हो। ऐसे मौके आये जब कि बाढ़ के अन्दर बहुत से लोग फंस गये और उनको निकालना मुश्किल हो गया और एक-एक आदमी को निकालने के लिये १००, १५० रुपये का इनाम गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया और ४ आदमियों को निकालने के लिये ५०० रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ा. लेकिन उसे देने में कोई सकुचाहट नहीं की गई। खुशी से इनाम दिया गया, क्योंकि चार आदमियों की जान बच गई। तत्परता से जो कुछ हो सकता था वह गवर्नमेंट ने किया, लेकिन उनको बसाने के लिये एक नई स्कीम बनानी चाहिये और टेम्पोरेरी शेड्स देने के लिये जल्दी से जल्दी रिलाफ देने का प्रयत्न करना चाहिये।

जहां तक मंडी का सवाल है जो सबसे बड़ी जरूरत है वह यह कि एक कामर्शियल जज मुकर्रर कर दिया जाय। जब चार साल बाद इनकम टैक्स का मसला पेश होगा तो उस समय उनके नुकसान का कोई अन्दाजा नहीं हो सकेगा, न कोई खयाल रक्खा जायगा। इसलिये जरूरत इस बात की है कि कामर्शियल जज मुकर्रर हो जाय जो व्यापारी और स्टाकिस्ट्स के बीच के, व्यापारी और किसान के बीच के, बैंक और व्यापारी के बीच के और स्टाकिस्ट्स और बैंक्स के बीच के जो झगड़े होंगे वे जितनी जल्दी निपट जायं उतना ही अच्छा है। जैसा कि कानपुर में आप करते हैं उसी तरह से अगर मंडियों के लिये कामर्शियल जज मुकर्रर हो जाय तो हम इससे बहुत बड़ी सेवा वहां के लोगों की कर सकेंगे। यह उनकी बहुत बड़ी मांग है। मैं समझता हूं कि आप इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स का कितना नुकसान हुआ है उसके सम्बन्ध में अजीत प्रसाद जी से प्रार्थना की गई और उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक आफिसर भेज दिया जाय। जहां तक सेल्स टैक्स का सम्बन्ध था आपने वहां अपने इंस्पेक्टर भेजे हैं उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन एक कामर्शियल जज की जो मांग है उसके लिए मैं आशा करता हूं कि माननीय माल मंत्री जी ध्यान देंगे और इसको पूरा करने की शीघ्र से शीघ्र कोशिश करेंगे। माननीय माल मंत्री और गवर्नमेंट के अधिकारियों की सराहना करते हुए मैं इतने ही विचार आपके सामने प्रगट करना चाहता था।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी का बरसना सरकार के हाथ में नहीं है और कुदरत जो है वह हमारे ऊपर कुछ नाराज है। कभी वह पूर्व में, कभी वह पश्चिम में और कभी पहाड़ में एक न एक मुसीबत लाती रहती है। लेकिन एक बात कह सकता हूं कि अगर कुदरत मुसीबत लावे तो एक दूसरी कुदरत की ही तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शक्तिशाली संगठन जो है वह सरकार है। दूजे गोसइयां उनका नाम देते हैं गांव में। तो दूसरे भगवान का जिसका पद है उससे हम आशा करते हैं कि वह हमारी तकलीफ रफा करे। अगर दिलायी न देने वाला भगवान मुसीबत लावे तो दिखायी देने वाला भगवान हमें उस मुसीबत से छुड़ावे। अगर शिकायत कुछ हो सकती है तो बस इतनी ही हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि पानी बरसने में सरकार का कुछ हाथ है।

जो वक्तव्य मैंने राजस्व मंत्री जी का सुना उसमें मैंने अनिश्चितता पायी। यहां तक कि जो मरने की खबर है उसमें मैंने देखा कि "अभी तक" वह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अभी तक पांच आदमियों के मरने की खबर आयी है। तारीख को बाढ़ आयी। आज १७ दिन बीत चुके। ऐसा लगता है कि उन्हें स्वयं शुबहा है कि पांच आदमी से ज्यादा मरे हों। वह उम्मीद करते हैं कि अब सरकारी अफसर कुछ सही खबर दें और फिर उसके बाद वह इस वक्तव्य को सुधारेंगे। इस वक्तव्य में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितनी जमीन पर असर पड़ा, कितनी एकड़ फसल नुकसान हुई, कितने रुपयों का नुकसान हुआ। कम से कम एक साधारण तौर पर अन्दाजा तो हो जाना चाहिए था। लेकिन सारी चीजों में अनिश्चितता मालूम होती है और मैं समझता हूं कि यह अनिश्चितता जो है वह नुकसान पहुंचाती है मदद पाने वालों को। क्योंकि सरकार को जब एक अन्दाजा मालूम होता है कि कितनी तकलीफ लोगों को है। तो उस तकलीफ के अन्दाजे पर मदद देने का फैसला करती है। अगर यह ठीक अन्दाजा हमारे पास नहीं है तो हम मदद देने का भी फैसला ठीक से नहीं कर सकते। यह बहुत सम्भव है कि यह बाढ़ जो है वह दिल्ली की करीब आये हम इस बात को समझते हैं कि सूबे की ही सरकार ऐसी मुसीबतों को अकेली नहीं बर-दाश्त कर सकती। जब तक उस काम के लिए भारत सरकार मैदान में न आये। वह भी मदद करने को तैयार न हो तब तक पूरे तौर से किसी की मदद नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत में जब कोई इस तरह की मुसीबत आती है तो वहां की सरकारें सबसे अगुवा होती हैं। वहां के पब्लिक वर्कर अगर अपने काम में ढील भी करते हैं तो मैं समझता हूं दक्षिण भारत की सरकारें इस सम्बन्ध में ढील नहीं करतीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी बात कहने में हमेशा ढीली पड़ती है। मालूम नहीं कि उसे इस बीमारी से कैसे बचावें। मैं यह नहीं कहता कि वह अपनी बात बढ़ा-चढ़ा करके कहा करें। लेकिन जितनी मुसीबत हमारे ऊपर आये उतनी मुसीबत का ठीक-ठीक इजहार होना चाहिए। अगर मुसीबत का ठीक इजहार हो तो मुझे यह आशा है कि यू० पी० की सरकार इतनी ताकतवर सरकार है कि दिल्ली की सरकार को उसकी बात पर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि केन्द्र की सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार को अभी इस मुसीबत में कितनी मदद मिली है। माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को मालूम करके बतावें कि कितनी मदद उनको मिली और यू० पी० की सरकार ने क्या भारत सरकार के सामने इस मुसीबत को रखा भी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई अनावश्यक बात इस सिलसिले में नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि और दूसरे साथियों को भी अवसर मिले कि जिन्होंने प्रत्यक्ष उन मुसीबतों को देखा है स्वयं उसका इजहार किया करें। मैं प्रत्यक्ष दर्शियों में नहीं हूं। मैंने कुछ चिट्ठी-पत्री की है जिस वक्त मैंने अखबार में पढ़ा उस वक्त फौरन मुजफ्फर-नगर के मित्रों को सहारनपुर के मित्रों को खत लिखे। उस वक्त मैं देवरिया में था। मैंने लिखा कि मेहरबानी करके बतायें। हो सकता है कि दूसरे लोगों की दृष्टि में यह भी बात न आती हो, आपकी दृष्टि में आती हो। तो मेहरबानी करके बतायें। उन्होंने लिखा है और मैं यह दोष नहीं देता हूं कि जानबूझ करके लोगों ने सारे फैक्ट्स तो छिपाने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी असमर्थता मानता हूं, मैंने स्वयं नहीं देखा। इसलिये मैं यह दावा नहीं करता। मैं तो सिर्फ इस वक्तव्य को ही देख करके अन्दाजा लगा सकता हूं और मैं यह सरकार से चाहूंगा कि जिस वक्त ऐसी आवश्यकता आवे उस वक्त सरकार को फौरन इस बात का बन्दोबस्त करना चाहिये।

[श्री गेंदासिंह]

माननीय राजस्व मंत्री जी मुझे उलाहना देंगे कि अन्दाजे पर तुम इस बात को मान लेते हो कि सही अन्दाजा नहीं लगा और कहेंगे कि तुम तो ५ गांव भी नहीं देख सके और कहते हो कि सारा अन्दाजा गलत है। मेरे लिये सम्भव भी नहीं है कि मेरे जैसा आदमी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर और मेरठ इन सारे जिलों में घूम-घूम करके कोने-कोने में जाकर करके सारा अन्दाजा लगा सके। यह सरकार की जो रेवेन्यू की इतनी बड़ी मशीनरी है वह ठीक पता लगाने में असमर्थ रहती है तो हमारे लिये संभव नहीं है। इसलिये हमको इस विधान सभा में चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है। हम ठीक २ जानकारी हासिल करके मदद करने की कोशिश करें। जो रकम हमने वक्तव्य में देखी है वह रकम मैं समझता हूं कि आना पाई में मैं हिसाब जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह रकम बहुत थोड़ी मालूम होती है और जिस अनुपात में खेत बह गया, मकान गिर गये, आमदमी मरे, पशु मरे तो हम उनकी कीमत थोड़े ही चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि सरकार को, जिस वक्त संकट में जनता हो, उस वक्त सरकार, अपनी सरकार है, अपनी सरकार का जो दावा, जिनको फख्र हासिल है उनको कम से कम इस मुसीबत के वक्त में मदद हासिल हो जिससे वह इज्जत के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सकें। मेरी यह बात समझ में नहीं आती, आखिर ऐसी बरसा पहले कभी नहीं हुई। एक बात हो सकती है, जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वयं कहा कि अगर बारिश की खबर पहले से सरकार को होती तो सम्भव है कोई उपाय सरकार ढूंढ़ती। मैं नहीं समझता कोई उपाय मिल सकेगा या नहीं। लेकिन यह हवा और पानी पहचानने वाला जो सरकार का मुहकमा है तो उन मुहकमों को ऐसी मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं कि २४ घंटे में ४८ इंच पानी बरस जाय, तो फिर उनको उन चीजों को सामने रखने वाले हवा पानी को देखने वाले मुहकमों से हमें कुछ लाभ उठाना चाहिये। मैं नहीं कह सकता क्या बात हो गई। पिछले १०० वर्षों के भीतर ऐसा पानी कभी नहीं बरसा था.....

श्री चरण सिंह---कांग्रेस गवर्नमेंट का पाप है।

श्री गेंदा सिंह---माननीय राजस्व मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम यह कह दो कि कांग्रेस गवर्नमेंट का पाप था, इसलिये इतना पानी बरसा। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना नहीं चाहता कि उसके पाप से पानी बरस गया। असल में तो भगवान् जब प्रसन्न होते हैं तभी पानी बरसता है।

श्री दीनदयालु शास्त्री---भगवान का पाप बरस रहा है।

श्री गेंदा सिंह---अब उनको कहां पकड़ूं कि क्यों वह ऐसा कर रहे हैं। हम तो यह चाहते हैं जब विज्ञान की इतनी प्रगति है वह हमारी मदद कर सकता है और जो मनुष्य का बनाया हुआ संगठन है और जो हमको किसी भी संकट में बचा सकता है, हमको ऐटम बम से बचा सकता है। तो ऐटम बम जैसा ही यह बरसा का मसला है। उसके लिये खोज होनी चाहिये। मैं क्या यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी बात हो गई, जिसकी वजह से २४ घंटे में ४८ इंच पानी बरस गया। रोज नयी मुसीबत आती है। अगर इसी प्रकार पानी का बरसना जारी रहा तो क्या होगा, मैं नहीं समझ सकता। दूसरी बात यह इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फिर भगवान प्रसन्न हुए हैं सूखे वाले, एक तरफ पानी से तबाह और दूसरी तरफ यह सूखा जो है दो चार दिन और इसी तरह से धूप हुई तो एक दूसरी मुसीबत हमारे सामने आने वाली है, तो आखीर सरकार जो सारी जनता की तरफ से उसका पालन-पोषण करने के लिये बैठी हुई है उससे मैं इतनी उम्मीद करूंगा कि वह ऐसी मुसीबतों का सामना करने के लिये तैयारी करे।

स **श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी आज्ञा से ऐसे विषय पर विचार हम कर रहे हैं जो परमात्मा कभी किसी को न प्राप्त कराये। यह भयंकर बाढ़ का प्रकोप एक दैवी प्रकोप है जो अचानक मुजफ्फरनगर जिले की तहसील मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर परगना खासतौर से और दूसरे परगनों के कुछ एक दो गांव इसमें आये हैं। इस तरह से कुल ४७ गांव पर इसका असर पड़ा है। पहले हम यह सुना करते थे कि पूरब में बाढ़ आयी और भयंकर वर्षा से बहुत भारी नुकसान पहुंच गया। आज हमारी जिन्दगी में तो यह पहला मौका है कि हमने बाढ़ के इस प्रकार दर्शन किये हैं और उसमें जो कष्ट, तकलीफ लोगों को होती है उसे अपनी आंखों से देखा है। यह पहला ही मौका हमें देखने का मिला है। पहली जुलाई को भीषण वर्षा ८ बजे के करीब हुई। मैं अपने गांव दतियाने में था उस वक्त जिस वक्त यह वर्षा हो रही थी। दतियाना गांव नशेब में है और वहां यातायात के साधन बहुत कम हैं। आस-पास चारों तरफ तालाब हैं। पानी के निकास का प्रबन्ध ठीक प्रकार नहीं है। इतनी वर्षा हुई कि कुछ ही घंटों में रास्ते बन्द हो गए। पानी गांव में आ गया। पानी गांव में इतना आया कि ऊंचे से ऊंचे मकान पर पांच फुट पानी चढ़ गया। जिस वक्त पांच फुट पानी चढ़ा तो रास्ता मकान से भी निकलने का लोगों को नहीं रहा और मकानों में पानी घुस गया। जो कच्चे मकान थे उन हरिजनों श्रमिकों, गरीबों के जो तालाबों के किनारे बसे हुए थे, हरिजनों के मुसलमान जुलाहों के और तेली वगैरह के उनके मकान में पानी भरते ही वह बैठ गये और लोग अपना सामान भी न निकाल सके। एक-एक मकान गिरने शुरू हो गये। एक बात अच्छी हुई कि यह वर्षा दिन में हुई। अगर कहीं रात को होती तो न मकान का सामान निकल सकता था और न आदमी अपनी जान ही बचा सकते थे। दिन में लोगों ने वहां से निकलना शुरू किया और जिसका मकान देखा आस-पास वहां घुस गए। छाती छाती पानी था, परेशानी थी, बहुत भारी, बमुश्किल अपनी जान बचा कर वहां से निकले। इस कदर दुखी हालत थी और इस कदर वे लोग परेशान थे कि शायद इससे पहले कभी ऐसा मौका उन्होंने देखा भी नहीं था। इतने घोर कष्ट और संकट में लोग थे। हमारी आंखों में भी आंसू थे, जिस वक्त गरीब आदमी और दूसरे मुसीबतजदा लोग इस मुसीबत में पड़कर कष्ट उठा रहे थे। ४७ गांवों में इसका असर हुआ। ज्यादातर उन लोगों का भारी नुकसान हुआ जो तालाबों के किनारे गरीब आदमी बसे हुए थे। वहां पानी इस प्रकार पड़ा कि एक मिनट में जैसी पानी की बाल्टी होती है वह भर जाती थी। जैसे पानी के परनाले चलते थे उस तरह से पानी की हालत थी। जानवर भी परेशान थे और जंगल में मुतवातिर तीन दिन तक पानी बरसते हुए इतना पानी ठंडा हो गया कि जानवर जो जंगल के रहने वाले थे वह भी शिथिल हो गए। परेशानी भारी हुई लोगों को, यहां तक कि उनसे ज्यादा देखने वालों को दुख होता है। आपने कभी यह नजारा देखा हो तो आपको पूरी तरह से अनुभव होगा। हमको पूरा अनुभव अबकी साल हो गया कि किस प्रकार कष्ट आते हैं और कैसे उनको पार होकर मनुष्य जिन्दगी को व्यतीत करता है। आज उनके पास कुछ नहीं रहा। कागज में तो ६ हजार घर लिखे हैं कि मुजफ्फरनगर में बरबाद हुए, लेकिन मैं समझता हूं कि १० हजार घर गिरे होंगे। ५ हजार घर तो इस प्रकार के होंगे, जिनके पास कतई कोई जगह नहीं है। जब हमने इसका जिक्र किया तो यहां पर जिम्मेदार लोगों को ताज्जुब होता था कि ऐसी भीषण वर्षा तो पूरब में आती रहती है और पश्चिम में क्या नुक्सान हुआ होगा। मैं उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं, क्योंकि पूरब में तो मकान छप्पर के होते हैं और पश्चिम में मिट्टी के और पक्की छत होती है, इसलिये काफी वजनी हो जाते हैं। छप्पर के मकान तो बच सकते हैं, लेकिन मिट्टी के नहीं बच सकते। यही कारण हुआ कि गांवों में करोड़ों की हानि हुई और ५,००० घर तो ऐसे बरबाद हो गये कि उनके पास बैठने की जगह नहीं, चूल्हा रखने की, रोटी बनाने की भी जगह नहीं है, लेटने की तो क्या होगी? वहां के स्थानीय कर्मचारियों ने काफी इस कार्य में सहयोग दिया और काम कर रहे हैं।

[श्री रामदास आर्य]

जिलाधीश महोदय भी और उनके सहकारी लोग भी और हमारी माननीय सरकार भी उस तरफ तवज्जह दे रही है। हमारे मुख्य मंत्री जी भी वहां पधारे थे और हमारे डिप्टी मिनिस्टर माननीय चतुर्भुज शर्मा भी और गुप्ता जी और केन्द्रीय सरकार के मिनिस्टर भी वहां गये। मुमकिन है उन लोगों को देहात के देखने का अवसर प्राप्त न हुआ हो। एक-दो गाँव किसी सड़क पर देख लिये हों, क्योंकि रास्ते ऐसे नहीं थे जहां उन महानुभावों के जाने का कोई प्रबन्ध हो सके। यदि घोड़े पर जायं तो वह धंस जाय, किश्ती का इन्तजाम कोई नहीं है, पानी में जा नहीं सकते, क्योंकि तैरना जानते नहीं। तो कठिनाई थी वहां के हालात जानने में। गुप्ता जी ने कहा कि मंडी का बहुत भारी नुक्सान हुआ, हम मानते हैं कि अनाज का बहुत नुक्सान हुआ, मकानात गिरे, लेकिन उनकी हालत इस प्रकार की है कि वह लोग खुद बना सकते हैं, उनकी हिम्मत है, लेकिन जो देहात में गरीब रहते हैं वह आज इस हालत में हैं कि रोटी भी नहीं मिलती, जो सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी का काम करते हैं शाम को उस मजदूरी को खा लेते हैं, तो वह मकान कैसे बना सकते हैं। और अभी तो बरसात का आगाज है, बरसात के ४ महीने और पड़े हैं, वह कैसे बिता सकते हैं। जब वह मिट्टी गीली लगा लेते हैं तो बारिश आ जाती है। मैं ४ रोज देखता रहा। गीली मिट्टी ढो-ढो कर दीवार बनाते थे कि कुछ अपना शरीर छिपायेंगे तो वर्षा होती थी और वह गिर जाती थे, लोग परेशान थे। १०—१५ मिनट बारिश होती थी तो भय हो जाता था कि कैसे जान बचायेंगे, यह दशा वहां हो रही है। तो ऐसे मौके पर हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन करे और कर भी रही है कि वहां फौरन रिलीफ मिल जाय। सब से जरूरी वहां मकानों की समस्या है। हमारे पश्चिमी जिले कोई परिश्रम से दूर नहीं हो गये, उन्हें तो काम चाहिये और कोई दिक्कत उनको इस प्रकार की नहीं है। अनाज वहां देना चाहिये। हमने तो जिलाधीश से कहा है कि आप अनाज पहुंचाने के अलावा राशन की दुकान खोल दीजिये, ताकि वह ठीक भाव पर उन गरीबों को मिल जाय, जिनके नाम आपने दर्ज किये हैं ताकि उन्हें सब चीजें कंट्रोल रेट पर दस्तयाब हो सकें, मुहइया हो सकें। हमने यह भी सुझाव दिया कि आप थोड़ा सा इन्तजाम सिरकियों का कर लें, लेकिन जो सिरकी दो रुपये में मिल जाती थी, वह ८ रुपये में हो गयीं और आस-पास मिल भी नहीं रही हैं। अगर उनको सिरकी उस वक्त मिल जाती तो बारिश से बच सकते थे। लेकिन अब नया सुझाव आया कि टिन का कुछ इन्तजाम किया जाय, लेकिन जब तक दीवार नहीं बनती है तब तक टिन काम में नहीं आ सकती है। न उसका छप्पर बांधा जा सकता है जब तक मिट्टी सूख न जाय, वर्षा रुक न जाय तब तक टीन नहीं रख सकते हैं तो यह फौरी इन्तजाम होना है। गरीब लोग अपने धन से मकान नहीं बना सकते हैं। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और माल मंत्री जी भी मौजूद हैं वह बड़े दयालु हैं और ऐसे मौके पर लोग उनकी दया का इन्तजार कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से इन्द्रदेव ने वर्षा की है वैसे ही वह भी अपनी दया की वर्षा करेंगे और ऐसी वर्षा होगी कि जहां हम दुख में थे वहां सुख में हो जायेंगे, इतना अन्तर हो जायगा। आज तक हमने किसी किस्म की सरकार से मदद नहीं मांगी है और हमेशा सरकार को देते रहे हैं। अगर ऐसे मौके पर भी हमारी सहायता नहीं होगी तो कब होगी? जो हमेशा देता रहा है अगर ऐसी मुसीबत में उसका धन उसको दे दिया जायगा तो वह समझेंगे कि सरकार हमारी है और उसे हमारा ख्याल है।

यह प्रश्न जेरेगौर है कि सबसिडी दी जाय। आधा लोग दे दें किन्तु वह तो आधा भी नहीं दे सकते हैं। अगर उनको तकावी न दी गई तो वह अपने मकान बनाने में असमर्थ होंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनको मकान बनाने के लिये पूरा खर्चा दे दिया जाय और आधा उनसे बाद में किश्तों में ले लिया जाय और तकावी के उसूलों में ऐसी आसानी कर दी जाय, जिससे वह उनको बिला किसी दिक्कत के मिल सके। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पानी का फौरी इन्तजाम होना चाहिये। नालों में तथा तालाबों में पानी अधिक भरा हुआ है, बहुत से खेतों में पानी भरा हुआ है और बाज-बाज खेतों में तो अभी तक पानी भरा हुआ है और आठ आने से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों को मदद मिलनी चाहिए, उनका लगान माफ हो जाना चाहिए। जिन खेतों में पानी भरा हुआ है और जहां आबपाशी वसूल की जा रही है वह कुछ समय के लिये स्थगित कर दी जाय, क्योंकि लोग मुसीबत में हैं कहां से दे पायेंगे।

पानी की निकासी का इन्तजाम होना है। रास्ते के इन्तजाम की तरफ इसलिये ध्यान दिला रहा हूं कि अगर कोई बात हो गई तो फिर रास्ता भी नहीं मिलेगा। इन ४७ गांवों में ५—७ गांव तो ऐसे हैं जो 'ए' लिस्ट में हैं यानी उनको सारी मदद दरकार है। भूसे की पहले से ही कमी थी और काश्तकार परेशान थे। लोगों ने बाहर से इन्तजाम किया, लेकिन इस बाढ़ में मकानों के गिर जाने से रहा सहा-भूसा भी दब गया। मवेशी भी परेशान हैं, भूसे का कोई इन्तजाम नहीं है। आज काश्तकारों के जानवरों तक को भूसा नहीं मिल रहा है। बाढ़ पीड़ित अभी सहारनपुर वगैरह के तथा अन्य जगह के सदस्य बोलने वाले हैं। उन्होंने बाढ़ का बहुत तजुरबा उठाया है। हमारा तो यह पहला ही मौका था। हम चाहते हैं कि सभी भाइयों का सहयोग हमारे साथ हो। अब तक इधर का सहयोग उधर रहता था अब उधर का सहयोग इधर रहना चाहिये और हमें आशा है कि सब मिलकर मुसीबतजदा भाइयों की मदद करेंगे।

एक दरख्वास्त मुझे और करनी है सरकार के अलावा दूसरे भाइयों से जैसे कि मुसीबत के समय में बंगाल में मदद पहुंच गई। अगर कोई ऐसा दानी हो तो वह मदद कर सकता है। वह भी सरकार की मदद होगी। हम आशा करते हैं कि सरकार पूरी तवज्जह देगी। खास तौर पर पानी का इन्तजाम, ताकि अगले साल मुसीबत से बच जायं। नालों का इन्तजाम जरूरी है, रास्तों का इन्तजाम जरूरी है, यहां के लिये मकानों का इन्तजाम जरूरी है। ये चन्द बातें हैं जो मैंने आपकी सेवा में पेश की हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और सरकार जरूर इस पर विचार करेगी और तुरन्त ही उनको मौके पर मदद पहुंचायेगी। अगर देर हो गयी तो फिर उस मदद का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों में जो बाढ़ आयी है वह कितना महत्वपूर्ण विषय है इसमें कोई शक नहीं। अखबारों से और जो आज माननीय सदस्यों के यहां पर भाषण हुये उनसे और माननीय मंत्री महोदय का जो स्टेटमेंट सामने आया उससे यह प्रतीत होता है कि समस्या बहुत ही जटिल है। वहां की बाढ़ की जो स्थिति है वह निहायत ही चिन्ताजनक है और बड़ा मुसीबत का पहाड़ पश्चिमी जिलों के लोगों पर टूट पड़ा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट में कहा गया है और अखबारों में आया है उससे हम यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि शायद समस्या जितनी हम समझते थे उससे कहीं ज्यादा जटिल है और लोग बड़ी परेशानी में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश निहायत ही अभागा प्रदेश है। जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा, कभी पूर्वी जिलो को बाढ़ का शिकार होना पड़ता है, कभी पहाड़ी इलाके को और आज हमारे पश्चिमी जिलों को भी बड़ी भारी क्षति पहुंच रही है बाढ़ से। उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारा देश आजाद हुआ है बराबर सरकार, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे इस प्रदेश की सरकार हो, यही कहती रही है कि हम इस बाढ़ की समस्या को हल करने वाले हैं और एक स्कीम स्थायी रूप से हम खोज निकालने वाले हैं, जिससे हम इन बाढ़ों का मुकाबला कर सकें। यह सरकार की ओर से और एक माननीय सदस्य की ओर से भी कहा गया कि सरकार का बारिश पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह एक नयी बात हुई, इस तरह की वर्षा कभी पश्चिमी जिलों में नहीं हुई।

[श्री रामसेवक यादव]

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जिस तरह की बारिश हमारे पूर्वी जिलों में और लखनऊ और बाराबंकी में हुई शायद उससे पहले वैसी वर्षा कभी नहीं हुई थी और कोई अजीब बात नहीं है कि पश्चिमी जिलों में भी उसी तरह की वर्षा हुई। तो अच्छी सरकारों का, दूरन्देश सरकारों का यह कर्त्तव्य होता है कि वे आने वाले खतरे को सूंघ सकें। हम लोगों के लिये यह भी कह दिया जायगा कि सरकार कोई नजूम का इल्म तो जानती नहीं है, उसके पास कोई जादू तो नहीं है जिससे पता लगा ले। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे मुख्य मंत्री इल्म नजूम के माहिर भी हैं। इसका फायदा सरकार उठा सके तो ज्यादा अच्छा हो। फिर सरकार के पास, चाहे केंद्र की हो या प्रांत की हो, कुछ मौसम के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी इस बात का पता लग सकता है कि बारिश कैसी होने वाली है? इस सिलसिले में मैं यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमारा प्रदेश बड़ा ही अभागा है। कहीं पर अधिक बारिश का शिकार होना पड़ता है और कहीं पानी न होने की दिक्कत। अच्छी सरकारें इन दोनों ही समस्याओं पर काबू पा सकती हैं कि पानी न बरसे तो उसका इन्तजाम और अगर ज्यादा पानी बरस जाय तो उसका कैसे मुकाबला हो। ये दोनों कार्य एक अच्छी सरकार के हुआ करते हैं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे तो शिकायत है इस सरकार से कि यह बाढ़ को रोकने के लिये कोई ऐसी योजना नहीं बना सकी कि किस तरह से अधिक बारिश, जैसी कि पिछले वर्ष हो चुकी थी, उसका मुकाबला करे।

(इस समय ४ बजकर ४७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट सदन के सामने रखी है उससे ही प्रतीत होता है कि ३५ हजार लोग बेघरबार हो गये और लगभग ६ हजार मकान ध्वस्त हुये और पश्चिमी जिलों के दो माननीय सदस्यों ने कहा कि ६ हजार नहीं, १० हजार, तो इसमें संदेह नहीं है कि वहां की स्थिति बहुत गम्भीर है, लेकिन वास्तविकता क्या है? कितने मकान गिरे हैं, कितने जनधन की हानि हुई है इसका कोई डाटा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जो मदद की बात कही कि इतने रुपये दिये हैं वह बहुत ही नाकाफी है। जो मुसीबत का जबरदस्त पहाड़ टूट गया है उसको देखते हुये बहुत कम है। आज वहां लोगों को जरूरत है कि मकान मिले चाहे जैसा हो, एक औसत दरजे का मकान, मैं नहीं कहता कि कोई महल हो लेकिन वह चाहिये। आपकी पंचवर्षीय योजना है ऐसे अवसर पर अगर उनके लिये आप मकान बनवा दें।

श्री चरण सिंह—सरकार अपनी तरफ से ६ हजार मकान बनवा दे?

श्री रामसेवक यादव—सुन लीजिये, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जो वह प्लानिंग विभाग में फिजूलखरची कर रही है उसको कम करके या जो नई इमारतें कहीं स्कूल के लिये, कहीं अस्पताल के लिये, कहीं अदालतों के लिये बनाई जा रही हैं और कहीं पर बी०डी०ओज० और ए०डी०ओज० के रहने के लिये मकान बन रहे हैं उनको रोक कर के यह जो भारी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है उसका मुकाबला किया जाय। सरकार का बजट लगभग एक अरब रुपये का है। इसमें से एक अच्छी खासी रकम मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों के लिये आप रख दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर हमारी पंचवर्षीय योजनायें क्यों चल रही हैं। देश और प्रदेश के लोगों को खुशहाल बनाने के लिये ही तो, लोगों के लिये अच्छे मकान बनाने के लिये ही न? तब सरकार का कर्त्तव्य है कि एक अच्छी खासी रकम बजट में से वहां खर्च करे और अच्छे औसत दरजे के मकान बनाने के लिये वहां सहायता दें। आज सरकार क्या करती है। कहीं बीस, कहीं पचीस और कहीं पचास रुपये दे दिये जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि बीस, पचीस रुपये में तो एक छप्पर भी नहीं पड़ सकता। यह सहायता आपकी व्यर्थ की होगी, उससे न तो कोई लाभ होगा और सरकार की एक लम्बी रकम भी खर्च हो जायगी। सरकार को चाहिये कि वहां के लोगों की सहायता

इस प्रकार करें कि वे अपने रहने लायक मकान बना सकें। दूसरी बात यह पूर्वी जिलों का तजुरबा है कि जब बाढ़ आया करती है तो सरकार की तरफ से तकावी दी जाती है। उसमें जो धांधली होती है उसके बारे में सबको मालूम है। जिनके पास जमीन है, जो अच्छी हालत में हैं उनको तकावी मिल जाया करती है और जो वाकई जरूरतमन्द हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जो बेघरबार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको नहीं मिल पाती। तो सरकार को उन पुरानी गलतियों के अनुभव से फायदा उठाना चाहिये और उन लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास सरकार की ओर से धन जाना चाहिये। जिससे कि बिला किसी चीज़का इन्तजाम किये हुये और फर्क किये हुये एक निश्चित रकम, औसत रकम मकान बनाने के लिये भेजी जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जब इस किस्म की मुसीबत आया करती है तो वहां के कुछ व्यापारी लोग उसका कुछ बेजा फायदा उठाया करते हैं। चीजों के दाम बढ़ जाया करते हैं और इस तरह की तमाम चीजों को रोकने के लिये सरकार ने क्या किया इस बात का मंत्री महोदय के बयान में कोई जिक्र नहीं है। सरकार का यह भी कर्तव्य होना चाहिये कि वह इसको रोकने के लिये चाहे सरकारी दूकानें खुलवाये या सरकार उन चीजों का भाव तय कर दे या उसके लिये जो भी करे, लेकिन उन नियमों को सख्ती से लागू किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आज यहां भारी मुसीबत है।

मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री महोदय से जिक्र करूंगा कि आज लगान का वसूल किया जाना, बिक्री कर का असेस किया जाना अथवा वसूल किया जाना या दूसरी तकावी आदि का बकाया जो है उसका वसूल किया जाना रोका गया है वहां पर या नहीं, यह सब चीजें इस बयान से स्पष्ट नहीं होती हैं। उन्होंने आया इस संबंध में कोई आदेश जारी किये हैं या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिये और मैं सरकार से श्रीमन्, के जरिये निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे आदेश जारी नहीं किये हैं तो इस मुसीबत को देखते हुये इस तरह के आदेश जाने चाहिये। जहां सरकार इस तरह के मकानों को बनवाने की व्यवस्था करे वहां पर ही, मैं श्रीमन् आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वह बिला किसी सूद के लोगों को कुछ कर्जा दे और कुछ लोगों को, जो इस तरह के हों कि वह रुपया लौटा भी न सकते हों उनको एक फैयाजी के तौर पर सरकार दान दे और उनकी मदद करे। तब जा कर हम इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने शुरू में निवेदन किया था कि सरकार अपने प्रयत्नों में असफल रही है कि हर साल जो बाढ़ आती है उसको कैसे रोका जाय। सरकार का पी० डब्ल्यू० डी० है, ईरिगेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन पिछले साल जो पूर्वी जिलों में बाढ़ आई तो वहां उस समय नहरें और रेलवे लाइनें होने के कारण पानी निकलने का समुचित प्रबन्ध नहीं था इसलिये वहां का पानी निकल नहीं पाया और जम गया। उस वाकये के बाद सरकार को पी० डब्लू० डी० और दूसरे विभागों के उच्चाधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वे सारे प्रांत का सर्वे करते और यह देखते कि अगर किसी मुसीबत में सारी जगह बारिश हो जाय और पानी भर जाय तो उसके निकालने की हम क्या व्यवस्था करेंगे, लेकिन यह चीज नहीं की गई। हां रिपोर्ट में एक चीज जरूर है कि पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों ने यह कर दिया है कि यह रास्ता खतरनाक है और यहां चलने काबिल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पुल टूट गया, सड़कें बह गई पानी भरा हुआ है, अब उनका यह अहकाम है कि रास्ता निकलने काबिल नहीं है, मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसकी जरुरत तो पहले ही थी। तो इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कोई परमानेन्ट स्कीम बनाये कि जब कभी भविष्य में इस प्रकार की बाढ़ आये, क्योंकि अब तो इसकी गिरफ्त में सारा प्रान्त ही हो गया, पश्चिमी जिले भी इसके शिकार हो गये, तो अब प्रदेश का कोई हिस्सा इस वर्षा से बचता नहीं है कि जहां इससे नुकसान न हुआ हो, तो अगर इस प्रकार की कोई स्कीम सरकार बनाये तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के द्वारा मैं फिर पश्चिमी जिलों के लोगों से अपनी समवेदना प्रकट करता हूं और उनसे फिर कहता हूं कि वह अपने ऊपर आयी हुई मुसीबत

[श्री रामसेवक यादव]

का बहादुरी के साथ मुकाबिला करें और सरकार को चाहिये कि उसका समुचित इंतजाम करे और किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी न रखे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गत कई वर्षों से पूर्वी यू० पी० में भीषण बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई....

श्री अध्यक्ष---कई लोग बोलने वाले हैं । मैं दस मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---उत्पन्न हुई परिस्थिति की चर्चा माननीय सदन में सुनने का अवसर मिलता था । हमारे दुर्भाग्य से गत वर्ष और इस वर्ष मुजफ्फरनगर जिला भी इसका शिकार बना और जब कि प्रदेश के दूसरे स्थानों पर कहीं भी वर्षा प्रारम्भ नहीं हुई थी, मुजफ्फरनगर जिले में पहली और दूसरी तारीख को ३६ घंटों में ३१ इंच बारिश हो गई और वह भी मुजफ्फरनगर के आठ, दस मील चारो तरफ, जिसके कारण यातायात के साधन और फसलें सब बरबाद हो गईं । मकानों की तबाह और बरबादी हुई । बीमारी वगैरह भी थोड़ी बहुत चली। हम लोग तो इस बात के आदी न थे और जानते भी न थे कि इस प्रकार की बाढ़ का हमारे लोग कैसे मुकाबला करें । यह उनके लिये एक गम्भीर समस्या थी । हमारे जिले में मकानात सब परमानेन्ट नेचर के हैं चाहे वह पक्के हों या कच्चे लेकिन वह सब मकानात इस बारिश में गिरे । हमारे यहां के गांव ४०, ५०, २००, २५० या ४००, ५०० की आबादी के गांव नहीं है बल्कि अधिकांश ३ और ४ हजार की आबादी के गांव हैं जिनमें यह तबाही और बरबादी आयी और उनको इस तबाही का मुकाबला करना पड़ा । मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली को जो रेलवे लाइन और मोटर सड़क जाती है उस सड़क पर हाई फ्लड लेबिल का जो मार्क बना था, यह इंजीनियर महोदय ने बताया कि अब की बार उस मार्क से २२ फुट ऊंचा पानी था । तो इससे आप अनुभव कर सकते हैं कि कितनी तबाही उससे हुई होगी मुझे १५, २० गांव में जाने का मौका मिला, उनके मकानात और उनकी फसलों की तबाही को देखने के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि सरकार की तरफ से जो रिलीफ और सहायता दी जा रही है वह आज अपर्याप्त मात्रा में है ।

हमारे यहां जब मुख्य मंत्री जी पधारे थे तो उनसे भी हमने निवेदन किया था और आज भी हम लोगों को उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हमने उनसे प्रार्थना की थी और हमारा इरादा था कि माननीय माल मंत्री जी से भी उसी रोशनी में प्रार्थना करते क्योंकि हम यह समझते हैं कि मकानात के लिये तकावी जो पूर्वी भाइयों को दी जाती है २५० रुपये के करीब वह हमारे पच्छिमी जिले के देहातों के लिये जहां पर परमानेन्ट नेचर के मकानात बनते हैं चाहे वह कच्चे मकानात हों या पक्के उनके लिये वह नाकाफी है । वहां पर २, ३ हजार रुपयेसे कम कच्चा मकान नहीं बनता है । ऐसी हालत में एक हजार रुपया से कम तकावी मकानात के लिये दिया जाना कुछ मायने नहीं रखता है ।

इसके साथ ही आज वहां पर मजदूर भाइयों के लिये बड़ी कठिनाई है। किसी भी प्रकार का लोन उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है । बहुत सी दफा ऐसी दिक्कत आती है कि किसान उसको मना कर देता है और उसको जमानत नहीं देता है । ऐसी दशा में सरकार को सोचना होगा कि किस प्रकार से मजदूर भाइयों की सहायता की जा सकती है । हमारे जिले में १३ तारीख को जब माननीय मुख्य मंत्री जी पधारे थे तो उनसे हमने उनसे भी इस बात का निवेदन किया था कि मजदूर भाइयों को टीन, ईंट, सिमेंट जिनकी उनको आवश्यकता है जिससे कि वह अपना परमानेन्ट नेचर का मकान बना लें उसके लिये आधी कीमत उनको सबसिडी के रूप में सरकार की ओर से मिले और बकाया आधा रूपया सरकार की ओर से

ऋण मिल जाय। कई जगह मैंने कहा भी है यद्यपि सदन के सामने मुझे यह कहने का अवसर नहीं मिला, कि जब हाउसिंग स्कीम हमारे अरबन एरियाज में चलती है तो क्या वजह है कि गांवों में, जहां हिन्दुस्तान की ज्यादा आबादी है, वहां न चले। मैं माननीय माल मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल एरियाज में यह स्कीम खास तौर से इस अवसर पर जल्दी से जल्दी लागू की जाय। मुजफ्फरनगर जिले में १२ लाख रुपया इस स्कीम के लिये दिया गया था जिसमें से ८ लाख खर्च हो चुका है और बाकी ४ लाख रूरल एरियाज के लिये ट्रांसफर किया जा सकता है।

बारिश के अलावा बहुत से गांवों की तबाही का यह भी कारण है कि वहां की ड्रेनेज सिस्टम बिलकुल खराब हो चुकी है। पहले वर्ष भी वर्षा के कारण कई गांव जमुना में बह गये थे। जिला मजिस्ट्रेट ने एक मीटिंग की और हमने अपने सुझाव इंजीनियरों के सामने दिये लेकिन उनमें से एक नाले के बारे में क्रियात्मक कदम नहीं उठाया गया। ३६ घंटे की ३१ इंच बारिश में कोई ड्रेनेज सिस्टम काफी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं पिछले साल और इस साल के तजुर्बे की बिना पर प्रार्थना करूंगा कि जहां हमारे जिले में लगभग ५५ फी सदी सिंचाई की व्यवस्था है वहां उसके साथ-साथ ड्रेनेज की व्यवस्था की बड़ी भारी कमी है। जितनी तवज्जह आज सिंचाई की ओर दी जा रही है उतनी ही ड्रेनेज सिस्टम की ओर दी जानी जरूरी है। रेलवे लाइन, बड़ी-बड़ी नहरें और सड़कें या रजबहे ड्रेनेज को रोकते हैं। हमारे यहां जो भी नाले हैं वह भर गये हैं, उन की सफाई के लिये रुपया बहुत कम रखा जाता है। इसलिये उनकी खुदाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। अतः मैं आपके जरिये अपने सिंचाई मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि पिछले दो साल के तजुर्बे के आधार पर जो हमने पहले सुझाव दिये थे और जिनको कार्यरूप नहीं दिया जा सका है, हम चाहते हैं कि इस बार उनकी खास तवज्जह होनी चाहिये।

आज हमारे जिले में अनाज, और खास कर चने और भूसे की आवश्यकता है। चना पिछली फसल में भी नहीं हो पाया था और ज्यादातर खत्तियों में भरा था, जो २५०-३०० के करीब थीं जिसमें ५०० मन के करीब अनाज था, वह सब बरबाद हो गया और ऐसी हालत में किसान के लिये, उसके जानवरों के लिये चने और भूसे की बहुत जरुरत है। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे जिले में गये थे तो हमने निवेदन किया था कि वहां यातायात का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण बहुत से स्थान ऐसे हो जाते हैं जहां बाढ़ के समय हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं और जो सुविधा मुसीबतजदा लोगों को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। यातायात के साधनों में हमारा जिला नीचे से तीसरी पोजीशन रखता है सरकार के स्तर और ग्रेड फार्मूला के अनुसार २०० मील पक्की सड़कों की हमारे जिले में कमी है। आज फिर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे जिले में यातायात के साधन ठीक करने के लिये जिससे मुसीबत के समय लोगों को आसानी से सहायता पहुंचाई जा सके, रुपया दिया जाना जरूरी है। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह स्थिति हमारे जिले में भी उत्पन्न होने लगी तो बहुत से गांव जो नीची जगह पर बसे हुये हैं उन्हें ऊंची जगह पर बसाने की जरुरत है जिससे वे फिर वहां लोग अपने परमानेन्ट इस्ट्रक्चर के मकान बना सकें और जो सरकार की तरफ से सहायता मिले या जो अपना रुपया लगावें वह फिर बरबाद न हो। इसलिये इस ओर और भी सरकार जितनी जल्दी हो सके अपना कदम बढ़ाये और उनकी इस कार्य में भी सहायता करे।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरनगर जिले में खास तौर से मुजफ्फरनगर शहर के चारों ओर जो वर्षा से आपत्ति आयी उसकी किसी को कोई आशा भी नहीं हो सकती थी और न किसी को इस प्रकार की घटना होने की संभावना ही हो सकती थी। दूसरे स्थानों में जहां पर नदियां बहती हैं वहां पर इस बात का संदेह रहता ही है कि न मालूम कब बाढ़ आ जाय परन्तु यहां पर किसी ज्योतिषी के कहने

[श्री श्रीचन्द]

पर भी पहले से इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता था । परन्तु यह एक आपत्ति जो अचानक मुजफ्फरनगर शहर के आस पास ८-१० मील के घेरे में आयी उसने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी और उसके कारण जहां के लोगों को जो हानि उठानी पड़ी सैकड़ों वर्षों तक वह पूरी नहीं की जा सकती । पूर्वी क्षेत्र में झोपड़ियां होती हैं, उनको पहले से पता हो जाता है कि कोई आपत्ति बरसात के समय में आने वाली है और अपने बचाव के लिये वह कुछ कर लेते हैं । लेकिन ऐसे स्थानों पर किसी को कोई पता नहीं होता कि इस प्रकार की कोई आपत्ति आ भी सकती है । यह अच्छा हुआ कि यह आपत्ति दिन में आयी और एक दिन और रात में वर्षा से इतना पानी भर गया कि आने जाने के रास्ते बन्द हो गये और बहुत से लोगों की मौतें हो गयीं । गाय और भैंस मकानों के नीचे दब गयीं । गत वर्ष भी आफत आयी थी लेकिन इतनी हानि नहीं हुई थी । रबी और खरीफ गत वर्ष दोनों फसलें नष्ट हो गयी थीं । काश्तकारों के पास न भूसा था और न अन्न, जो कुछ भी था वह सब नष्ट हो गया था । आज भी यह हालत है । अब हमारी सरकार इस ओर प्रयत्नशील है ।

हमारे माल मंत्री जी ने उस वक्त वहां पहुंचने की और वहां के हाल जानने की बहुत कोशिश की लेकिन टेलीफोन और तार सब बन्द हो गये थे और इस कारण उनको कोई सूचना न मिल सकी । न हवाई अड्डे थे और न कोई साधन वहां पहुंचने का था । यह मैंने देखा और अखबारों में पढ़ा और यही मुझे सुन कर मालूम भी हुआ । दूसरे आदरणीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी मुजफ्फरनगर पहुंचे । वहां के निवासियों और काश्तकारों को सांत्वना दी, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि केवल इसी प्रकार से काम चलने वाला नहीं है । वहां पर लोगों को पूरे तौर से सहायता दी जानी चाहिये । मैंने आज ही पढ़ा कि माननीय माल मंत्री जी ने कुछ सहायता देने का प्रबन्ध किया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त कम है और इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी जिलों के रहने वालों का रहन-सहन दूसरे ढंग का है, उनके मकान इत्यादि दूसरे ढंग के हैं । २००-२५० रुपया में वे कुछ नहीं कर सकते । मेरा सुझाव है कि पर्याप्त मात्रा में यह सहायता दी जानी चाहिये ताकि लोग मकान बनवा सकें । वहां फूस की झोंपड़ियां बनाना भी संभव नहीं है क्योंकि वहां बंजर जमीन नहीं है जहां से कांस और फूस लेकर झोपड़ियां बनायी जा सकें । दूसरी तरकीब यह हो सकती है कि टीन बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचायी जाय जिससे लोग टिन डाल कर रह सकें अपना समय व्यतीत कर सकें और जब तक दूसरी कोई अच्छी फसल हो इसी संबंध में जैसा कि देहातों में देखने में आ रहा है कि वहां जानवरों के मरने से बदबू हो रही है । अनाज सड़ रहे हैं जिससे यह डर है कि वहां बीमारी न फैल जाय । कुछ हमारी सरकार ने यह भी प्रबन्ध किया है कि वहां मेडिकल एड पहुंचायी जाय और डाक्टरों का भी प्रबन्ध किया है । परन्तु इस ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक सहायता इस संबंध में की जाय । मुजफ्फरनगर मंडी की इस समय यह दशा है कि वहां पर कोई भी मनुष्य जाय तो वह वहां ठहर नहीं सकता है । वहां इस तरह की बदबू आ रही है जिससे यह सम्भावना है कि वहां बीमारी फैल जाय ।

अब रहा यह कि जानवरों के भूसा के बारे में और अनाज के बारे में किस प्रकार से सहायता दी जाय । जब तक कि बाहर से काफी संख्या में, काफी मिकदार में भूसा नहीं मंगाया जायगा तो वहां के जो चौपाये हैं वे भी मर जायेंगे इसलिये सस्ते दामों पर काश्तकारों को भूसा दिया जाय और जगह-जगह पर केन्द्र खोले जायं जिससे चार-चार, पांच-पांच मील के फासले पर सस्ते दामों पर लोगों को भूसा मिल सके । और आगे के लिये भी जब ऐसी आपत्ति आये, प्रबन्ध किया जाय क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि आपत्ति कब आ जाये, यह सम्भावना हो सकती है कि इस प्रकार की आपत्ति हो तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में वर्षा के पानी की नालियां कम हैं, नाले जो हैं वे छोटे हैं, उनमें सब पानी

नहीं समा सकता और यह शिकायत प्रायः मुजफ्फरनगर मंडी के आसपास के क्षेत्रों में रहती है कि बरसात के मौसम में पानी रुक जाता है। इसलिये नाले चौड़े किये जायं और उन नालों को चौड़ा कर के उनको नदी तक निकाला जाय और अधिक से अधिक संख्या में निकाले जायं जिससे वहां पानी न ठहर सके। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरनगर के जिले में पक्की सड़कों की बड़ी कमी है, यातायात के साधन बहुत कम हैं। लगभग सभी तहसील के सभी स्थलों में यही दशा है। एक पहली सड़क मुजफ्फरनगर से सामली तक है और इसके बाद एक सड़क मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की तक है। और भी कई सड़कें हैं जो बन रही हैं लेकिन फिर भी वे बहुत कम हैं। जब तक हमारे यहां यातायात के साधनों पर पूरा ध्यान देने की कृपा नहीं की जायगी तब तक हमारे लिये यह मुसीबत रहेगी। इसलिये दूसरा सुझाव मेरा यह है कि अधिक संख्या में जैसा कि आज ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में मिला था और इसका जिक्र भी किया था और मुजफ्फरनगर के सब एम० एल० एज० को यह विश्वास दिलाया था कि हम कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरनगर की सड़कों की ओर ध्यान देंगे। मेरा निवेदन यह है कि पंचवर्षीय योजना में २०० मील से अधिक के लगभग हमारे मुजफ्फरनगर की सड़कें हैं, हम अधिक नहीं चाहते हैं, केवल हमारे हिस्से की जो सड़कें हैं वे ही जल्द से जल्द पूरी कर दी जांय जिससे हमारे आने जाने के साधन बने रहें और आने के लिये कोई मुसीबत न हो सके।

* **श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, आज से करीब दो सप्ताह पहले नैनीताल में अकस्मात् समाचार पत्रों में बहुत खेदपूर्वक यह कुसमाचार पढ़ने का मौका मिला कि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और विशेष कर कुछ खास जिलों में बाढ़ और वर्षा के पानी का भीषण प्रकोप हो गया है। यह बयान भी हमको सरकारी सूचना से, माननीय माल मंत्री के वक्तव्य से मिला। पहले राज्य सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। लखनऊ से बुधवार को माननीय माल मन्त्री ने यह बयान निकाला कि मुजफ्फरनगर, मेरठ और बरेली के जिलों में बहुत भारी नुकसान जुलाई की वर्षा से हुआ है। बहुत भारी वर्षा वहां एक दम से हो गई और वहां के उस दिन से आज तक के जो समाचार आए हैं वह सब हमारी एक धारणा की पुष्टि करते हैं कि उन जिलों में और विशेष कर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिले की एक विशेष तहसील में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मुझे तो केवल एक ही दुःख है और वह यह कि इतने दिन गुजरने के बाद भी सरकार की जानकारी वहां के विषय में पूरी नहीं है।

यह जो वक्तव्य आज हमारे सामने उपस्थित है इसमें आप बहुत स्थलों पर देखेंगे कि वहां की जानकारी को सरकार ने स्वयं ही अधूरा माना है जैसे मिसाल के तौर पर मेरठ जिले के बारे में इस वक्तव्य में बहुत कम जानकारी है, जो ट्रेमेन्ड्स लास हुआ है वह क्या है? ऐसे ही बुलन्दशहर में कुछ गांव बहने की बात कही गयी है, वाकई कितने गांव बहे इसकी खबर सरकार को नहीं है। इसी के पैराग्राफ ९ में लिखा है कि "मकानों के गिरने के कारण दूसरे गांवों में भी कुछ आदमी मरे हैं।" तो आदमियों के मरने तक के पूरे फिगर सरकार को मालूम नहीं है और न ऐसे गांवों की तादाद ही सरकार जानती है। तो जो वर्षा इस बीच में हुई उसके २ तत्व हैं, उसमें एक आश्चर्य का तत्व भी है यानी इन बातों का सरकार को या किसी को पता नहीं था कि एक दो दिन में ३० इंच या दस इंच वर्षा हो जायगी और दूसरा तत्व इस नुकसान का है, इस प्राकृतिक नुकसान में, तो मुजफ्फरनगर में बाढ़ से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि वर्षा से हुआ। बाढ़ हिन्डन नदी में आयी और वह पानी फैला जिससे नुकसान हुआ। इतना नुकसान होने के साथ प्रत्येक वर्ष सरकार का १–२ करोड़ रुपया बाढ़ और वर्षा की क्षति पूर्ति में लगता है। पूर्वी जिलों में कम से कम एक करोड़ रुपया सालाना सरकार बाढ़ की रोकथाम आदि में खर्च करती है और उसके मुकाबले में जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुये जो सहायता दी गयी है वह बहुत ही कम है। अल्मोड़ा, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, और मुजफ्फरनगर को मिला कर कुल १ लाख ५२ हजार ५०० रुपये की रक़म दी गयी है। पांचों जिलों में। तो अगर २ लाख व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा तो एक आदमी को एक रुपये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को भी मदद नहीं पहुंची। मुजफ्फरनगर को ही लें तो वहां ३५ हजार आदमी बेघर-बार हुये हैं और वहां १ लाख का प्रेच्यूट्स रिलीफ दा गया है, वह तकावी को छोड़कर है वह तो कर्ज होता है। वह जाकर ३ रुपया प्रति व्यक्ति पड़ता है, मैं यह नहीं कहता कि पूरे नुकसान का कोई कम्पन-सेशन दिया जाय लेकिन यह ३ रुपया प्रति व्यक्ति भी एक बहुत ही नगण्य धनराशि है। इसके अलावा सरकार की ओर से जितनी सहायता दी गई है उसकी सूचना भी नहीं दी गई उसमें लिखा है कि बहुत बड़ी मिकदार में नमक, गुड़ और अनाज दिया गया है और पहले ही ६३० मन अनाज जरूरतमन्द आदमियों को बांटा जा चुका है, मिट्टी का तेल सिरकिया आदि बांटा गया है लेकिन यह कम्बल, मिट्टी का तेल नमक आदि किस तादाद में बांटा गया है इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। वास्तव में सदन को इतमिनान कैसे हो, मैं यह नहीं कहता कि सरकार कुछ नहीं कर रही है लेकिन कितना नुकसान हुआ है, सरकार ने क्या सब्स्टेन्टिव सहायता दी है इसका अन्दाजा हमें भी हो जाता। एक सुझाव मैं दूंगा, इस बाढ़ के अवसर पर २३ आदमियों के मरने की खबर है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु होती रही है, जिसका अन्दाजा नहीं होता। होता। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड रिलीफ फंड है तो कोई ऐसी योजना निकाली जानी चाहिये जिससे चाहे आप उसे फ्लड रिलीफ फंड कहें या विशेष प्रकार का इंश्योरेंस कहें--- जितने ऐसे लोग हैं जिनके परिवार निराश्रित रह जाते हैं और मृत्यु हो जाती है बाढ़ की वजह से ऐसे परिवारों को कुछ निश्चित वार्षिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। जैसे २३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इन २३ व्यक्तियों के आश्रितों को कुछ मासिक या वार्षिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये फ्लड रिलीफ फंड से। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये और जो नान आफिशियल आर्गनाइजेशन्स हैं उन्हें भी सहायता करनी चाहिये। फ्लड रिलीफ बोर्ड को कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे मृत्यु व्यक्तियों के परिवार को जरूर सहायता मिले। जो मेरठ, बुलन्दशहर और सहारनपुर के जिले हैं उनको मदद दी गई है यह बहुत कम है। मेरठ के जिले के क्योंकि माननीय मंत्री स्वयं रहने वाले हैं इसलिये अपने जिले को सहायता देने में सकुचा गये। एक जगह १७४ और एक जगह ३४ गांव लिखे हैं और अगर उनका एक जगह हिसाब लगाया जाय तो भी ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये।

इसी तरह से अल्मोड़े जिले में आपने देखा कि २७ जून को वर्षा से १६ आदमी मर गये। पहाड़ी जिलों में जब वर्षा होती है, बाढ़ आती है तो विशेष प्रकार की समस्यायें होती और लोगों को नदियां पार करनी मुश्किल हो जाती है। जिन नदियों में ज्यादा बाढ़ आती हैं वहां पर महीने महीने भर तक गांवों का काला पानी हो जाता है। सरकार को ऐसी स्कीम बनानी चाहिये लांग रेंज स्कीम जहां पर इस प्रकार की बाढ़ आ जाने से बड़े-बड़े इलाके या पट्टियां बिल्कुल कट जाती हैं वहां अगर लोग सामान खरीदना चाहें पैसा होने पर भी तो नहीं खरीद सकते। बहुत दिनों तक पहाड़ों में वे लोग भूखे रहते हैं क्योंकि नदियां क्रास नहीं कर सकते हैं। सब से बड़ी दिक्कत है यह। अगर कोई झूले की व्यवस्था कर दी जाय ---झूले का पुल सस्ता पड़ता है-- तो वे लोग अगर अपनी तरफ से कुछ लाना चाहें तो आसानी से ला सकें। बहुत से गांव ऐसे हैं जो रेवेन्यु और फारेस्ट डिपार्टमेंट्स की नजरों में हैं जो लैंड स्लाइड के मौके पर किसी भी दिन मौत के मुंह में जा सकते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा। जो माननीय माल मंत्री ने देखा होगा। नैनीताल में गेठिया का लैन्ड स्लाइड मशहूर है। ठीक उसके ऊपर आनन्दनगर है वह गांव बिल्कुल मौत के मुंह में है रेवेन्यु डिपार्टमेंट और प्लानिंग कमेटीज के मेम्बर्स यह कह चुके हैं कि मौत के मुंह में यह गांव है लेकिन गरीब हरिजन भाइयों के पास दूसरी जगह जाने के लिये एक बित्ता भर जमीन नहीं है जहां वह मकान बना सकें। कुमायूं में बहुत से ऐसे गांव हैं जो लैन्ड स्लाइड्स के पास हैं या जिनके नालों से बहने का डर है और जिनको रात दिन यह डर लगा रहता है कि नाला आया और बह गये उनको आल्टरनेटिव जमीन दी जानी चाहिये ताकि बस्ती को बदल कर वे वहां पर मकान बना सकें। एक मिसाल मैंने यह दी।

दूसरी बात यह कि जो ऐसे गांव हैं जैसे गिरियान का गांव नीचे धंस रहा है, ज्योलाजिस्ट्स वहां जाने वाले हैं, वहां स्वायल नीचे की ओर धंस रही है। पहाड़ के बीच में वह गांव है और नदी नीचे से उसे काट रही है और पानी उसे बहाये लिये जा रहा है जिससे गांव नीचे धंस रहा है इस प्रकार के जितने गांव हैं-- बहुत ज्यादा गांव तो नहीं होंगे-- लेकिन इस बात का खयाल होना चाहिये। जहां स्वायल इरोजन की वजह से या वाटर, प्रापेलेशन की वजह से या सब स्वायल वाटर एक्टिविटी की वजह से गांवों के बहने का डर है वहां लोगों को दूसरे गांव में बसाना चाहिये। ये तीन समस्यायें जो हैं ये अत्यन्त आवश्यक हैं और जिन गांवों को स्वायल इरोजन हो रहा है वह कम हो सकता है। एफारेस्टेशन स्कीम को फारेस्ट डिपार्टमेंट की है तो पहले वहां होना चाहिये। जो जंगलों को या पेड़ों को लगाने की योजना है वह सब से पहले उन गांवों में होनी चाहिये, न कि तराई और भावर में जहां पहले से पेड़ हैं। वनीकरण उन गांवों में होना चाहिये जो गधेरों के किनारे हैं जहां पर मिट्टी कमजोर है, और आसानी से बह जाती है। ऐसे गांवों में स्वायल इरोज का मुकाबला करने के लिये यह स्कीम होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे सुझावों की ओर ध्यान देने की कृपा करें और यह न समझें कि केवल आलोचना के दृष्टिकोण से मैंने कहा। मैंने सुझाव के दृष्टिकोण से सारी बातें रखी हैं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है यह बात देख कर कि प्रायः हर मित्र ने इस बात का इकरार किया कि गवर्नमेंट जितनी इस मुसीबत में लोगों की इमदाद कर सकती थी उतनी उन्होंने करनी की कोशिश की है। यानी कोशिश और नीयत गवर्नमेंट की इस सिलसिले में ऐसी रही है कि जिसपर कोई ऊंगली नहीं उठायी जा सकती। इस बात को मैं समझता हूं सिवा माननीय मित्र के जो कि बाराबंकी से दूसरी तरफ आते हैं और सब को यह बात मंजूर है। इस बात का इकरार है और अध्यक्ष महोदय, काम करने वाले, ख्वाह यहां पर डेक्स पर काम करने वाले हों या डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर या इंजीनियर, जिनको फील्ड में काम करना पड़ता है उनके लिए इससे बढ़ कर कोई इनाम नहीं हो सकता कि जिनकी वह सेवा करते हैं, उनको यह अहसास है कि उन्होंने हत्तुलइमकान नेक-नीयती से सेवा की।

अब रहा तक बाढ़ का आमतौर पर सवाल है वह हमेशा दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक तो यह कि बाढ़ यह गवर्नमेंट रोक सकती है या नहीं। किस हद तक रोक सकती है, किस हद तक ऐंटीसिपेट कर सकती है और उसका इंतजाम कर सकती है। दूसरे यह कि जो वाकई मुसीबत आ गई तो उस मुसीबत को कम करने के लिये या मुसीबत को टालने के लिये, मुसीबत आ जाय तो, लोगों की सफरिंग को आबविएट और मिटीगेट करने के लिये गवर्नमेंट ने क्या किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुसीबत को कम करने की गवर्नमेंट ने जो कोशिश की है वह मैं तफसील से सुबह अर्ज ही कर चुका हूं। जो भी मेरा बयान था वह आज तक के लिये था। अब अगर वहां के कलेक्टर वहां के सेवक, जो मेरे मित्र यहां बैठे हैं, या वहां के जन सेवक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के, जैसा सुझाव देंगे, जैसा मतालबा करेंगे और जैसी हमारी बिसात होगी उस मुसीबत को कम करने के लिये जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रेस कान्फ्रेन्स में भी फरमाया था, गवर्नमेंट कोई कमी नहीं उठा रखेगी और अगर गवर्नमेंट कोई कमी नहीं उठा रखेगी तो क्या मैं इसके लिये गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट चाहता हूं? क्या इसमें कोई मिनिस्टर या अफसरान का अहसान होगा? वह सिर्फ अपना फर्ज अंजाम देते हैं। इसलिये जो भी मेरे दोस्तों ने सुझाव दिये हैं और जो वह और सुझाव आगे देंगे उन पर कोशिश यह की जायगी कि हमदर्दी से गौर किया जाय और जहां तक पूरा हो सके उनको पूरा करने की कोशिश की जाय। जो सुझाव दिये गये या जो नुक्ताचीनी की गयी है उनको मैं मुख्तसरन् एक-एक कर के जवाब देने की कोशिश करूंगा।

[श्री चरणसिंह]

एक बात माननीय केशव जी गुप्त ने यह कही कि २५ रुपये या इसी किस्म की रक़म भूमिहीन और गरीब आदमियों को देना एक बिलकुल नाकाफी इमदाद करना है। यह बात उनकी बिलकुल सही है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि २५ रुपये या २० रुपये या १५ रुपये देने से उनको कोई बड़ा भारी सहारा नहीं मिलता।

लेकिन सारा सवाल यह है कि क्या किया जाय। माननीय केशव जी ने यह कहा कि अगर कानून को बदलने की जरूरत हो तो उस सिलसिले में कानून बदल दिया जाय और उन ग़रीब आदमियों को जिनको जरूरत है अपेक्षाकृत और लोगों को उनकी ज्यादा मदद की जाय। गवर्नमेंट का जो रुपया है वह उन्हीं गरीब लोगों से आया हुआ है। लिहाजा गवर्नमेंट जब रुपया देती है किसी को अगर कर्ज के तौर पर देती है तो यह देखा जाता है कि उस रुपये के लिये जमानत ऐसी हो कि आसानी से वह रुपया वसूल हो जाय। अब जो हमारे गरीब भूमिहीन हैं उनके पास भूमि नहीं कि जिसकी जमानत पर वे रुपया दे सकें। केवल मकान होते हैं। आमतौर पर कच्चे मकान होते हैं और वह गिर चुके होते हैं। तो कर्जा दिया जाता है और आमतौर पर जमीन की जमानत पर। लेकिन सन् १९५३ से जब कि जौनपुर, आजमगढ़ और लखनऊ में गोमती में बाढ़ आयी तो तब से गवर्नमेंट ने यह किया कि मकान की जमानत पर भी मकान बनाने के लिये कर्जा दे दिया जाय। उसमें कुछ खतरा गवर्नमेंट अपने रुपये के लिये उठाती लेकिन फिर भी देती। लेकिन उन गरीब भाइयों के पास तो मकान भी नहीं हैं। इसलिये वह २५ रुपया कर्जे के तौर पर नहीं दिया जाता है वह बतौर ग्रेचूइट्स रिलीफ के लिये दिया जाता है।

मुझे ठीक तो याद नहीं है लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने एक आम बात अपने महकमे के अधिकारियों से कही थी वह यह कि जैसे पूरब के जिलों में हमने २५० रुपया मकान बनवाने के लिये किसानों को दिया इससे ज्यादा नहीं दिया। रुपये का कोई खतरा नहीं, क्योंकि मकान बनाने के लिये कर्जा उनकी जमीन की जमानत पर दिया। कोई जमीन की जमानत दे सकता है। मान लो १,५०० रु० तक उसकी जमीन है तो १,५०० रु० तक देने में कोई रिस्क नहीं। लेकिन सवाल यह है कि रुपये कहां से लाया जाय। इसलिये हमने पिछले साल पूरब में २५० रु० रखा। और कुछ दिन बाद अक्तूबर में जब पश्चिम में मकानात बहुत गिरे और काफ़ी बारिश हुई तो २५० रु० की तजवीज वहां के लिये की गई। लेकिन वहां के कलेक्टर साहबान ने यह कहा कि २५० रु० से यहां कोई सहारा नहीं लगेगा। तो मैंने उनसे यह कह दिया कि २५० रु० आमतौर पर रखें और अगर आप समझें कि किसी को खास ही बहुत ज्यादा जरूरत है तो ५०० रु० भी दे दें। उनको इस बात का डिस्क्रीशन दिया गया। और एक कारण भी था कि पूरब में जो हमने रुपया दिया है वह बिला सूद के दिया था। लेकिन पश्चिम में जो दिया उस पर सूद रखा। तो इसलिये क्योंकि रुपया बिला सूद पर है ज्यादा आदमी लेने की कोशिश करें, यह बात भी नहीं थी और हमारा कोई नुक्सान भी नहीं था तो इस साल गवर्नमेंट ने यह तय किया कि ५०० रु० किसानों को मकान बनाने के लिये दिया जाय। यह शुरू में ही हुक्म जारी कर दिया। और यह भी कर दिया कि २५ रु० ग्रेचूइट्स रिलीफ हम गरीब को देते हैं उनको भी ५० रु० तक दिया जा सकता है। और अगर इस सिलसिले में अहकाम जो गये हैं उनमें किसी तरह अस्पष्टता होगी तो वह दूर कर दी जायगी। लेकिन जैसा माननीय केशव जी ने कहा फिर ५० भी कम उससे क्या होता है? यह सारा सवाल ठीक है लेकिन हमारे लिमीटेशन्स भी तो हैं उनको भी तो देखना है। अगर कोई तरकीब वे मुझे निकाल कर बता सकें और जितना रुपया हमारे पास है और कामों के लिये भी चाहिये। मुसीबत तो आती ही रहती है। तो अगर ऐसा तरीका निकाल सकें कि रुपया हो सके या रुपया भी न हो और काम भी हो जाय तो मैं उनकी इस तजवीज का स्वागत करूंगा।

दूसरी बात यह कही गयी कि भूसा, बिल्डिंग मेटीरियल और जो जरूरत की चीजें है यह तो होनी चाहियें। और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग मेटीरियल ऐसा नहीं है कि एकदम हमने हुक्म दिया और बस वह लारियों में भर कर चला गया। जबलपुर का एक कांनट्रेक्टर है जिससे भूसे के लिये हमारी बातचीत हुयी है। हम उसमें और कर ही क्या सकते हैं? यहां से सिवाय इसके कि हम वैगन्स दिलाने की कोशिश करें ताकि वह जल्दी मूवमेंट कर सकें और कलेक्टर मुजफ्फरनगर ने कहा था। कि हम अपना कोई अफसर सीमेंट वगैरह के लिये भेज दें। तो मैंने यह कह दिया है कि हां, अपने अफसर को सीमेंट के लिये और टिन के लिये कानपुर और आगरा भेज दो और वह भेज दिये गये हैं। जहां तक उनसे हो रहा है वह कोशिश वहां कर रहे हैं। १ लाख की आप बात करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि दो लाख टन चला जाय। लेकिन जो पोजीशन है सीमेंट के बारे में वह सभी दोस्तों को मालूम है कि हमारी स्टेट के काम के लिये भी सीमेंट नहीं है। सीमेंट की फैक्ट्री १६ लाख टन माहवार पैदा करती है और २९ लाख टन माहवार का खर्चा है। १३ लाख टन बाहर से मंगाना पड़ता है या उसमें भी शायद कुछ कटौती करनी पड़ती है। तो इच्छा होते हुए भी सीमेंट जितनी जरूरत है जितनी वाकई जरूरत है वहां भेजने की उतनी हम भेज नहीं पा रहे हैं।

कामर्शियल जजेज की बात केशव गुप्त जी ने की कि कामर्शियल जज मुकर्रर कर दिये जायं। उन्होंने कहा कि कानपुर में ऐसा होता है। मुझे या मेरे मुहकमे के राज्य कर्मचारियों को इस सिलसिले में मालूम नहीं है कि इसके लिये क्या करना होगा। अगर माननीय केशव गुप्त जी कुछ इस सिलसिले में बता सकें तो हम उसका प्रबंध कर देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी फरमा रहे हैं कि वह उनसे केशव गुप्त जी जिक्र कर चुके हैं या और दोस्तों से जिक्र हो चुका है तो कामर्शियल जज मुकर्रर करने की कोशिश हम करेंगे।

अब एक बात यह कही गयी कि करेक्ट एस्टीमेट नहीं है डैमेज का। यह माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा और कहा किस बात पर कि उसमें एक लफ्ज आ गया है "सो फार"। लास आफ ह्यूमन लाइफ "सो फार रिपोर्टेड इज ओनली फाइव"। अध्यक्ष महोदय, यह तो लिखने का तरीका है। इससे यह मतलब नहीं है कि वहां और भी मौतें हुयी हैं और उनकी इत्तिला नहीं है। यह तो कहने का ढंग है, यह शिष्टाचार का तरीका है बातें करने का। गवर्नमेंट कभी इस तरह से बात नहीं कहा करती है डागमेटिकली। गवर्नमेंट हमेशा ऐसे ही करती है और कम से कम अंग्रेजी लिखने वालों का तो यही तरीका है, इट वुड सीम, इट इज लाइकली, इट इज पर हैप्स सो ऐंड सो, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात हो जाय कि कोई क्षति हो गयी हो या बात में हो जाय अगर्चे हुयी नहीं है अब तक, हुयी होती तो इत्तिला हो जाती, तो माननीय गेंदा सिंह जी नहीं तो कोई और साहब यह कहने लगें कि साहब आप झूठ बोले, इसलिये ऐसा कहा जाता है। तो इससे यह साबित नहीं होता कि उसमें कोई इनकरेक्टनेस है या इत्तिला नहीं है।

माननीय नारायणदत्त जी ने सहारनपुर की बात की।

"In Saharanpur district also considerable damage has been caused by recent heavy rains particularly in Deoband tehsil adjacent to Distritct Muzaffarnagar where 7.79 inches of rain fell on the 2nd July 1956. All the houses of one village Chaman Mazra have completely collapsed and the village including abadi side came under waist deep waters as a result of breach in the tributary of Yamuna Canal. One adult and two children died in this village."

यह उन्होंने जिस रोज हमको पहली इत्तिला दी थी कलेक्टर ने तब यह कहा था कि एक एडल्ट और दो बच्चे चमन मजरा गांव में मरे हैं। हो सकता है कि और भी मरे हों। उसकी बाद को मैं इत्तिला दूंगा। फिर कोई इत्तिला नहीं भेजी उन्होंने उसके बाद कल मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि एक ही डेथ और हुयी। तो मैंने सुबह ही कह दिया था कि तीन की जगह चार पढ़ने की कृपा करें। मैंने तो लेटस्ट बात बतला दी थी कि चार डेथ्स हुयी हैं। कुछ एक बात

[श्री चरण सिंह]

और कहो कि मेरठ में चूंकि नुकसान कम दिखाया गया है लिहाजा जरूर गलती हुयी होगी। बल्लाह, अब आपकी मासूमियत पर क्या कहा जा सकता है। क्योंकि कम लिखा है जरूर ज्यादा होगा अब साहब, यह दलील ऐसी है कि जिसके सामने लाजवाब होना पड़ता है। मेरठ में तो जिस गांव का मैं रहने वाला हूं जिस परगने का वहां बारिश ही नहीं हुयी गाजियाबाद और हापुड़ तहसील में और मवाने में हुयी, कुछ मेरठ में हुयी है और कुछ सरधना तहसील में हुयी है। कल जो दोस्त मेरे आये हैं वह बतलाते हैं कि बागपत तहसील में भी कुछ बारिश हो गयी है। यह तो जो मुजफ्फरनगर में माननीय वीरेन्द्र वर्मा और आर्य जी के ऊपर बाढ़ विपत्ति आयी उसका पानी हिंडन नदी में बढ़ेगा। अब यह हिंडन नदी पांच हजार वर्ष पहले से है। महाभारत में उसका जिक्र है हिरण्यवती नदी के नाम से। मेरी ५४ वर्ष उम्र हो गयी, उसमें कभी इतना पानी नहीं आया था लेकिन जब आ गया तो उसका इन्तजाम नहीं हो सकता। लेकिन खैर, वहां नुकसान कोई इतना नहीं हुआ है। रह गया सवाल वहां मेरठ में रुपया देने का तो मैं वहां का रहने वाला हूं इसलिये मैंने कम दिया हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वहां के कलेक्टर ने कुछ ज्यादा मांग की है।

अब एक बात यह कही गयी कि दूसरे सूबे की जो गवर्नमेंट्स हैं वह किसी बुद्धिमानी से या ज्यादा दबाव देने की वजह से गवर्नमेंट आफ इंडिया से ज्यादा रुपया ले जाती हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अपनी कमजोरी की वजह से या और किसी वजह से उतना रुपया नहीं ले पाती। ऐसा माननीय गेंदा सिंह जी का आरोप है। तो इसके मुताल्लिक मैं आपकी इजाजत से यह बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तो फल्ड वगैरह के सिलसिले में वह राज्य सरकारों को कितनी इमदाद देंगे एक पुराना तरीका है। उस फारमूले के मुताबिक जब ये ४ महीने संकट के कट जायेंगे, अक्तूबर नवम्बर में, तब हम उनको लिखेंगे। उसके मुताबिक फरवरी-मार्च तक हमको रुपया मिल जायगा। तो हमने अभी तक ऊपर उनसे नहीं मांगा, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो चौमासा पड़ा हुआ है। जब यह सब बीत जायेंगे तब अक्तूबर में हम भेजेंगे। जो रुपया हमको वापस नहीं आया, मसलन ग्रेटुइट्स रिलीफ है, टेस्ट-वर्क्स है या हम और कोई तरीके की सबसीडी दें या हमें गल्ला तकसीम करना पड़े तो उससे हमको कुछ नुकसान होगा, तो इस तरह का नुकसान या रुपया जो हमको रिटर्न नहीं होगा, उसका निस्फ रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया हमेशा देती है और वही अबकी देंगे, तो अभी उनसे न इमदाद मांगने का सवाल है और न आने का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे एक मित्र ने बाराबंकी से जो तशरीफ लाते हैं, कहा कि मालगुजारी अब तक वसूल हो रही होगी और आबपाशी वसूल हो रही होगी। तो जितने मित्र उधर के थे उन्हें तो इस सिलसिले में कोई शिकायत नहीं और वह कहते हैं कि "हो रही होगी।" होता यह है कि जून तक आम तौर पर मालगुजारी वसूल हो जानी चाहिये और अधिकतर वसूल हो चुकी होगी तो, मैं इस सिलसिले में बावजूद इस बात का खतरा उठाते हुये कि मुझे हृदयहीन कहा जायगा, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जब बाढ़ आती है तो जो फसल में सामान खराब हुआ वह तो मौजूदा खराब हुआ, वह तो खरीफ का नुकसान हुआ और जो मालगुजारी वसूल की जा रही है वह रबी की वसूल की जा रही है। तो वह जून तक दे देनी चाहिये। तो अब जबकि हम मुसीबत में थे तो अमीन पहुंच गया हमारे पास। तो मतलब यह हुआ कि क्योंकि मुसीबत में हैं तो पुरानी मालगुजारी जिसकी फसल को बचाकर घर में रुपया रख लिया, इस लिये उसका रुपया न लिया जाय और चूंकि यह फसल खराब हो चुकी, इसलिये इसकी भी माफी दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसलिये माफ किया जाय कि रुपया लगाकर नुकसान पूरा करेंगे।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी से एक बात कहना चाहता हूं, माननीय गेंदा सिंह जी से नहीं, वह यह कि यहां बात ऐसी कहनी चाहिये कि वाहे

बाकई अमल में वह सूरत पैदा न हो सके, लेकिन दिमाग में यह नकशा जरूर रखना चाहिये और हाइपाथेटिकल सवाल बनाकर कहना चाहिये कि अगर हमारी हुकूमत बन गयी तो क्या हम ऐसे काम को कर सकेंगे जो हम कह रहे हैं ? तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर वह यह सवाल दिमाग में रख कर सोचें कि उनकी गवर्नमेंट अगर बन गयी तो वह क्या ऐसा कर सकेंगे, क्या यह मुमकिन है ? नहीं, वह ऐसा नहीं करेंगे, चाहे यहां आज वह कुछ कहें। पर मुझ से अलग आकर बात करें मैं समझा दूंगा। जितना नुक्सान उस फसल में हुआ है उसको माफ होना चाहिये। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने जून में मालगुजारी दे दी यह उनकी बेवकूफी थी। तो सब जून तक इन्तजार करें कि परमात्मा न करे बाढ़ आ जाय तो दोनों फसलों की मालगुजारी माफ हो जायगी। सन् ५४ में हमने आर्डर निकाला था कि जो फ्लड ससेप्टेबिल एरियाज हैं उनमें मालगुजारी जून तक वसूल करने की कोशिश की जाय, क्योंकि वहां के लोगों का बाढ़ आने पर तकाजा हो जाता है कि पहले कि मालगुजारी भी माफ की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---पोस्टपोन तो की जाय।

श्री चरणसिंह---यहां तो ऐसा सवाल उठता नहीं और यह तो मोटी सी बात है कि कलेक्टर हमसे इस बात की सिफारिश करेंगे कि मालगुजारी माफ की जाय। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह है कि हाउसिंग स्कीम के लिये वीरेन्द्र जी वर्मा ने यह कहा कि देहातों में भी इसको जारी कर दिया जाय। जैसे कि उनको मालूम है कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम है और हम तो बीच में एजेंसी के तौर पर हैं। उनकी स्कीम केवल अरबन एरियाज के लिये है। म्युनिसिपल एरियाज में जो मकान गिरे हैं वे इससे लाभ उठा सकते हैं। इसलिये जहां तक उनके गांव का मसला है वह हल नहीं हो सकता है और हम कोई इमदाद नहीं कर सकते हैं। मालूम यह हुआ है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह लिखा है कि वह ऐसी ही स्कीम रूरल एरियाज के लिये भी जारी करने का विचार कर रहे हैं। परमात्मा करे कि वह जल्दी ही इसका फैसला कर दें और हमें उसका लाभ मिल जाय। वैसे हमने साढ़े तीन लाख रुपया दे दिया है और यदि जरूरत हुयी तो और दे सकेंगे।

अब रहा सवाल म्युनिसिपल ड्रेन्स का। जब माननीय मुख्य मंत्री जी मुजफ्फरनगर गये थे तो उनके सामने भी यही सवाल आया था। कुछ मुहल्ले ऐसे हैं कि जहां की नालियां तंग हैं या खराब हैं और उनमें पानी भर जाता है और मकान भी कमजोर हो गये हैं। इन ड्रेन्स के सुधार के लिये यह अंदाजा था कि ४० हजार रुपया लगेगा। मुख्य मंत्री जी आदेश दे आये थे। बीस हजार रुपया वहां की म्युनिसिपैलिटी देगी और २० हजार रुपये का आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जायगा।

अब रही सड़क की बात। यह ठीक है कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में सड़कों की बहुत कमी है। इंजीनियर्स का जो फारमूला सड़कों के लिये बना हुआ है उस हिसाब से बहुत कमी है। लेकिन जैसा कि लोगों को मालूम होगा कि बावजूद हमारी कोशिश के दूसरी प्लान में सड़कों के लिये बहुत कम रुपया रख सके हैं। अगले दूसरे प्लान में गालिबन कोई भी सड़क नगर को नहीं होगी। मुख्य मंत्री ने कोशिश की है कि रुपया कहीं से दिया जा सके तो दे दिया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---रुपया तो सारे जिलों के लिये ही कम हुआ होगा या केवल मेरठ और मुजफ्फरनगर के लिये ही कम हो गया है।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने हिसाब लगाकर बतला दिया कि प्रति मनुष्य तीन आने या तीन पाई पड़ता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तीन रुपये पड़ता है।

श्री चरणसिंह--एक लाख ५२ हजार था और दो लाख आदमी मुसीबत में आये तो तीन रुपये कैसे पड़ जायगा। इस तरह से उन्होंने बतला दिया कि यह रकम कितनी नाकाफी है। अध्यक्ष महोदय, यह वही बात है कि वह कुनबा डूबा क्यों वाला हिसाब लगा रहे हैं। एक साहब नदी पर चले गये उन्हें मालूम था कि नदी में कहीं एक फिट पानी है, कहीं दो फिट और कहीं छै फिट पानी है तो उन्होंने हिसाब लगाया तो ९ फिट जोड़कर आया और आधी फिट ज्यादा था तो ऐवरेज निकालने पर ढाई फिट से कम आया। चार साहब थे सब लोग जहां ६ फिट पानी था सब डूब गये। ऐसे मामलों में एवरेज काम नहीं करता है। यह तो रुपया उन लोगों के लिये है जो वाकई में बहुत मुसीबत में हैं और जो लेना चाहें।

एक बात नारायणदत्त जी ने और कही कि कहीं एक आनन्द मठ है वहां हर साल लैन्ड स्लाइड होता है और हरिजन ऐसी जगह पर वहां बसे हुए हैं कि उनके बसने के लिये और कोई जगह नहीं है तो वह खतरे को उठाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मित्र से कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसे हरिजन हैं जो मकान बनाने की वजह से उस खतरे वाली जगह को नहीं छोड़ते तो उनकी दरख्वास्त मेरे पास भिजवा दें। उनको अगर वे चाहें तो तराई में बसने के लिये जगह दे दूंगा और जोतने के लिये भी जमीन दूंगा।

एक तो अगर मुसीबत आ जाय तो उसको कम करने की बात होती है और दूसरी बात यह होती है कि मुसीबत टाल दी जाय। माननीय मित्र जो बाराबंकी से तशरीफलाते हैं उन्होंने तो बहुत जोर से और माननीय गेंदा सिंह जी ने इस बात की तरफ इशारा किया कि ऐंटीसिपेट नहीं किया, हम तो करीब-करीब दूसरा भगवान समझते थे गवर्नमेंट को और यह अन्दाज नहीं लगा सके कि मुजफ्फरनगर में इतनी वर्षा होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या कहूं उनकी मासूमियत पर और इस भोलेपन पर कि इतनी नाकाबिल है गवर्नमेंट कि यह पता तक नहीं लगा सकी। मैंने तो सजेस्ट किया था उनको जवाब इस बात का कि यह तो कांग्रेस गवर्नमेंट के गुनाह हैं। अगर यह कह देते तो सब ठीक हो जाता। आखिर यह क्या बात हुयी कि गवर्नमेंट को पता नहीं लगा। मेटिरियोलाजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं २९, ३० जून और पहली जुलाई की, उनको अगर उठाकर देखें तो कहीं उसमें यह नहीं पाइयेगा कि मुजफ्फरनगर में यह आफत आने वाली है। तो जो साइन्स इतनी बढ़ी हुयी है उसका तो यह हाल है। हो सकता है कि हमारे यहां की साइन्स गलत हो और गवर्नमेंट तो इनकाम्पिटेन्ट, इनएफिशेन्ट, अनसिम्पैथेटक और जितनी खराबियां हैं वे सब हम में हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अमेरीका देश तो बहुत सम्पन्न है, साइन्स की भी कमी नहीं है और अगर ऐटम बम वगैरह का असर है तो वहीं से यह चला। तो एक रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, छोटी सी वहां की, जो मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। वह है:--

"NEW YORK, Aug. 20—Floods continued to devastate the North-Eastern United States for the second day today claiming 105 known dead so far.."

एक पढ़ने की चीज है। इंटरनेशनल न्यूज आयी है कि १०५ अब तक मरे। आगे है:--

"..and causing damage running into thousands of millions of dollars."

यह नहीं है कि इतने थाउजेन्ट और इतने हन्ड्रेड डालर्स का नुकसान हुआ। फिर है:--

"Bridges were swept away, dams and dykes burst buildings, toppled and streets turned into rivers in four states. Troops were called out to help and in some places bailey bridges were flung across torrents to provide access to isolated townships.

At least 20 people died at Stroudsburg, mountain resort in Pennsylvania which was left without gas or drinking water while 15 deaths were reported from Waterbury, Connecticut.

A report circulating in Stroudsburn said 30 to 40 people including children were missing."

तो अध्यक्ष महोदय, यह मुसीबत आ गयी, कोई १६०–६५ के करीब आदमी मर गये, मकान टूट गये, नदियां बह गयीं और नाले सड़कों पर बह निकले ।

श्री गेंदा सिंह—यह गवर्नमेंट रिपोर्ट है ?

श्री चरण सिंह—यह है अमेरिका, यह है हाइड्रोजन बम वाला देश, यह है करोड़पतियों का देश । तो ऐसा देश अपने यहां के लोगों को बाढ़ से न बचा सका, न मालूम कर सका और न अपने लोगों को बता सका । तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से अपने माननीय मित्र से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह गवर्नमेंट इन्सानों की है । राज्य कर्मचारी भी इंसान हैं । गलतियां हमसे होंगी, कमजोरियां भी हैं । लेकिन जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी रोशनी में जितना हम कर सकते हैं उतना न करें तो बेशक कसूरवार हैं और बहुत ढिंढोरा पिटा था कि चीन में रुक गया । मैंने पिछले साल उसकी रिपोर्ट पढ़ दी थी कि अब की वहां नहीं रुका, वहां डैम सब टूट गये । तो फ्लड रोका नहीं जा सकता है, कभी भी, कभी दुनियां में नहीं रुका है न जर्मनी में, न जापान में, न चीन में और न अमेरिका में, न कैपिटलिस्ट सरकार से ही और न ही कम्यूनिस्ट सरकार से । सिर्फ यह हो सकता है कि उसके इफेक्ट को मिटी गेट किया जाय तो वह हमेशा करते हैं । रही सर्वे की बात तो सर्वे पिछले साल जब फ्लड आये थे तो उस वक्त चीफ इंजीनियर गये थे और आसपास के वेस्टर्न जिलोंके कलेक्टरों को और और आफिसर्स को मिलाकर एक सर्वे किया था । सात सर्वे डिवीजन्स कायम हो गये और वह काम कर रहे हैं । और आज सबेरे ही त्रिपाठी जी से मुझे मालूम हुआ कि चीफ इंजीनियर इर्रीगेशन मुजफ्फरनगर गये हुये हैं और वह वहां मौजूद हैं और अगर ड्रेनेज सिस्टम की कोई खराबी होगी तो उसको बरसात के बाद दूर करने की कोशिश की जायगी ।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मित्रों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आमतौर पर इस बात का इकरार किया है जो गवर्नमेंट ने वहां किया । अन्त में मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस प्रकार के कष्ट हमेशा आये हैं और आते रहेंगे सिर्फ सवाल है कि किस हिम्मत से लोग उसका मुकाबिला करते हैं । एक तो पराजय की भावना, डिफीटिस्ट मैंटेलिटी होती है और दूसरी होती है कि अगर कोई मुसीबत आयेगी तो हम उसको बरदाश्त करेंगे । मुझे खुशी है कि लोगों में पराजय की भावना नहीं है । असली धन जो पैदा होता है वह श्रम से होता है । लेबर ही प्राइमरी सोर्स है हर प्रकार के वेल्थ का । तो लोगों में श्रम करने की, अपने भुजाबल और बुद्धिबल से यह भाव हो कि हमको कुछ भी नुकसान पहुंचे हम उस नुकसान की पूर्ति करेंगे । जो सब से बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी ओर किसी ने इशारा नहीं किया है वह यह है कि जो फरटाइल लेयर है जमीन की जो फर्टिलिटी है जमीन की वह वाश अप हो गयी है उसके लिये किसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कई वर्ष तक काफी परिश्रम करना पड़ेगा, काफी खाद देनी पड़ेगी, लेकिन वह सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और उसको ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन दैट इज दि लाइफ्स वे, दुनियां इसी तरह चलती है । इन शब्दों के साथ मैं फिर उन माननीय मित्रों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है ।

अगले दिन के कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि कल के कार्यक्रम में जो पहले बतलाया गया था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक सन् १९५५ अभी चल रहा है इसके बाद २४,२५ को कुमायूं जमींदारी-विनाश विधेयक पर विचार यह लिखा गया है, लेकिन आज कार्यक्रम का बहुत सा भाग समाप्त हो गया है, क्योंकि शायद कुछ

[श्री अध्यक्ष]

नियमों पर विवाद नहीं हो सका और इसका सरकार की तरफ से जो सूचना आयी है वह यह है कि अब वाराणसेय संस्कृत विधेयक के बाद उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक को पहले ले लिया जाय और उसके बाद कुमायूं जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक लिया जायगा। तो कल वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक के समाप्त होने पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक पर विचार होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१७ जुलाई, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११६ एल० ए०—१९५६—७९६।